



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102023-249267
CG-DL-E-09102023-249267

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]
No. 245]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023/आश्विन 7, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023/ASVINA 7, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी (ओआई) - 03/2022

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मेट्रोनिडाजोल" के आयातों से संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/3/2022-डीजीटीआर.—यह समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे एडी नियमावली या पाटनरोधी नियमावली या नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

क. मामले की पृष्ठभूमि

- आरती ड्रग्स लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' भी कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया

है) से “मेट्रोनिडाजोल” जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

3. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर एडी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/3/2022-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितंबर, 2022 के द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की ताकि संबद्ध वस्तु एक कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाये तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति का समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

4. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
 - क. प्राधिकारी ने एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत की कार्रवाई करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।
 - ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
 - ग. प्राधिकारी ने दिनांक 30 सितंबर, 2022 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, संबद्ध आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार भेजी थी। हितबद्ध पक्षकारों से जांच शुरुआत अधिसूचना में विहित समय-सीमा के भीतर जांच शुरुआत अधिसूचना में विहित ढंग और तरीके से संगत सूचना देने और लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।
 - घ. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार दिनांक 15 नवंबर, 2022 को अपने ई-मेल के माध्यम से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं और संबद्ध देश के दूतावास को भेजी थी।
 - ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को जांच शुरुआत अधिसूचना में विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। संबद्ध देश के दूतावास को संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ-साथ उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी भेजी थी।
 - च. प्राधिकारी ने एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं।
 - छ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

संबद्ध देश	उत्पादक/निर्यातक
चीन जन. गण.	मेसर्स हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

- ज. संबद्ध देश से ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है या जांच में सहयोग नहीं किया है, को इस जांच में असहयोगी माना गया है।
- झ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात उत्पादकों/प्रयोक्ताओं को भी एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावलियां भेजी थीं।
- ञ. किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का आयातक/प्रयोक्ता ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

- ट. 18 सितंबर 2023 को, निदेशालय को एक आयातक और उपयोगकर्ता उद्योग, [***] से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्राधिकरण के समक्ष अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने और जांच में भाग लेने का अवसर मांगा गया था। [***] ने आगे आरोप लगाया कि घरेलू उद्योग का नियमित ग्राहक होने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने जानबूझकर अपना नाम एंटी-डॉपिंग एप्लिकेशन से बाहर रखा है। इसने जांच पूरी करने के लिए समयसीमा बढ़ाने की भी मांग की। यह नोट किया गया है कि [***] ने जांच के अंतिम चरण में भाग लेने की मांग की थी। व्यापार उपचारात्मक जांच में कई चरण शामिल होते हैं, प्रत्येक चरण की अपनी समय-सीमा होती है। इच्छुक पार्टियों के पंजीकरण की समयसीमा काफी पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा, निदेशालय ने जांच की शुरुआत को प्रचारित करने के लिए सभी कदम उठाए थे, जिसमें भारत के राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन और साथ ही अपनी वेबसाइट पर जांच की शुरुआत को प्रचारित करना शामिल था। जांच टीम ने आवेदन में आवेदक द्वारा प्रदान किए गए सभी ज्ञात आयातों और उपयोगकर्ताओं को जांच शुरू करने के संबंध में एक ईमेल भी भेजा। इस अंतिम समय पर अवसर देने से अन्य इच्छुक पार्टियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जांच दल ने ईमेल के माध्यम से भेजे गए अपने विस्तृत पत्र दिनांक 21 सितंबर 2023 के माध्यम से भी इस संबंध में [***] सूचित किया है।
- ठ. प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशक (डीजी सिस्टम्स) से पिछली क्षति जांच अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों की सौदावार ब्यौरें प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से भी क्षति जांच अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदावार ब्यौरें देने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने उन्हें प्राप्त किया है और अंतिम जांच परिणाम में उन पर विचार किया है।
- ड. एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 8 फरवरी, 2023 को वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से संबद्ध जांच के बारे में मौखिक रूप से विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। ऐसे हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किये, से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित अनुरोध तथा बाद में खंडन अनुरोध यदि कोई हों, के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। हितबद्ध पक्षकारों से उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों के अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर करने का निदेश भी दिया गया था।
- ढ. क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी भी कहा गया है) को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखते हुए भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और तर्कसंगत लाभ के आधार पर निर्धारित किया गया है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- . ण. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना की आवश्यक समझी गई सीमा तक मौके पर सत्यापन के दौरान जांच और सत्यापन किया गया है और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में उस पर भरोसा किया गया है।
- त. संबद्ध देश से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की भी आवश्यक समझी गई सीमा तक जांच और सत्यापन किया गया और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ उस पर भरोसा किया गया है।
- थ. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 (12 माह) की है। वर्तमान जांच के लिए क्षति अवधि 1 अप्रैल, 2018 - 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019 - 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020 - 31 मार्च, 2021 और पीओआई की है।
- द. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को व्यापार सूचना 01/2020 दिनांक 10 अप्रैल, 2020 के जरिये विहित ढंग से परस्पर आधार पर उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने ऐसी सूचना/अनुरोध को गोपनीय माना है। यदि गोपनीयता के दावे को स्वीकार नहीं किया गया तो हितबद्ध पक्षकार को उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने का निदेश दिया गया था।

- ध.. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत समस्त तर्कों और सूचना पर इस समय उस सीमा तक विचार किया, जहां तक ये साक्ष्य से समर्थित और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई हैं।
- न. प्राधिकरण ने 19 सितंबर 2023 को सभी इच्छुक पक्षों को केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों वाले प्रकटीकरण विवरण को प्रसारित किया। इच्छुक पक्षों को 25 सितंबर 2023 तक प्रकटीकरण विवरण पर अपनी टिप्पणियां दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।
- प. प्राधिकरण ने इन अंतिम निष्कर्षों में इच्छुक पक्षों द्वारा की गई सभी पोस्ट-प्रकटीकरण टिप्पणियों की प्रासंगिक सीमा तक जांच की है। कोई भी प्रस्तुतीकरण जो केवल पिछले प्रस्तुतीकरण का पुनरुत्पादन था और जिसकी प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।
- फ. इस दस्तावेज में ‘***’ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- .व. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए पीओआई (अप्रैल, 2021 – मार्च, 2022) में अपनाई गई विनमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 75.37 रुपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. जांच की शुरुआत के समय यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे “पीयूसी” भी कहा गया है) निम्नानुसार था:

“3. विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित “मेट्रोनिडाजोल” है।

[...]

5. उपयोग: इस उत्पाद का प्रयोग बैक्टीरिया संक्रमण और परजीवी संक्रमण के उपचार में होता है जिसे एमीबाइसिस (एमीबिक डिसेंट्री), ट्रिक्मोमनाइसिस [एसटीडी] गायर डाइसिस [बीवर फीवर], जिन्जीवाइटिस [मसूड़ों में दर्द], एक्यूट अल्सरेटिव, एनीरोबिक वेजीनोसिस [वाजाइनल इन्फ्लामेशन] जो ट्रैक में पाये जाने वाले प्राकृतिक बैक्टीरिया में वृद्धि से होता है।

6. टैरिफ वर्गीकरण: विचाराधीन उत्पादक सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत टैरिफ वर्गीकरण के उपशीर्ष 293329 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद को एचएस कोड 29332920 के अंतर्गत आयातित किया गया है। यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे में बाध्यकारी नहीं है।”

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद का 15 वर्षों से अधिक के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क का इतिहास है¹।

ग.2 घरेलू उद्योग की ओर से किये गये अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद एक डायरियारोधी और माइक्रो बायलरोधी औषधि है²। इसका प्रयोग बैक्टीरिया संक्रमण और परजीवी संक्रमण के उपचार में होता है। इसका प्रयोग एमीबाइसिस, ट्रिक्मोमनाइसिस, शल्य चिकित्सा के बाद ऑपरेशन पश्चात संक्रमण, ग्यारडाइसिस, एक्यूट अल्सरेटिव और जिन्जीवाइटिस, एनीरोबिक, माइक्रो निर्माण द्वारा होने वाले संक्रमण वेजीनोसिस उपचार के मामले में होता है³।

¹ हुवेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोध, पृष्ठ 2 (जिसे आगे हुवेई के लिखित अनुरोध कहा गया है)।

² आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोध, पैरा 9 (जिसे आगे “आवेदक के लिखित अनुरोध” कहा गया है)।

³ तदेव पैरा 12

- ख. इस उत्पाद की कोई उप श्रेणी या उप ग्रेड नहीं है⁴।
- ग. पीयूसी को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत उपशीर्ष 293329 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है⁵।
- घ. पीयूसी को एचएस कोड 2933 29 20 के अंतर्गत आयातित किया जा रहा है⁶। इस कोड को मेट्रोनिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट के लिए विहित किया गया है। तथापि, मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट के मामूली आयात हुए हैं⁷।
- ड. संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू मूल सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत है⁸।
- च. आवेदक द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित किये जा रहे उत्पाद की "समान वस्तु" है⁹।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

8. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध में किये गये अनुरोधों की निम्नानुसार जांच और समाधान किया गया है:
9. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मेट्रोनिडाजोल है। यह एक डायरियारोधी और माइक्रो बायलरोधी औषधि है। इसका प्रयोग बैक्टीरिया संक्रमण और परजीवी संक्रमण के उपचार में होता है। इसका प्रयोग एमीबाइसिस, ट्रिक्मोमोनाइसिस, सल्य चिकित्सा के बाद ऑपरेशन पश्चात संक्रमण, ग्यारडाइसिस, एक्यूट अल्सरेटिव और जिन्जीवाइटिस, एनोरोबिक, माइक्रो निर्माण द्वारा होने वाले संक्रमण वेजीनोसिस उपचार के मामले में होता है।
10. आवेदक ने बताया है कि इस उत्पाद को एक मध्यवर्ती यौगिक अर्थात् 2-मिथाइल 5-नाइट्रो इमिडाजोल के साथ इथाईलीन ऑक्साइड को फॉर्मिक एसिड [85%] और सल्फ्यूरिक एसिड [98%] की उपस्थिति में संपीड़ित करके बनाया जाता है। उसके बाद मेथेनाल के साथ इस्टरीफिकेशन प्रतिक्रिया होती है जो मिथाइल फारमेट उत्पन्न करता है [मिथाइल मिथेनोएट]। यह इस्टरीफिकेशन प्रतिक्रिया अनरियेक्टेड 2-एमएनआई को अलग करने के लिए लिकर अमोनिया (24 प्रतिशत) की दर से के साथ मास प्रेसीप्रिटेड होती है। यह आइसोलेटेड 2-एमएनआई सुखाया जाता है और प्रक्रिया में पुनः प्रयुक्त होता है। वाशिंग मदर लिकर को अमोनिया सल्फेट और मिक्स ग्लाइकोल निकालने के लिए बहु प्रभाव इवेपारेटर में डाला जाता है। इस फिल्टर्ड केक को पृथक्करण के लिए अंतरित किया जाता है। जहां कास्टिक सोडा फ्लेक्स और आइसमिक्स को कूड मेट्रोनिडाजोल को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह वैट कूड मेट्रोनिडाजोल चारकोल की मदद से डी कलर की जाती है और उसके बाद मेट्रोनिडाजोल को अलग करने के लिए क्रिस्टलीकृत की जाती है। अलग किये गये मेट्रोनिडाजोल को छाना जाता है। गीली सामग्री को ड्रायर में सुखाया जाता है, ड्राई शुद्ध मेट्रोनिडाजोल के रूप में उतारा और लेबल किया जाता है।
11. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और एचएस कोड 2933 29 20 के अंतर्गत आयातित किया जाता रहा है। तथापि, उक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

ग.3.1 विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

12. आवेदक ने दावा किया गया है उनके द्वारा विनिर्मित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है और कर

⁴ तदेव पैरा 9

⁵ तदेव पैरा 13

⁶ जांच शुरूआत अधिसूचना फा. सं. 6/3/2022-डीजीटीआर, "चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'मेट्रोनिडाजोल' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत", 30 सितंबर, 2022 (जिसे आगे "जांच शुरूआत अधिसूचना" कहा गया है)

https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Initiation%20Notification_%20Metronidazole%20-%20ENGLISH%20%281%29.pdf

⁷ आरती ड्रग्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) द्वारा प्रस्तुत चीन जन. गण. से "मेट्रोनिडाजोल" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु आवेदन, पैरा 21

⁸ राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. 50/2017 दिनांक 30 सीमा शुल्क- जून, 2017

⁹ आवेदक, पैरा 34

रहे हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु के संबद्ध वस्तु के “समान वस्तु” होने से संबंधित आवेदक के दावे पर कोई विवाद नहीं किया है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है।

ग.3.2 पीयूसी का दायरा

13. किसी भी पक्षकार ने आवेदक द्वारा यथा प्रस्तावित और प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत के समय यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा पर कोई विवाद नहीं किया है¹⁰। यह भी नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद ‘मेट्रोनिडाजोल’ से संबंधित पूर्ववर्ती जांच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के समान हैं¹¹। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी जांच शुरुआत के समय यथा परिभाषित पीयूसी के दायरे की पुष्टि करते हैं।

घ घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

14. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:
- क. आवेदक को नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसने पीओआई के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है¹²।
- ख. चीन जन. गण. से मेट्रोनिडाजोल के आयातों से संबंधित दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने समान परिस्थितियों में आवेदक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर कर दिया था जब आवेदक ने शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत चीन जन. गण. से मेट्रोनिडाजोल का आयात किया था¹³।
- ग. आवेदक द्वारा मेट्रोनिडाजोल संबंधी पूर्ववर्ती जांच की तीसरी निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदन को प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था कि उसने अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत चीन जन. गण. से मेट्रोनिडाजोल का आयात किया था¹⁴।
- घ. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने दावा किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका 7464/2017 में मेट्रोनिडाजोल से संबंधित पूर्ववर्ती जांच (तीसरी एसएसआर) की समाप्ति का आदेश दिया था, क्योंकि आवेदक पात्र घरेलू उद्योग नहीं था¹⁵।
- ड. मेट्रोनिडाजोल से संबंधित पूर्ववर्ती जांच के तथ्य वर्तमान जांच के समान हैं। चूंकि आरती ड्रग्स लिमिटेड को पूर्ववर्ती 2 निर्णायक समीक्षा जांचों के दौरान पात्र याचिकाकर्ता नहीं माना गया था। इसलिए उसे वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ पात्र “घरेलू उद्योग” नहीं माना जाना चाहिए¹⁶।
- च. आवेदक चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के एक उत्पादक से भी संबंधित हैं। आवेदक ने चीन की कंपनी में निवेश करना जारी रखा है और वह चीन की कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम में पहले शामिल था¹⁷।

घ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किये गये अनुरोध

¹⁰ जांच शुरुआत अधिसूचना, पैरा 3

¹¹ अंतिम जांच परिणाम सं. 17/1/99 दिनांक जुलाई 14, 2000, “चीन जनगण. से मेट्रोनिडाजोल से पाटनरोधी जांच .”, पैरा 3 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Final-Finding_24.pdf; अंतिम जांच परिणाम (निर्णायक समीक्षा) सं. 15/9/2003-डीजीएडी दिनांक 5 अप्रैल, 2006, “ चीन जन गण. के मूल के अथवा .वहां से निर्यातित मेट्रोनिडाजोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी (निर्णायक समीक्षा) जांच, पैरा 5 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_metronidazole_SSR_china.pdf; अंतिम जांच परिणाम सं. 15/18/2010डीजीएडी दिनांक 29 जून, 2012, “चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेट्रोनिडाजोल के आयातों से संबंधित लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा अंतिम जांच परिणाम –, पैरा 13 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_SSR2_metronidazole_chinaPR.pdf

¹² हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 5

¹³ तदेव पृष्ठ और 6 5

¹⁴ तदेव पृष्ठ 6

¹⁵ हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 7

¹⁶ तदेव पृष्ठ 7

¹⁷ तदेव पृष्ठ 7

15. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- क. आवेदक के अलावा भारत में विचाराधीन उत्पाद का एक अन्य घरेलू उत्पादक हैं¹⁸।
- ख. आवेदक भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का [*** प्रतिशत] हिस्सा रखता है¹⁹।
- ग. आवेदक ने पीओआई के दौरान पीयूसी का इतनी मात्रा में आयात किया है जो भारत में समान वस्तु के उत्पादन की तुलना में कुछ खास नहीं है।
- घ. आवेदक ने निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट के उत्पादन के लिए अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत आयातित किए हैं²⁰। आवेदक द्वारा किया गया संपूर्ण आयात आबद्ध रूप से खपत किया गया और घरेलू बाजार में नहीं बेचा गया है²¹।
- ङ. नियम 2(ख) के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" की पात्रता से संबंधित निर्धारण मामला विशिष्ट, कंपनी विशिष्ट, अवधि विशिष्ट और स्थिति विशिष्ट होते हैं²²। अतः पूर्ववर्ती जांचों में प्राधिकारी द्वारा निकाले गये निष्कर्षों को जोड़ने का कोई कारण नहीं है।
- च. पूर्ववर्ती जांच में आवेदक द्वारा किया गया आयात काफी अधिक था और उसके कुल उत्पादन का लगभग *** प्रतिशत था। तथापि, वर्तमान जांच में आवेदक ने संबद्ध वस्तु की मामूली मात्रा का आयात किया है जो उसके कुल उत्पादन का लगभग *** प्रतिशत है²³।
- छ. पूर्ववर्ती जांच में आवेदक ने चीन जन. गण. से [*** एमटी] मेट्रोनिडाजोल का आयात किया था जबकि वर्तमान जांच में आवेदक ने केवल [*** एमटी] का आयात किया है²⁴।
- ज. नियम 2(ख) एक अपवर्जन आधारित परिभाषा है और समावेशन आधारित परिभाषा नहीं है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के दायरे से आवेदक को केवल इसलिए बाहर कर सकते हैं कि यदि उसे बाहर रखने को उचित ठहराने वाला कोई मजबूत कारण हो²⁵।
- झ. एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत कोई घरेलू उत्पादक स्वतः घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल होता है और उसको बाहर रखने को विशिष्ट रूप से न्यायोचित ठहराना चाहिए²⁶।
- ञ. आवेदक ने तर्क दिया है कि अनेक जांचों²⁷ में प्राधिकारी ने ऐसे घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर रखा है, जहां कुल उत्पादन के संबंध में ऐसे घरेलू उत्पादक की आयात मात्रा काफी कम है²⁸।
- ट. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने दावा किया है कि आवेदक को पूर्ववर्ती जांच की तीसरी एसएसआर में घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखना वास्तव में सही है, क्योंकि आवेदक को उसमें प्राधिकारी द्वारा "घरेलू उद्योग" माना गया था।

¹⁸ आवेदन पैरा 25

¹⁹ आवेदन, अनुबंध "स्थिति"

²⁰ आवेदन पैरा 36

²¹ तदेव

²² आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 11

²³ आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 12

²⁴ आवेदक का खंडन, पैरा 18

²⁵ आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 16

²⁶ आवेदक के लिखित अनुरोध

²⁷ आस्ट्रेलिया, चीन जन. गण., ईरान, मलेशिया, रूस और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच; चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ग्लेड/अनग्लेड/ओसलीन/विट्रुफाइड टाइल्स पॉलिस्ट या अनपॉलिस्ट फिनिश में 3 प्रतिशत से कम जल अवशोषण के साथ" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच; चीन जन. गण. के मूल के/निर्यातित फ्लैट बेस स्टील व्हील के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच (कुछ मापदंड); यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी (-) पैरा हाइड्राक्सी फिनाइल, ग्लाइसीन बेस (पीएचपीजी बेस) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच; यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित 1500 सिरीज और 1700 यरिन बुटाडीन रबड़ एसबीआर से संबंधित सिरीज के स्टा पाटनरोधी जांच; चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीवीसी फ्लैक्स फिल्म क के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

²⁸ आवेदन का खंडन, पैरा और 16 15

- ठ. अन्य हितबद्ध पक्षकार का यह दावा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में पूर्ववर्ती जांच के संबंध में यह माना था कि आवेदक “घरेलू उद्योग” माने जाने के लिए अपात्र है, गलत और गुमराह करने वाला है²⁹।
- ड. यह कहना गलत है कि आवेदक की एक संबंधित कंपनी संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रही है, क्योंकि चीन की कंपनी और आवेदक के बीच पूर्ववर्ती संयुक्त उद्यम समाप्त हो गया है। इसके अलावा, दोनों कंपनियों में से किसी के द्वारा भी बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति की दृष्टि से अन्य कंपनी पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखा जाता है। इन दोनों कंपनियों की अलग लेखा पुस्तकें हैं और आवेदक ने चीन की कंपनी में अपना निवेश कम कर दिया है आदि³⁰।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किये गये अनुरोधों की निम्नानुसार जांच और समाधान किया गया है। निम्नलिखित मुद्दे आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा आवेदक की स्थिति के संबंध में उठाये गये हैं:

- क्या पीओआई के दौरान आवेदक द्वारा किये गये संबद्ध वस्तु के आयात और संबद्ध वस्तु के चीन के उत्पादक में आवेदक का निवेश उसे नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग होने से अयोग्य बनाता है ?
- क्या आवेदन के लिए एडी नियमावली के नियम 5(3) की स्थिति अपेक्षित है ?

घ.3.1 क्या पीओआई के दौरान आवेदक द्वारा किये गये संबद्ध वस्तु के आयात और संबद्ध वस्तु के एक चीनी उत्पादक में आवेदक का निवेश नियम 2(ख) के अनुसार उसे ‘घरेलू उद्योग’ होने से अयोग्य बनाता है?

17. वर्तमान जांच में आवेदक ने स्वीकृत रूप से चीन जन. गण. से [***] एमटी संबद्ध वस्तु का आयात किया है³¹। आवेदक ने यह भी माना है कि वह पहले संबद्ध वस्तु के एक चीनी उत्पादक अर्थात् हुआंगगांग गिन्हे आरती फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में था और उक्त कंपनी में उसका निवेश अब भी जारी है³²। यह भी नोट करना संगत है कि चीन जन. गण. से मेट्रोनिडाजोल के आयातों से संबंधित पूर्ववर्ती पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार आवेदक (आरती ड्रग्स लिमिटेड) को “घरेलू उद्योग” के दायरे से बाहर रखा था, क्योंकि आवेदक ने पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात किया था³³।
18. अन्य हितबद्ध पक्षकार अर्थात् हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने तर्क दिया है कि आवेदक द्वारा किये गये आयातों के कारण और मेट्रोनिडाजोल से संबंधी पूर्ववर्ती जांचों में प्राधिकारी के निष्कर्षों के आलोक में आवेदक एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग बनने के लिए अपात्र है³⁴। हुबेई ने यह भी दलील दी है कि आवेदक संबद्ध वस्तु के एक चीन के उत्पादक से संबंधित है क्योंकि उसने उक्त कंपनी में निवेश किया है और यह बात आवेदक को घरेलू उद्योग के दायरे में होने से अयोग्य बनाती है³⁵।
19. आवेदक ने तर्क दिया है कि घरेलू उत्पादक द्वारा किये गये केवल आयात उसे स्वतः घरेलू उद्योग के दायरे से घरेलू उत्पादक होने से अयोग्य नहीं बनाते हैं³⁶। आवेदक के अनुसार नियम 2(ख) में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या किसी उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने का कोई उचित कारण है और यदि नहीं, तो क्या ऐसे उत्पादक को शामिल करना चाहिए। आवेदक ने तर्क दिया है कि नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उत्पाद स्वतः ही “घरेलू उद्योग” की परिभाषा में आता है और उसे केवल तभी बाहर रखा जा सकता है यदि

²⁹ आवेदक का खंडन, पैरा 19

³⁰ आवेदक का खंडन, पैरा 20

³¹ आवेदक का खंडन, पैरा 18

³² आवेदन पैरा 37

³³ अंतिम जांच परिणाम सं15./18/2010-डीजीएडी दिनांक जून 29, 2012, “चीन जनगण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित मेट्रोनिडाजोल के .

– की निर्णायक समीक्षा आयातों से संबंधित लागू पाटनरोधी शुल्क अंतिम जांच परिणाम”, पैरा 5

https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_SSR2_metronidazole_chinaPR.pdf

³⁴ हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ और 6 5

³⁵ तदेव पृष्ठ 7

³⁶ आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 16

उसे बाहर रखने को उचित ठहराने के कारण मौजूद हों³⁷। आवेदक अनुरोध करता है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदक को बाहर रखने को उचित ठहराने के वैध कारण नहीं बताये हैं।

20. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि पूर्ववर्ती जांच से अलग जिसमें आवेदक ने अपने कुल उत्पादन का [*** प्रतिशत] आयात किया था जो वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का [***] एमटी बनता है, आवेदक ने अपने उत्पादन का केवल [*** प्रतिशत] आयात किया है जो [***] एमटी बनता है³⁸। आवेदक ने निरंतर यह भी बताया है कि उसने अपने निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्राधिकार लाइसेंस के अंतर्गत संबद्ध वस्तु का आयात किया है। यह दावा किया गया है कि आवेदक द्वारा किये गये संबद्ध वस्तु के सभी आयातों को निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में आबद्ध रूप से खपत किया गया है और उसी घरेलू बाजार में नहीं बेचा गया है³⁹।
21. संबद्ध वस्तु के चीनी उत्पादक (हुआंगगांग) में आवेदक के निवेश के संबंध में आवेदक ने बताया है कि दोनों कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम समाप्त हो गया है और वर्तमान में ऐसा कोई संयुक्त उद्यम मौजूद नहीं है। इसके अलावा, यह बताया गया है कि आवेदक के पास चीन के उत्पादक पर कोई कानूनी या प्रचालनात्मक नियंत्रण नहीं है। आवेदक ने बताया है कि उसने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में चीन के उत्पादक के संबंधित कंपनी होने के रूप में सूचना नहीं दी है, क्योंकि वह चीन के उत्पादक ने अपना निवेश लगातार कम करता जा रहा है और दानों कंपनियों के पास समेकित लेखा पुस्तकें नहीं हैं। चीन के उत्पादक ने केवल आवेदक की लेखा पुस्तकों में दीर्घावधिक निवेश दर्शाया है। चीन के उत्पादक ने भारतीय बाजार में किसी सामग्री का सीधे निर्यात नहीं किया है और आवेदक के पास निदेशक बोर्ड में कोई पद नहीं है तथा उसने चीन की कंपनी के किसी बोर्ड सदस्य की नियुक्ति नहीं की है⁴⁰।
22. प्राधिकारी स्मरण करते हैं कि एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत किसी घरेलू उत्पादक को “घरेलू उद्योग” के दायरे से तब बाहर रखा जा सकता है, यदि वह संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयातक हो या कथित पाटित वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित हो⁴¹। एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) में “माना जा सकता है”, शब्द का प्रयोग यह संकेत करता है कि प्राधिकारी के पास उस घरेलू उत्पादक को शामिल करने का भी विवेकाधिकार है जो भारत में संबद्ध वस्तु का आयातक भी हो, उसे घरेलू उद्योग के दायरे के भीतर शामिल किया जाए, या वह संबद्ध वस्तु के निर्यातक या आयातक से संबंधित हो।
23. गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड⁴² के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संसुक्ति की है कि यह प्रश्न कि क्या एक घरेलू उत्पादक जिसने संबद्ध वस्तु का आयात किया है, को एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत “घरेलू उद्योग” के दायरे से अयोग्य से माना जाए, की जांच घरेलू उत्पादक द्वारा किये गये आयातों के संबंध में उसके कार्यकलापों की प्रकृति के आधार पर करनी चाहिए। उक्त मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना था कि इसमें उत्पादक इसने संबद्ध वस्तु के अपने कुल उत्पादन के 15 प्रतिशत का आयात किया था। घरेलू उद्योग के रूप में पात्र है क्योंकि वह आयात केवल उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए किये गये थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि घरेलू उत्पादक केवल व्यापार प्रयोजनों के लिए आयात नहीं कर रहा था और इसलिए उसे एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा *सेंचुरी प्लाईवोर्ड मामले*⁴³ में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने *ईसी – फास्टनर्स (चीन)*⁴⁴ में डब्ल्यूटीओ पैनल के निर्णय को मानते हुए यह माना था कि एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत प्राधिकारी के पास कुछ

³⁷ आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 16

³⁸ आवेदक का खंडन, पैरा 18

³⁹ आवेदन पैरा 36, आवेदक के लिखित अनुरोध भी देखें, पैरा 10

⁴⁰ आवेदक का खंडन, पैरा 20

⁴¹ एडी नियमावली के नियम 2 1995(ख) का पाठन निम्नानुसार है :है

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से हैं, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

⁴² स्टेट ऑफ गुजरात फर्टिलाइजर एंड केमिकल लि प्राधिकारी और अन्य बनाम निर्दिष्ट ., 2012 एससीसीओ एनलाइन केल 8071

⁴³ सेंचुरी प्लाईवोर्ड इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, 2022 एससीसीओ एनलाइन जीएयू 643

⁴⁴ डब्ल्यू पैनल रिपोर्ट, यूरोपीय आयोग – चीन से कतिपय आयरन या स्टील फास्टनर्स संबंधी निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय, 28 जुलाई, 2011 को स्वीकृत डब्ल्यूटीडीएस397/आर

विवेकाधिकार है”.....कि वे पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित उत्पादकों या स्वयं आयातकों को “घरेलू उद्योग” की अवधारणा में शामिल करें⁴⁵।

24. आवेदक ने वर्तमान जांच के दौरान पूर्ववर्ती जांचों की तुलना में संबद्ध वस्तु की कम मात्रा (समग्र और सापेक्ष रूप से) का आयात किया है। इसके अलावा, जैसा आवेदक ने बताया संबद्ध वस्तु के सभी आयात निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्राधिकार लाइसेंस के अंतर्गत किये गये हैं। आवेदक भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में लगातार शामिल है। आवेदक की प्रकृति संबद्ध वस्तु के उत्पादक जैसी लगती है और आवेदक केवल व्यापार प्रयोजनों के लिए आयात करने वाला व्यापारी प्रतीत नहीं होता है। गुजरात फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड⁴⁶ के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के आलोक में प्राधिकारी मानते हैं कि जांच अवधि के दौरान आवेदक द्वारा किये गये आयात एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार उसे घरेलू उद्योग मानने से अयोग्य नहीं ठहराते हैं।
25. संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के एक उत्पादक (हुआंगगांग यिन्हे आरती फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड) के साथ आवेदक के संबंध के बारे में आवेदक ने बताया है कि उसने हुआंगगांग को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक संबंधित कंपनी नहीं बताया है। वह हुआंगगांग में अपने निवेश को निरंतर कम रहा है, दोनों कंपनियों की समेकित लेखा पुस्तकें नहीं हैं। हुआंगगांग को आवेदक की लेखा पुस्तकों में केवल एक दीर्घावधिक निवेश के रूप में दर्शाया गया है, हुआंगगांग ने भारतीय बाजार में किसी सामग्री का सीधे निर्यात नहीं किया है और आवेदक के पास निदेशक बोर्ड में कोई पद नहीं है और न ही उसने हुआंगगांग के किसी बोर्ड सदस्य की नियुक्ति की है⁴⁷। आवेदक ने एक पत्र भी दिया है। इसमें यह बताया गया है कि उसके पास यिन्हे आरती फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड हुआंगगांग में केवल *** प्रतिशत का हिस्सा है और उक्त कंपनी के प्रबंधन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है⁴⁸। इस पत्र में यह भी बताया गया है कि दोनों कंपनियों के बीच कोई साझे निवेशक, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति नहीं हैं। इसके अलावा, पत्र में कहा गया है कि आवेदक की शेयरधारिता उसे हुआंगगांग में बोर्ड के किसी सदस्य की नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देती है।
26. सेंचुरी प्लाई बोर्ड में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय⁴⁹ के आलोक में प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक से आवेदक का संबंध आवेदक को एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग होने से अयोग्य नहीं बनाता है।
27. अतः प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है।

घ.3.2 क्या आवेदन में एडी नियमावली के नियम 5(3) की शर्तें अपेक्षित हैं?

28. एडी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार पाटनरोधी जांच के लिए आवेदन “घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से” किया जाना चाहिए। एडी नियमावली के नियम 5(3) में स्थिति की सुरक्षा में निम्नलिखित 2 स्थितियां होती हैं:
 - i. आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादक के पास भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होना चाहिए⁵⁰ और
 - ii. आवेदन ऐसे उत्पादकों द्वारा समर्थित होना चाहिए जिनका सामूहिक उत्पादन घरेलू उद्योग के उस हिस्से द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक बनता हो, जो आवेदन का स्पष्ट रूप से या तो समर्थन या विराध करते हों⁵¹।

⁴⁵ सेंचुरी प्लाईबोर्ड, 2022 एससीसीओ एनलाइन जीएयू 643, पैरा 54

⁴⁶ स्टेट ऑफ गुजरात फर्टिलाइजर एंड केमिकल लि. 2012 एससीसीओ एनलाइन सीएल 8071

⁴⁷ आवेदक का खंडन, पैरा 20

⁴⁸ आरती ड्रम्स लिमिटेड से पत्र दिनांक जुलाई 27, 2023

⁴⁹ सेंचुरी प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य एससीसीओ एनलाइन जीएयू 643 2022

⁵⁰ एडी नियमावली के नियम 5(3)(क) ये परंतुक का पाठ निम्नानुसार है:

बशर्ते कि कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी यदि आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन के प्रतिशत 25 रखते होंसे कम हिस्सा, और

⁵¹ एडी नियमावली के नियम 5(3) के स्पष्टीकरण का पाठ निम्नानुसार है

29. आवेदक ने बताया है कि इसके अलावा, मेसर्स यूनिकेम लेबोरेटरीज ने भी भारत में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता है⁵²। आवेदक ने बताया है कि मेसर्स यूनिकेम लेबोरेटरीज भारत में पीयूसी की बिक्री नहीं करता है और उसका पीयूसी का समस्त उत्पादन निर्यात प्रचालनों के लिए होता है⁵³। निम्नलिखित तालिका जांच शुरूआत के समय विचार किये गये समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों के उत्पादन के आंकड़े दर्शाती है

क्र. सं.	घरेलू उत्पादक का नाम	उत्पादक की स्थिति	उत्पादन मात्रा*	उत्पादन हिस्सा*	उत्पादन हिस्सा रेंज
1	आरती ड्रग्स लिमिटेड	आवेदक	*** एमटी	***%	80-85%
2	यूनिकेम लेबोरेटरीज	तटस्थ	*** एमटी	***%	15-20%
3	कुल		*** एमटी	***%	100%

* जांच अवधि अर्थात् (अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022) के दौरान आंकड़े।

30. यह देखा गया है कि आवेदक का कुल घरेलू उत्पादन में हिस्सा पीओआई के दौरान पात्र घरेलू उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक था। इस प्रकार नियम 5(3)(क) में निर्धारित अपेक्षा की पहली शर्त पूरी हो गई है। दूसरी शर्त के संबंध में यह नोट किया जाता है कि केवल ऐसे घरेलू उत्पादकों की मात्रा पर विचार किया जाए जो आवेदन का या तो स्पष्ट समर्थन या विरोधी करते हैं। चूंकि अन्य पात्र उत्पादक ने जांच शुरूआत के समय आवेदन का स्पष्ट विरोधी नहीं किया है। इसलिए यह निष्कर्ष माना जा सकता है कि आवेदन ऐसे घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित है जिनका सामूहिक उत्पादन उन उत्पादकों के बीच उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक बनता है जिन्होंने आवेदन का "समर्थन या विरोध" किया था। इस प्रकार एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) की दूसरी शर्त की अपेक्षा भी पूरी हो गई थी।
31. तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक एडी नियमावली 1995 के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और यह मानते हैं कि आवेदन एडी नियमावली 1995 के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

32. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

स्पष्टीकरणदकों द्वारा समर्थित इस नियम के प्रयोजनार्थ आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया माना जाएगा यदि वह ऐसे घरेलू उत्पाद - दित द्वारा उत्पादन घरेलू उद्योग के उस हिस्सेहों जिनका सामूहिक उत्पा समान वस्तु के कुल उत्पादन का रूप से आवेदन पटने स्पष्टीकरण से अधिक बनता हो जिन्होंने 50 का समर्थन या विरोध, जैसा भी मामला हो, किया हो।

⁵² आवेदन पैरा 30

⁵³ तदेव

33. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने गोपनीयता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकार और घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और आंकड़ों की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं अपेक्षित हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। पक्षकारों को उनके अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल के जरिये शेयर करने का निर्देश दिया गया था।

बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमई), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमई) और सामान्य मूल्य

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

34. चीन जन. गण. के बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं⁵⁴:
- क. डब्ल्यूटीओ में चीन का एक्सेसन प्रोटोकाल 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया और इसलिए चीन जन. गण. को एक बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए।
 - ख. ईसी – फास्टनर्स (चीन) मामले में अपीलीय निकाय ने माना है कि चीन जन. गण. को डब्ल्यूटीओ के चीन के एक्सेसन प्रोटोकाल के अनुच्छेद 15 की समाप्ति पर स्वतः ही बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा मिल गया है।
 - ग. डब्ल्यूटीओ करार और डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकाल की सही भावना से व्याख्या की जानी चाहिए और “करार को बनाये रखने” के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। भारत का दायित्व है कि वह चीन के एक्सेसन प्रोटोकाल के अनुच्छेद 15 की समाप्ति के बाद चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करे।
 - घ. विभिन्न अन्य क्षेत्राधिकारों जैसे ईयू और यूएसए ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकाल के अनुच्छेद 15 की समाप्ति के बाद चीन को एक बाजार अर्थव्यवस्था देश माना है।
 - ड. करार बनाने वालों का आशय चीन जन. गण. को केवल 15 वर्षों के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे तक सीमित रखना था।
 - च. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन की बातचीत के समय ईयू और यूएसए की समझ यह थी कि चीन का गैर-बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार केवल 15 वर्षों के लिए मौजूद रहेगा।
 - छ. इस बात पर विचार किये बिना कि चीन जन. गण. को भारत में घरेलू कानून में कैसे वर्गीकृत किया जाता है, चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था देश मानने का एक अंतराष्ट्रीय दायित्व है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

35. घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. के बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं⁵⁵:
- क. यद्यपि डब्ल्यूटीओ में चीन का एक्सेसन प्रोटोकाल का अनुच्छेद 15(क)(ii) डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन के तारीख से 15 वर्ष में समाप्त हो गया है, परंतु चीन के एक्सेसन प्रोटोकाल का अनुच्छेद 15(क)(i) अब भी लागू है और चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानने की अनुमति देता है।
 - ख. चीन के उत्पादकों को साक्ष्य सहित यह सिद्ध करना चाहिए कि उनके बाजार अर्थव्यवस्था के दावे को स्वीकार करने के लिए उनके देश में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं।

⁵⁴ हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ से 22 17

⁵⁵ आवेदन पैरा से 48 41

- ग. चीन के उत्पादकों/निर्यातकों की घरेलू बिक्री कीमत को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक यह सिद्ध न हो सके के लागत और घरेलू कीमतें उचित हैं और विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत को तर्कसंगत ढंग से दर्शाती है।
- घ. ऐसी स्थिति में घरेलू लागत और कीमत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जहां लागत और कीमत के निर्धारण में राष्ट्रका हस्तक्षेप हो।
- ङ. घरेलू लागत और कीमत को तब तक नहीं अपनाया जा सकता जब तक प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध न करें कि उनकी प्रमुख निविष्टियों की कीमतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य दर्शाती हैं। ऐसी स्थिति में जहां चीन के उत्पादक दावा करते हैं कि कच्ची सामग्री की कीमत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमतों से काफी कम हैं, वहां यह निष्कर्ष होना चाहिए कि प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा सूचित निविष्टि की कीमतों में गड़बड़ी है।
- च. घरेलू लागत और कीमत को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध न करें कि चीन के जीएएपी और अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार उनकी बही पुस्तकें लेखा परीक्षित हैं।
- छ. प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा दावा की गई लागत की उपयुक्तता की जांच की जानी चाहिए।
- ज. इस बारे में कोई तर्कसंगत सूचना उपलब्ध नहीं है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में संबद्ध वस्तु की कीमत या भारत सहित अन्य देशों को ऐसे तीसरे देश से कीमत के संबंध में कोई तर्कसंगत सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः सामान्य मूल्य को उत्पादन लागत तथा बिक्री और सामान्य प्रशासन तथा लाभ के लिए उपयुक्त योग सहित परिकलित किया जाए।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. यह नोट किया गया है कि हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल ने चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था देश मानने का तर्क दिया है। यह तर्क इस बात पर आधारित है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(ii) के 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त होने पर डब्ल्यूटीओ सदस्य (भारत सहित) चीन को बाजार अर्थव्यवस्था देश मानने के दायित्व के अधीन है। हुबेई ने ईसी – फास्टनर्स⁵⁶ मामले में अपने दावे को सही सिद्ध करने के लिए डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय रिपोर्ट पर हुबेई ने भरोसा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईसी – फास्टनर्स में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट पर हुबेई का भरोसा गलत धारणा है। अपीलीय निकाय के समक्ष उस विवाद में मौजूद प्रश्न सामान्य मूल्य की गणना से संबंधित नहीं था बल्कि निर्यात कीमत की गणना से संबंधित था⁵⁷।

37. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) *जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:*

(i) *यदि जांचाधीन उत्पादक साफसाफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में - उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो ,उस उत्पाद के विनिर्माण*

⁵⁶ अपीलीय निकाय रिपोर्ट यूरोपीय समुदाय – चीन से कतिपय आयरन या स्टील फास्टनर्स पर निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय, डब्ल्यूटीडीएस 393//एबीआर 28 / जुलाई, 2011 को स्वीकृत था।

⁵⁷ तदेव, पैरा 288: "हम नहीं मानते हैं कि उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए पैराग्राफ 15(क) (i) और (ii) का संदर्भ दिया जाए कि किसी उत्पाद के "विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में की स्थिति विद्यमान होंवस्थाबाजार अर्थव्यवस्था", की पैराग्राफ 15 (क) निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में किसी विपथन की अनुमति देता है।हमारा निष्कर्ष यह है कि क्योंकि जब उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति (द की बिक्री के बारे में सहितउत्पाद), विद्यमान है तो पैराग्राफ 15(क) इस बात को स्पष्ट क रूप केवल उसके परिणामस्वटीओ सदस्यकरता है कि कोई आयातक डब्ल्यू यह कर सकता है कि "ऐसी पद्धति का उपयोग करे जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों की कड़ी तुलना में पर आधारित नहीं हो" (इस पर जोर दिया जाता है)।

निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है। साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि - यदि जांचाधीन उत्पादक साफ, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद, विनिर्माण उस उत्पाद के का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तथापि राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में जहां व्यवहार्य हो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ, सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उपके अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति (क) पैरा- के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज (ख) और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

- (घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।”

38. चीन जन. गण. को गैर- बाजार अर्थव्यवस्था मानना केवल अनुच्छेद 15(क)(ii) के कारण नहीं है – जिसके हुबेई ने 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त होने का दावा किया है – परंतु अनुच्छेद 15 के शेष पार्ट से भी आता है अर्थात गैट 1994⁵⁸ के अनुच्छेद vi में निर्धारित उक्त पैराग्राफ का (क) तथा व्यापक नियम और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 2.2.1.1।, गैट अनुच्छेद vi और पाटनरोधी करार अनुच्छेद 2.2.1.1 के साथ पठित चीन के एक्सेसनप्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 से उत्पन्न वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहियों के अनुसार चीन जन. गण. को एमएनई मानने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) समाप्त हो गया है। तथापि चीन के डब्ल्यूटीओ में एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (i) के साथ पठित पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 2.2.1.1 दर्शाता है कि चीन जन. गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि चीन जन. गण. में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। एडी नियमावली के अनुबंध I का पैरा 8 निर्धारित करता है कि कोई देश जिसे गैर- बाजार अर्थव्यवस्था देश निर्धारित या माना गया है, को गैर- बाजार अर्थव्यवस्था माना जाता है। ऐसे देश से निर्यातक प्राधिकारी द्वारा जारी पूरक प्रश्नावली के उत्तर के प्रपत्र में एडी नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 8(3) में निर्धारित सूचना/साक्ष्य देकर इस मान्यता का खंडन कर सकते हैं। अतः यह सिद्ध करने का दायित्व अन्य हितवद्ध पक्षकार पर है कि संबद्ध देश में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूद है।

39. प्राधिकारी की चीन जन. गण. को गैर- बाजार अर्थव्यवस्था मानने की संगत प्रक्रिया रही है। यह नोट किया जाता है कि क्योंकि चीन जन. गण. से प्रतिवाद उत्पादक/निर्यातक ने इस धारणा पर प्रश्न उठाने के लिए एमईटी/पूरक

⁵⁸ अनुबंध I एक से गैट अनुच्छेद vi के लिये दूसरा एड नोट देखें जिसका पाठन निम्नानुसार है:

2. यह माना जाता है कि ऐसे देश से आयात के मामले में जिसमें अपने व्यापार की पूर्ण या काफी अधिक पूर्ण एकाधिकार मौजूद हैं और जहां सभी घरेलू कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, वहां पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ कीमत तुलनीयता निर्धारित करने में विशेष कठिनाईयां मौजूद हो सकती हैं।¹ और ऐसे मामलों में आयातक संविदाकारी पक्षकार इस संभावना पर विचार करना आवश्यक मान सकता है कि ऐसे किसी देश ने घरेलू कीमतों के पास कड़ी तुलना हमेशा उचित नहीं हो सकती है।

प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति चीन जन. गण. में मौजूद है, इसलिए सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, जिसका पाठन निम्नानुसार है:

“7. “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”

40. यह नोट किया जाता है कि एडी नियमावली के अनुबंध – I के पैराग्राफ 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य की तीन पद्धतियां निर्धारित हैं: (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर; (ख) ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत; और (ग) कोई अन्य तर्कसंगत आधार। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एडी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य मूल्य को पहले किसी प्रतिनिधि देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। तथापि, जब ऐसा आधार उपलब्ध न हो तो केवल तब प्राधिकारी भारत में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं⁵⁹।
41. यह नोट किया जाए कि पहली और दूसरी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए पक्षकारों द्वारा कोई सूचना/साक्ष्य नहीं दिया गया है। बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पादित संबंधित वस्तु की कीमत या परिकलित मूल्य के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिसके अलावा वह एचएस कोड जिसके अंतर्गत पीयूसी का आयात हो रहा है, उसमें भी अन्य उत्पाद वस्तु के निर्यात कीमत ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि संगत एचएस कोड जिसके अंतर्गत पीयूसी का आयात हो रहा है, के लिए निर्यातक आंकड़ों में भी अन्य उत्पाद शामिल हैं, जो पीयूसी के दायरे में नहीं आते हैं। प्राधिकारी के पास कोई सार्वजनिक आंकड़े भी उक्त दो पद्धतियों से सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उपलब्ध नहीं हैं। उक्त सूचना/साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी के लिए पहली या दूसरी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है। अतः प्राधिकारी ने तीसरी पद्धति वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित करने का निर्णय लिया है। प्राधिकारी ने भारत में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है।

छ निर्यात कीमत

छ.1 हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल के लिए निर्यात कीमत

42. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि हुबेई चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक और निर्यातक है। हुबेई ने पीओआई के दौरान भारत में अपने असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे 199 एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। हुबेई ने अपेक्षित ढंग और तरीके से संगत सूचना दी है और समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन, अन्य संबंधी व्यय, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समयोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने दावों की जांच के लिए हुबेई द्वारा प्रस्तुत सूचना का डेस्क सत्यापन किया है और तदनुसार दावों की अनुमति दी है। हुबेई के लिए कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत को आवश्यक समयोजनों की अनुमति के साथ निर्धारित किया गया है और उसे नीचे पाठन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

छ.2 चीन जन. गण. से सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

⁵⁹ शेन्यांग माल्सोसिता एस बैट्री लिमिटेड बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य, (2005) चीन एससीसी 39, पैराग्राफ देखें। 7

43. चीन जन. गण. से सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में इसका उल्लेख किया गया है।

ज. पाटन और पाटन मार्जिन का निर्धारण

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

44. घरेलू उद्योग ने पाटन और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

- क. पाटन और क्षति विश्लेषण के लिए अप्रैल से सितंबर, 2021 को शामिल करना अनुचित है, क्योंकि अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 में अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 की तुलना में कम पाटन हुआ था⁶⁰।
- ख. पाटन मार्जिन को सौदावार निर्यात कीमत के साथ भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए⁶¹।
- ग. एडी नियमावली का अनुबंध-1 और पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 2.4.2 प्राधिकारी को भारित औसत सामान्य मूल्य के साथ अलग निर्यात सौदे कीमत की तुलना द्वारा यह पाये जाने पर पाटन मार्जिन परिकलित करेंगे कि निर्यात कीमत की प्रवृत्ति विभिन्न खरीदों, क्षेत्रों या समयावधि में बिल्कुल अलग-अलग है और यदि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है कि ऐसे अंतरों पर विचार क्यों नहीं किया जा सकता है⁶²।
- घ. 2020-21 तक आयातों की निवल समायोजित सीआईएफ कीमत (कच्ची सामग्री की कीमतों के लिए सयोजित आधार वर्ष की सीआईएफ कीमत) वास्तविक आयात कीमत से कम थी⁶³।
- ड. चीन के उत्पादकों ने अपनी कीमतें कच्ची सामग्री की कीमतों में परिवर्तन से अधिक बढ़ा दी हैं और घरेलू बाजार में पाटन नहीं कर रहे थे। तथापि, 2021-22 के पूर्वाध में कच्ची सामग्री की कीमत और आयात कीमत दोनों में वृद्धि हुई, परंतु बढ़ी हुई आयात कीमत कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के क्रम में नहीं थी⁶⁴।
- च. 2021-22 के पूर्वाध में पाटन मार्जिन सकारात्मक था। तथापि, चूंकि इस अवधि के दौरान आयातों की मात्रा कम थी इसलिए आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा था⁶⁵।
- छ. 2020-21 के उत्तरार्ध में जब कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि हुई तो निर्यात कीमत घट गई और पाटन मार्जिन बढ़ गया। यह दर्शाता है कि निर्यात कीमतों की प्रवृत्ति विभिन्न अवधियों में काफी अलग-अलग रही है⁶⁶।
- ज. पूर्वाध में लगभग कोई आक्रामक कीमत नहीं होने से निर्यातकों ने 2021-22 के उत्तरार्ध में आक्रामक पाटन का सहारा लिया है⁶⁷।
- झ. पीओआई के पूर्वाध और उत्तरार्ध में अलग-अलग अवधि में निर्यात कीमत की भिन्न प्रवृत्ति को औसत अनुसार निर्धारण द्वारा संबोधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निर्यात कीमतें कच्ची सामग्री की कीमतों से तालमेल नहीं रखती हैं⁶⁸।
- ञ. पीओआई के पूर्वाध में पीओआई की उत्तरार्ध की तुलना में पाटन मार्जिन में भारी अंतर है⁶⁹।

⁶⁰ आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 17

⁶¹ तदेव, पैरा 18

⁶² आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 20 18

⁶³ तदेव, पैरा 23

⁶⁴ तदेव, पैरा 23

⁶⁵ तदेव

⁶⁶ तदेव, पैरा 24

⁶⁷ तदेव, पैरा 24

⁶⁸ तदेव, पैरा 25

⁶⁹ तदेव, पैरा 27

- ट. आवेदक ने अपीलीय निकाय के निर्णय⁷⁰ का उल्लेख किया है और यूएस – वाणिज्य विभाग⁷¹ और ईयू⁷² द्वारा की गई जांचों का संदर्भ देकर यह तर्क दिया है कि यदि निर्यात कीमतों में अलग-अलग अवधि में भारी अंतर का रुझान हो तो जांचकर्ता प्राधिकारी ऐसे रुझान के कारणों पर विचार किये बिना निर्यात कीमत के प्रत्येक सौदे के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना को अपना सकते हैं⁷³।
- ठ. आवेदक ने कोठारी सुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट के आदेश का उल्लेख किया है इसमें यह माना गया था कि यदि किसी विशिष्ट कीमत स्तर पर आयात की मात्रा इतनी अधिक है कि उससे घरेलू बिक्री कीमत पर पूरा प्रभाव पड़ सकता है तो विश्लेषण को आवश्यक महत्व देने के लिए उस पर विचार किया जाना चाहिए⁷⁴।
- ड. यूएस – विभेदात्मक कीमत निर्धारण पद्धति⁷⁵ मामले में पैनल ने प्राधिकारियों को सौदावार निर्यात कीमत के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना करते समय शून्य पद्धति के प्रयोग की अनुमति दी है⁷⁶।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

45. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पाटन मार्जिन के परिकलन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- क. आवेदक ने आरंभ में 6 महीने की जांच अवधि प्रस्तावित की थी। तथापि, जांच की शुरुआत करते समय प्राधिकारी ने 12 महीने की पीओआई अपनाई थी। तथापि, आवेदक एक बार फिर सामान्य मूल्य की गणना के समय 6 महीने की जांच अवधि पर विचार करने का अनुरोध कर रहा है⁷⁷।
- ख. व्यापार उपचार जांच की प्रचालन प्रक्रिया के मैनुअल के अनुसार एक बार पीओआई निर्धारित होने पर बाद में उसे बदला नहीं जा सकता है⁷⁸।
- ग. प्राधिकारी ने अपने विवेक से 12 महीने की पीओआई तय की है और इसलिए उसे बदलने का कोई कारण नहीं है⁷⁹।
- घ. पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और शुल्क की दर के आकलन के प्रयोजनार्थ समग्र रूप से पीओआई का विश्लेषण करना प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया रही है⁸⁰।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

46. पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध-1 का पैराग्राफ 6(iv) का पाठ निम्नानुसार है:

⁷⁰ अपीलीय निकाय रिपोर्ट अमरीका – कतिपय पद्धतियां और चीन के मामले में पाटनरोधी कार्रवाई में उनके प्रयोग, डब्ल्यूटीडीएस 741//एबीआर और एड वन/, 22 मई, 2017 को स्वीकृत, डीएसआर 2017: III पृष्ठ 1423; अपीलीय निकाय रिपोर्ट, अमरीका – कोरिया से बड़े रेजिडेंसियल वॉसर पर पाटनरोधी और प्रतिस्तुलनकारी उपाय डब्ल्यूटीडीएस 464//एबीर तथा एड वन 26 सितंबरआ/, 2016 को स्वीकृत, डीएसआर 2016: वी पृष्ठ 2275

⁷¹ कोरिया गणराज्य से बड़े रेजिडेंसियल वॉसर की पाटनरोधी शुल्क जांच के लिए मुद्दे और निर्णय जापान (ए-580868), संयुक्त राज्य वाणिज्य विभाग

⁷² कोरिया गणराज्य के मूल के साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर के आयातों पर अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने वाला 28 फरवरी, 2006 का आयोग विनियम (ईसी) संख्या 35 355/2006; ताईवान के मूल के रिकार्ड एबल कैम्पैक्ट डिस्क के आयातों पर लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क और अंतिम सामूहिक निश्चयात्मक शुल्क लागू करने वाला जून 14, 2002 का परिषद विनियम 1050(ईसी) संख्या/2002; भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, ताईवान और थाईलैंड के मूल के कतिपय पॉलिथीलीन टैरिफ थलेट के आयातों पर लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क और अंतिम शुल्क को निश्चित रूप से एकत्र करने वाला नवंबर 27, 2000 का परिषद विनियम (ईसी) संख्या 2604/2000 चीन जन. गण. , कोरिया गणराज्य और ताईवान के मूल के कतिपय इलेक्ट्रॉनिक वेयिंग स्केल (आरईडब्ल्यूएस) के आयातों पर 2000, नवंबर 27 वाला पाटनरोधी शुल्कयात्मनिश्च का परिषद विनियम (ईसी) संख्या 2605/2000; रूस और तुर्की से आयरन और स्टील के कतिपय ट्यूब और पाइप सेटिंग के आयातों पर लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क और निश्चयात्मक अंतिम शुल्क संग्रहित करने वाला 17 जनवरी 2013 का परिषद यनकार्यान्व विनियम (ईयू) संख्या 78/2013

⁷³ तदेव, पैरा 28 से 31

⁷⁴ आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 34

⁷⁵ पैनल रिपोर्ट, अमरीका, कनाडा से साफ्टवुड लुंबर के लिए विभेदात्मक कीमत निर्धारण पद्धति अपनाने के लिए पाटनरोधी उपाय, डब्ल्यूटीडीएस 534//आर तथा एड वन अप्रैल 9, 2009 को डब्ल्यूटीओ सदस्यों को परिचालित, 4 जून, 2019 को अपील किया गया था।

⁷⁶ तदेव, पैरा 35

⁷⁷ हुबेई के खंडन अनुरोध

⁷⁸ तदेव, पृष्ठ 2

⁷⁹ तदेव

⁸⁰ हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 7

“इस पैराग्राफ में तुलना को शासित करने वाले प्रावधानों के अधीन जांच चरण के दौरान पाटन मार्जिन की मौजूदगी को सामान्यतः सौदावार आधार पर भारित औसत सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।” भारित औसत आधार पर निर्धारित सामान्य मूल्य की तुलना तब अलग निर्यात सौदों की कीमत के लिए की जा सकती है, यदि यह पाया गया हो कि निर्यात कीमतों का रुझान भिन्न-भिन्न खरीददारों, क्षेत्रों या समयाधियों के लिए काफी अलग-अलग है और यदि इस बात का कोई स्पष्टीकरण न हो कि ऐसे अंतर को भारित औसत के प्रयोग या सौदावार तुलना द्वारा उचित ढंग से विचार नहीं किया जा सकता है⁸¹।

47. पाटन के निर्धारण और पाटन मार्जिन की गणना के लिए उक्त प्रावधानों में तीन पद्धतियां दी गई हैं।
- सौदावार आधार पर अलग-अलग निर्यात कीमतों के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य की तुलना द्वारा (जिसे आगे टी-टी पद्धति का गया है)।
 - भारित औसत निर्यात कीमत से भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना द्वारा (जिसे आगे डब्ल्यू-डब्ल्यू पद्धति भी कहा गया है); या
 - भारित औसत सामान्य मूल्य से अलग-अलग निर्यात सौदों की तुलना द्वारा (जिसे आगे डब्ल्यू-टी पद्धति भी कहा गया है)
48. नियमावली के पैराग्राफ 6(iv) के अनुसार डब्ल्यू-टी पद्धति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब यह पाया जाता है कि निर्यात सौदों में ऐसी प्रवृत्ति है जो विभिन्न खरीददारों, क्षेत्रों या समयाधियों के बीच काफी अलग-अलग हो और ऐसे अंतर को डब्ल्यू-डब्ल्यू पद्धति या टी-टी पद्धति द्वारा ध्यान में नहीं लिया जा सकता है।
49. आवेदक ने बताया है कि पाटन और क्षति विश्लेषण के लिए अप्रैल से सितंबर, 2021 (जिसे आगे पीओआई का पूर्वाध दर्शाने के लिए “एच1” कहा गया है) को शामिल करना अनुचित है, क्योंकि अप्रैल से सितंबर, 2021 में अक्टूबर से मार्च, 2022 (जिसे आगे पीओआई से उत्तरार्ध को दर्शाने के लिए एच2 कहा गया है) की तुलना में कम रहा था⁸²। अतः आवेदक ने प्राधिकारी से अलग-अलग निर्यात सौदों के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना द्वारा पाटन मार्जिन की गणना का अनुरोध किया है⁸³।
50. आवेदक ने बताया है कि पीओआई के उत्तरार्ध की तुलना में पूर्वाध में निर्यात कीमत में काफी अंतर का रुझान रहा है। आवेदक ने बताया है कि निवल समायोजित सीआईएफ कीमत (कच्ची सामग्री कीमत के साथ समायोजित आधार वर्ष की सीआईएफ कीमत) वास्तविक आयात कीमत से कम थी। आवेदक के अनुसार इसका अर्थ है कि चीन के उत्पादकों ने वास्तव में कच्ची सामग्री की लागत में बदलाव से अधिक अपनी कीमत में वृद्धि की है और वे व्यावहारिक रूप से घरेलू बाजार में पाटन नहीं कर रहे थे। यह तर्क दिया गया था कि एच1 में कच्ची सामग्री की लागत और आयात कीमत दोनों में वृद्धि हुई, परंतु आयात कीमत में वृद्धि कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के क्रम में नहीं थी⁸⁴। आवेदक ने अपने दावों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित तालिका प्रस्तुत की है।

क्र. सं.	विवरण	सीआईएफ कीमत (रु./एमटी)	कच्ची सामग्री की लागत (रु./एमटी)	समायोजित सीआईएफ कीमत (रु./एमटी)	अंतर (रु./एमटी)
1.	2018-19	***	***	***	***
2.	2019-20	***	***	***	***
3.	2020-21	***	***	***	***

⁸¹ पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध 1 तथा डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 2.4.2

⁸² आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 17

⁸³ आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 21

⁸⁴ आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 23

4.	पीओआई- एच1	***	***	***	***
5.	पीओआई- एच2	***	***	***	***
6.	पीओआई (2021-22)	***	***	***	***

51. उक्त ऊपर उल्लिखित तालिका के आधार पर आवेदक के तर्क व्यवहार्य नहीं हैं, क्योंकि समायोजित सीआईएफ कीमत के परिकलन में यद्यपि आवेदक चालू वर्ष की कच्ची सामग्री लागत को जोड़ रहा है, परंतु समायोजित सीआईएफ कीमत ज्ञात करने के लिए वह पूर्ववर्ती वर्ष की अन्य लागत को जोड़ रहा है। उदाहरण के लिए 2019-20 के लिए सीआईएफ कीमत और कच्ची सामग्री में *** (कच्ची सामग्री से इतर लागत) का अंतर है। 2020-21 के लिए समायोजित सीआईएफ कीमत की गणना के लिए आवेदक ने 2020-21 की कच्ची सामग्री की लागत के लिए 2019-20 की इस "कच्ची सामग्री से इतर लागत" (5,31,801) को जोड़ा है ताकि *** आंकड़े तक पहुंचा जा सके। यह मान्यता थी "कच्ची सामग्री से इतर लागत" अगल वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी। अनुचित ढंग से मानी गई है।
52. आवेदक ने यह भी बताया है कि 2021-22 के उत्तरार्ध में निर्यात कीमत में तब गिरावट आई जब वास्तव में कच्ची सामग्री कीमत बढ़ी थी; अतः इस अवधि के दौरान पाटन मार्जिन के बढ़ने का आरोप लगाया गया था। आवेदक दावा करता है कि इससे यह पता चलता है कि निर्यात कीमत में अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न होने का रुझान है। आवेदक ने बताया है कि पीओआई के पूर्वाध में लगभग कोई आक्रामक कीमत नहीं होने से निर्यातकों ने उत्तरार्ध में आक्रामक पाटन को अपनाया है⁸⁵। आवेदक ने अपने दावे को दर्शाने के लिए निम्नांकित तालिका प्रस्तुत की है।

क्र. सं.	विवरण	कच्ची सामग्री की लागत (रू./एमटी)	आयात कीमत सीआईएफ (रू./एमटी)
1.	पीओआई – पूर्वाध	***	***
2.	पीओआई – उत्तरार्ध	***	***
3.	परिवर्तन रू./एमटी	***	***
4.	परिवर्तन %	***	***

53. आवेदक ने यह भी बताया है कि विभिन्न समयावधि के बीच निर्यात कीमत एक प्रवृत्ति में उक्त अंतर को डब्ल्यू-डब्ल्यू पद्धति अपनाकर समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निर्यात कीमत में कच्ची सामग्री की कीमत से तालमेल नहीं रहा है⁸⁶। आवेदक ने दावा किया है कि पीओआई के पूर्वाध में पाटन मार्जिन केवल 5 प्रतिशत था जो पीओआई के उत्तरार्ध में बढ़कर 24 प्रतिशत हो गया⁸⁷। आवेदक ने अपने दावे दर्शाने के लिए निम्नांकित तालिका प्रस्तुत की है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	पीओआई-एच1	पीओआई-एच2	2021-22
1.	सामान्य मूल्य	डॉलर/एमटी	***	***	***
2.	निवल निर्यात कीमत	डॉलर/एमटी	***	***	***
3.	पाटन मार्जिन	डॉलर/एमटी	***	***	***
4.	पाटन मार्जिन	%	5%	24%	20%

⁸⁵ आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 24

⁸⁶ आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 25

⁸⁷ तदेव, पैरा 27

54. आवेदक ने यह तर्क देने के लिए यूएस – पाटनरोधी पद्धतियां (चीन) में अपीलीय निकाय के निर्णय पर भरोसा किया है कि जांचकर्ता प्राधिकारी के पास यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार होता है कि कौनसी पद्धति अपनाई जाए। जब तक जांचकर्ता प्राधिकारी “निर्यात कीमत की उस प्रवृत्ति की पता लगाते हैं जो विभिन्न खरीददारों, क्षेत्रों या समय में काफी अलग-अलग होती है:

“5.22.... तदनुसार जांचकर्ता प्राधिकारी किसी प्रवृत्ति की मौजूदगी निर्धारित करने में प्रयोग करने के लिए अपनी इच्छानुसार पद्धति या साधन के संबंध में विवेकाधिकार का एक मार्जिन रखते हैं। तथापि, प्रयुक्त पद्धति पर विचार किये बिना जांचकर्ता प्राधिकारियों के लिए निर्यात कीमत की ऐसी प्रवृत्ति का पता लगाना अपेक्षित है जो अनुच्छेद 2.4.2 के दूसरे वाक्य के अर्थ के भीतर और पाटनरोधी करार के अंतर्गत उनके दायित्वों से संगत विभिन्न खरीददारों, क्षेत्रों या समयावधियों के लिए काफी अलग-अलग हो।”

55. आवेदक ने यह भी तर्क दिया है कि प्राधिकारी के लिए निर्यात कीमत में ऐसे अंतरों के कारण की पहचान करना अपेक्षित नहीं है और उनके लिये केवल यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या निर्यात कीमत में कोई प्रवृत्ति मौजूद है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि यदि यह पाया जाता है कि निर्यात कीमत में कोई प्रवृत्ति है तो प्राधिकारी के पास पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु किसी उचित पद्धति को अपनाने का विवेकाधिकार है⁸⁸। आवेदक ने यूएस – वाशिंग मशीन में डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय और कोरिया गणराज्य⁸⁹ से बड़े रेजिडेंसियल वॉसर्स के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में यूएसडीओसी के मुद्दों और निर्णय ज्ञापन पर अपनी दलील के समर्थन में भरोसा किया है। अपीलीय निकाय की संमुक्तियां निम्नानुसार हैं:

“5.65. अनुच्छेद 2.4.2 के दूसरे वाक्य के पाठ में कीमतों में अंतर की पीछे की प्रेरणा, या आशय की जांच करना अनिवार्य भी नहीं है। इस प्रकार हम अमरीका के इस तर्क में सच्चाई देखते हैं कि अनुच्छेद 2.4.2 के दूसरे वाक्य के अंतर्गत जांचकर्ता प्राधिकारी को यह पता लगाना होता है कि क्या ऐसा रुझान निर्यात कीमत में मौजूद है, न कि क्या किसी निर्यातक या उत्पादक ने पाटन के “लक्ष्य” और मुखांटे के लिए अपने निर्यात कीमत में जानबूझकर इस रुझान को अपनाया है।

56. आवेदक ने यूरोपीय आयोग के निर्णय⁹⁰ पर भी भरोसा किया है जिसमें निम्नानुसार संमुक्ति की गई है:

“(31) सभी तीन निर्यातकों उत्पादकों के लिए एक स्पष्ट निर्यात कीमत की प्रवृत्ति है जो क्षेत्रों के बीच काफी अलग-अलग है, यह सिद्ध हुआ था। वास्तव में यह पाया गया था कि कम कीमत पर भारी मात्राएं यूके और फ्रांस के बाजारों में केंद्रित थीं। ये दोनों बाजार आईपी के दौरान समुदाय में संबंधित उत्पाद के आयातों के 50 प्रतिशत से अधिक के लिए उत्तरदायी थे।

(32) इन बाजारों में पाया गया पाटन भारत और औसत सामान्य मूल्य के साथ यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों के लिए भारी औसत निर्यात कीमत की तुलना के उपयोग द्वारा अनुचित ढंग से अलग किया गया है। क्योंकि यूके और फ्रांस बाजारों में सभी तीन निर्यातक उत्पादकों के लिए पाई गई पाटित स्तर की कीमतें पूर्ण या आंशिक रूप से उच्चतर या अधिकांशतः अन्य समुदाय बाजारों में अपाटित कीमतों द्वारा क्षतिपूर्ति की गई हैं। अतः ऐसी पद्धति किये गये पाटन की पूरी मात्रा नहीं दर्शाएंगी। तदनुसार, पाटन की गणना में विभिन्न क्षेत्रों के बीच निर्यात कीमतों की प्रवृत्ति में भारी अंतर को दर्शाना उचित माना गया था।

(33) इस मामले में सौदावार तुलना को उचित वैकल्पिक तुलना पद्धति के रूप में पाया गया था क्योंकि ऐसी तुलना करने के लिए अलग-अलग सौदों के चयन की प्रक्रिया हजारों निर्यात और घरेलू सौदों को देखते हुए काफी अव्यावहारिक और मनमानी समझी गई थी⁹¹।”

⁸⁸ आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 29

⁸⁹ यूएसडीओसी ने यह अवलोकन किया कि:

इस प्रकार यद्यपि विभाग एक लक्षित पाटन विश्लेषण करने में अन्य कारकों पर विचार कर सकता है। तथापि, कानून में विभाग के लिए यह विचार करना अपेक्षित नहीं है कि ऐसा अंतर क्यों मौजूद है। अपने विश्लेषण में विभाग पर केवल यह दायित्व लागू है जो अधिनियम की धारा 777 ए (डी) (1) (बी)। अधिनियम की धारा 777 ए (डी) (1) (बी) में विभाग के लिए अपेक्षित है। (1) यह जांच करना कि क्या तुलनीय वस्तुओं के लिए निर्यात कीमतों में ऐसा कोई रुझान है जो खरीददारों, क्षेत्रों या समयावधियों के लिए काफी अलग-अलग है और यदि ऐसा रुझान मौजूद है (2) यह स्पष्ट करना कि ऐसे रुझान पर औसत या सौदावार तुलना पद्धतियों के प्रयोग द्वारा क्यों विचार नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम में विभाग के लिए यह समझना आवश्यक नहीं है कि ऐसा रुझान क्यों उत्पन्न हुआ।

⁹⁰ संबंधित नोट 72

⁹¹ कोरिया गणराज्य के मूल के साइड-बाई-साइड रेफ्रिजरेटर के आयातों पर अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने वाली 28 फरवरी, 2006 का आयोग विनियम (ईसी) संख्या 355/2006; ताईवान के मूल की निकाडंबल कम्पैक्ट डिस्क के आयातों पर लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क और सामूहिक रूप से निश्चयात्मक अंतिम शुल्क लगाने वाला 14 जून, 2022 को आयोग विनियम (ईसी) संख्या 1050/2002

57. अंततः आवेदक ने यह दलील देने के लिए यूएस – विभेदात्मक कीमत निर्धारण पद्धति में डब्ल्यूटीओ पैनल निर्णय पर भरोसा किया है कि वर्तमान जांच में शून्य पद्धति को अपनाया जा सकता है⁹²। उक्त मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल ने निम्नानुसार संमुक्ति की थी:
- “हम स्मरण करते हैं कि कोई व्याख्याकार ऐसे पाठ को अपनाने के लिए मुक्त नहीं होता है जो किसी संधि के पूरे खंड या पैरा को अनावश्यक या अनुपयोगी बनाने में परिणति होता होगा। अतः संदर्भात्मक विचार भी हमारे इस मत का समर्थन करते हैं कि अनुच्छेद 2.4.2 का दूसरा वाक्य डब्ल्यू-टी पद्धति के अंतर्गत शून्य केंद्रण को निषिद्ध करता है। उक्त के आधार पर हम पाते हैं कि किसी जांचकर्ता प्राधिकारी को प्रवृत्ति सौदों के लिए डब्ल्यू-टी पद्धति अपनाते समय शून्य केंद्रण का प्रयोग करने की अनुमति है।”
58. हितवद्ध पक्षकार ने अनुरोध किया है कि आवेदक ने आरंभ में 6 महीने की जांच अवधि प्रस्तावित की थी; प्राधिकारी ने जांच शुरूआत करते समय 12 महीने की पीओआई अपनाई थी। तथापि, आवेदक ने एक बार फिर सामान्य मूल्य की गणना के समय 6 महीने की जांच अवधि पर विचार करने का अनुरोध किया है⁹³। यह तर्क दिया गया था कि व्यापार उपचार जांचों की प्रचालन प्रक्रियाओं के मैनुअल के अनुसार एक बार पीओआई निर्धारित होने पर बाद में उसे बदला नहीं जा सकता है⁹⁴। अन्य हितवद्ध पक्षकार ने यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने अपने विवेकानुसार 12 महीने की पीओआई निर्धारित की है और इसलिए उसमें बदलाव करने का कोई कारण नहीं है⁹⁵। हमने भी अनुरोध किया गया था कि प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और शुल्क की दर के आकलन के प्रयोजनार्थ समग्र रूप से पीओआई के विश्लेषण की रही है⁹⁶।
59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डब्ल्यू-टी पद्धति को लागू करने के लिए पहले यह निर्धारित होना चाहिए कि विभिन्न खरीददारों, क्षेत्रों या समयावधियों के बीच निर्यात कीमत में भारी अंतर है और ऐसे अंतर पर डब्ल्यू-डब्ल्यू पद्धति या टी-टी पद्धति को अपनाकर उचित ढंग से विचार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान जांच में आवेदक ने दावा किया है कि निर्यात कीमत में एक प्रवृत्ति है जो विभिन्न समय अवधियों में अलग-अलग है, क्योंकि पीओआई के पूर्वाध (अर्थात् अप्रैल से सितंबर, 2021) में निर्यात कीमत पीओआई के उत्तरार्ध (अर्थात् अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022) में निर्यात कीमत से काफी अधिक रही है। इस दावे की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के आयात आंकड़ों और निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर पीओआई के पूर्वाध में निर्यात कीमत के साथ पीओआई के उत्तरार्ध में निर्यात कीमत की तुलना की है। निर्यात कीमत में अंतर नीचे तालिका में दिया गया है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	पीओआई का पूर्वाध	पीओआई का उत्तरार्ध
चीन जन. गण. से निर्यात[#]				
1.	निर्यात कीमत	रु./केजी	729	716
2.	आयातों की मात्रा	एमटी	147	338

[#] डीजीसीआई एंड एस द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार

60. आवेदक ने दावा किया है कि 2021-22 के उत्तरार्ध में निर्यात कीमत तब कम हुई जब वास्तव में कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि हुई और इस अवधि में पाटन मार्जिन बढ़ गया है। आवेदक का दावा है कि यह निर्यात कीमत में ऐसी प्रवृत्ति दर्शाता है जो विभिन्न समयावधियों में काफी अलग-अलग है। आवेदक ने तर्क दिया है कि पीओआई के पूर्वाध में लगभग कोई आक्रामक कीमत नहीं होने से पीओआई के उत्तरार्ध में निर्यातकों द्वारा आक्रामक पाटन किया गया है⁹⁷। आवेदक ने दावा किया गया है कि चीन के निर्यातकों की सीआईएफ निर्यात कीमत कच्ची सामग्री की लागत में परिवर्तन के अनुसार रही है। आवेदक ने प्राधिकारी से पीओआई के उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की लागतों में वृद्धि और पीओआई के उत्तरार्ध में सीआईएफ आयात कीमत में बदलाव के बीच असमानता को नोट करने का अनुरोध किया है।

⁹² आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 35

⁹³ हुबेई के खंडन अनुरोध

⁹⁴ हुबेई के खंडन अनुरोध, पृष्ठ 2

⁹⁵ हुबेई के खंडन अनुरोध

⁹⁶ हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 7

⁹⁷ आवेदक के लिखित अनुरोध

61. निर्यात कीमत में अंतर के संबंध में कच्ची सामग्री की लागत में अंतर के बारे में हुबेई ने दावा किया है कि कच्ची सामग्री की लागत आवेदक द्वारा किये गये दावे के अनुसार नहीं बढ़ी है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन के उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति में प्रचालन नहीं करते हैं। अतः उनकी लागत और कीमतें स्वीकार नहीं की जानी चाहिए⁹⁸। आवेदक ने बताया है कि उसने विभिन्न असंबद्ध स्रोतों से कच्ची सामग्री खरीदी है जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें दर्शाती है। यह दावा किया गया है कि यदि चीन के उत्पादकों/निर्यातकों की कच्ची सामग्री की लागत अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमत से कम होती है तो यह निष्कर्ष होना चाहिए कि प्रतिवादी निर्यातकों की निविष्टि की कीमतें विकृत हैं⁹⁹।
62. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति में प्रचालन नहीं करते हैं और इसलिए लागत और कीमत स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यह नोट किया जाए कि चीन के निर्यातकों की निविष्टि लागत में कोई विकृति पाटन के आकलन में ध्यान में ली जाए, क्योंकि प्राधिकारी ने चीन के निर्यातकों का सामान्य मूल्य एडी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के आधार पर परिकलित किया है। प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की गणना करते समय पहले ही चीन के निर्यातकों की इनपुट कीमतों की विकृतियों पर विचार करने के लिए आवश्यक समायोजन किये हैं। आवेदक के तर्क को स्वीकार करने का प्रभावी अर्थ परिकलित निर्यात कीमत को अपनाना होगा जिसे केवल सीमित परिस्थिति में अनुमति दी जा सकती है। अर्थात् जब आयातक और निर्यातक या किसी तीसरे पक्ष के बीच एसोसिएशन या क्षति पूर्ति व्यवस्था सिद्ध की गई हो¹⁰⁰।
63. जैसा उक्त तालिका से देखा गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न समयावधियों के बीच निर्यात कीमत में अधिक अंतर की कोई प्रवृत्ति नहीं है। पीओआई के उत्तरार्ध और पीओआई के पूर्वार्ध की निर्यात कीमत के बीच अंतर केवल मामूली है। अतः प्राधिकारी डब्ल्यू-टी पद्धति के आधार पर पाटन मार्जिन की गणना के लिए कोई वैध और न्यायोचित कारण नहीं पाते हैं। अतः प्राधिकारी डब्ल्यू-डब्ल्यू पद्धति के आधार पर पाटन मार्जिन आकलित किया है। शून्य केंद्रण के संबंध में आवेदक के तर्क के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि डब्ल्यूटीओ पैनल और अपीलीय निकाय ने निरंतर यह माना है कि पाटनरोधी करार के अंतर्गत “शून्य केंद्रण” की अनुमति नहीं है¹⁰¹।
64. संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए प्रस्तावित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	सामान्य मूल्य रू./एमटी)	निवल निर्यात कीमत रू./एमटी)	पाटन मार्जिन रू./एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन रेंज
1.	हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-15%
2.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	10-15%

⁹⁸ आवेदक का खंडन, पैरा 24⁹⁹ तदेव, पैरा 25¹⁰⁰ सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा क(ख) देखें⁹; पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 2. भी देखें। 3¹⁰¹ अपीलीय निकाय रिपोर्ट यूरोपीय समुदाय भारत से कॉटन टाइप वेड लीनेन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क, डब्ल्यूटीडीएस141//एबीआर 12 मार्च, 2001 को स्वीकृति; अपीलीय निकाय रिपोर्ट, अमरीका शून्य केंद्रण पद्धति की निरंतर मौजूदगी और प्रयोग डब्ल्यूटीडीएस350//एबीआर/ 19 फरवरी, 2009 को स्वीकृति; अपीलीय निकाय रिपोर्ट अमरीका पाटन मार्जिन की गणना के लिए कानून, विनियम और पद्धति (शून्य केंद्रण) डब्ल्यूटी/ड डीएस294//एबीआर 9 मई, 2006 को स्वीकृति; अपीलीय निकाय रिपोर्ट अमरीका – शून्य केंद्रण और निर्णायक समीक्षाओं से संबंधित उपाय डब्ल्यूटीडीएस322//एबीआर/ 23 जनवरी, 2007 को स्वीकृति; पैनल रिपोर्ट अमरीका कोरिया से उत्पाद वाले पाटनरोधी उपाय में शून्य केंद्रण का उपयोग डब्ल्यूटीडीएस402//आर फरवरी 24, 2011 को स्वीकृति।

क्षति के आकलन की पद्धति और कारणात्मक संबंध की जांच

65. अनुबंध-2 के साथ पठित एडी नियमावली 1995 के साथ पठित एडी नियमावली 1995 के नियम-11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाते हों, ".... ..पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. ".... इसके अलावा, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में यह जांच करना आवश्यक समझा गया है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती।
66. आवेदक ने प्राधिकारी से पीओआई के पूर्वाध और पीओआई के उत्तरार्ध के दौरान क्षति की प्रवृत्ति की अलग-अलग जांच करने के लिए अर्धवार्षिक आधार पर क्षति विश्लेषण करने का अनुरोध किया है। आवेदक ने बताया है कि अनेक जांच में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन का तिमाही वार/अर्धवार्षिक विश्लेषण किया है¹⁰²।
67. प्राधिकारी ने नीचे पैराग्राफ में घरेलू उद्योग की स्थिति पर पाटित आयात के प्रभाव की जांच की है, जहां कहीं अपेक्षित हो, प्राधिकारी ने पीओआई के पूर्वाध और पीओआई के उत्तरार्ध में प्रवृत्तियों की अलग से जांच की है।

झ. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

झ.1 मांग का आकलन

झ.1.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

68. घरेलू उद्योग पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:
- क. आवेदक ने प्राधिकारी से अर्धवार्षिक आधार पर क्षति विश्लेषण करने का अनुरोध किया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने अनेक पूर्व जांचों में क्षति जांच का अर्धवार्षिक विश्लेषण किया था।
- ख. संबद्ध देश से आयात की मात्रा में पीओआई के पूर्वाध के दौरान गिरावट आई है और पीओआई के उत्तरार्ध में काफी वृद्धि हुई¹⁰³।
- ग. उत्पादन और खपत के संबंध में आयात में भी यही प्रवृत्ति रही है¹⁰⁴।
- घ. आयात में वृद्धि समग्र और भारत में उत्पादन तथा खपत दोनों तरह से हुई थी¹⁰⁵।
- ड. आयातों में पीओआई के पूर्वाध की तुलना में पीओआई के उत्तरार्ध में 3.5 गुना वृद्धि हुई है¹⁰⁶।

झ.1.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

69. आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:
- क. संबद्ध देश से आयातों में 2018 से 2022 तक की वृद्धि का कारण पाटन नहीं है, बल्कि डाउनस्ट्रीम उद्योग के विकास के बाद भारतीय बाजार में मांग में वृद्धि होना है¹⁰⁷।

¹⁰² आस्ट्रेलिया, चीन जन.गण., ईरान, मलेशिया, रूस और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच; चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ग्लेस्ड या अनपॉलिस्ड पॉलिस्टिडविट्रफाइड टाइल्स//ओसलीनस्टडअनग्ले/ड फिनिश में प्रतिशत से कम 3 जल अवशोषण के साथ" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच; चीन जन.ल.केल व्हीगण. के मूल के/निर्यातित फ्लैट बेस स्टी.आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच (कुछ मापदंड); यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी (-) पैरा हाइड्राक्सी फिनाइल, ग्लाइसीन बेस (पीएचपीजी बेस) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच; यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित 1500 सिरीज और 1700 सिरीज के स्टायरिन बु बुटाडीन रबड़ एसबीआर से संबंधित पाटनरोधी जांच; चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीवीसी फ्लैक्स फिल्म के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

¹⁰² आवेदन का खंडन, पैरा और 16 15

¹⁰³ आवेदन पैरा 60

¹⁰⁴ आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 40

¹⁰⁵ तदेव

¹⁰⁶ तदेव

¹⁰⁷ हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 8

- ख. चीन जन. गण. से आयात क्षति अवधि के दौरान किसी भी समय याचिकाकर्ता की बिक्रियों पर किसी प्रकार का मात्रात्मक दबाव नहीं डाल रहे थे¹⁰⁸।
- ग. मांग में गिरावट के कारण संबद्ध देश से आयात में भी गिरावट आई है जबकि याचिकाकर्ताओं की बिक्रियों में थोड़ी वृद्धि हुई¹⁰⁹।
- घ. चीन जन. गण. से उत्पादन और भारत में मांग की दृष्टि से आयातों के हिस्से में जांच की अवधि के दौरान निरंतर गिरावट आई है¹¹⁰।

झ. 1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

70. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। डीजीसीआई एंड एस के सौदावार आयात आंकड़ों पर क्षति आकलन के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है। प्राधिकारी ने पीओआई के बाद की अवधि अर्थात (अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022) के 6 महीनों में आयातों की प्रवृत्ति की भी जहां आवश्यक हो, इस आकलन के लिए जांच की है कि क्या पीओआई के दौरान रुझान बने रहे हैं। यह नोट किया गया है कि पीओआई के बाद की जांच की आमतौर पर किसी मूल जांच में जरूरत नहीं होती है। तथापि, वर्तमान जांच की वास्तविक परिस्थितियां इसकी मांग करती हैं। आवेदक ने मूल आवेदन में प्राधिकारी से पीओआई अक्टूबर, 2021 – मार्च, 2022 के लिए पाटन और क्षति निर्धारित करने का अनुरोध किया था। तथापि, आवेदक द्वारा प्रदत्त कारण उक्त अवधि को पीओआई के रूप में स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अतः प्राधिकारी ने जांच शुरुआत सूचना के जरिये अप्रैल, 2021 – मार्च, 2022 को पीओआई के रूप में संशोधित किया। आगे विश्लेषण पर यह पाया गया कि अप्रैल, 2021 - सितंबर, 2021 (एच1) की अवधि में क्षति नहीं हुई थी जिससे जांच दल के लिए आगे विचार करना आवश्यक हो गया कि क्या अक्टूबर, 2021 – मार्च, 2022 (एच2) की अवधि, विपथन की अवधि थी या क्षति जारी रहने की अवधि थी। इसलिए जांच दल ने इसके निर्धारण के लिए अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के लिए पीओआई के बाद 6 महीनों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है।

71. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की आयाता मात्राएं निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
1.	आवेदक की घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	103	-	-	101
2.	अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	0	0	0	0	0	0
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0	0	0	-	-	0
3.	संबद्ध देश से आयात	एमटी	839	662	397	147	338	485
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	47	-	-	58
4.	अन्य देशों से आयात	एमटी	26	0	0	0	0	0
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	0	0	-	-	0
5.	कुल आयात	एमटी	865	662	397	147	338	485
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	46	-	-	56
6.	कुल मांग/खपत (डीआई की आबद्ध खपत को छोड़कर)	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	79	-	-	82
7.	कुल मांग/खपत (डीआई की आबद्ध खपत सहित)	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	86	-	-	91

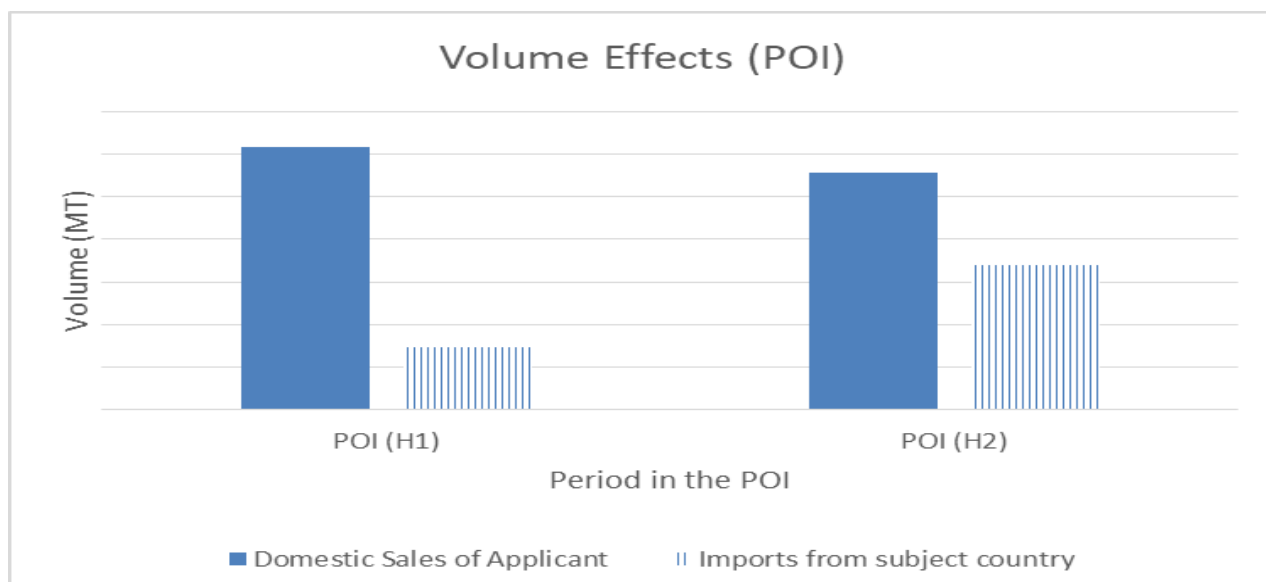
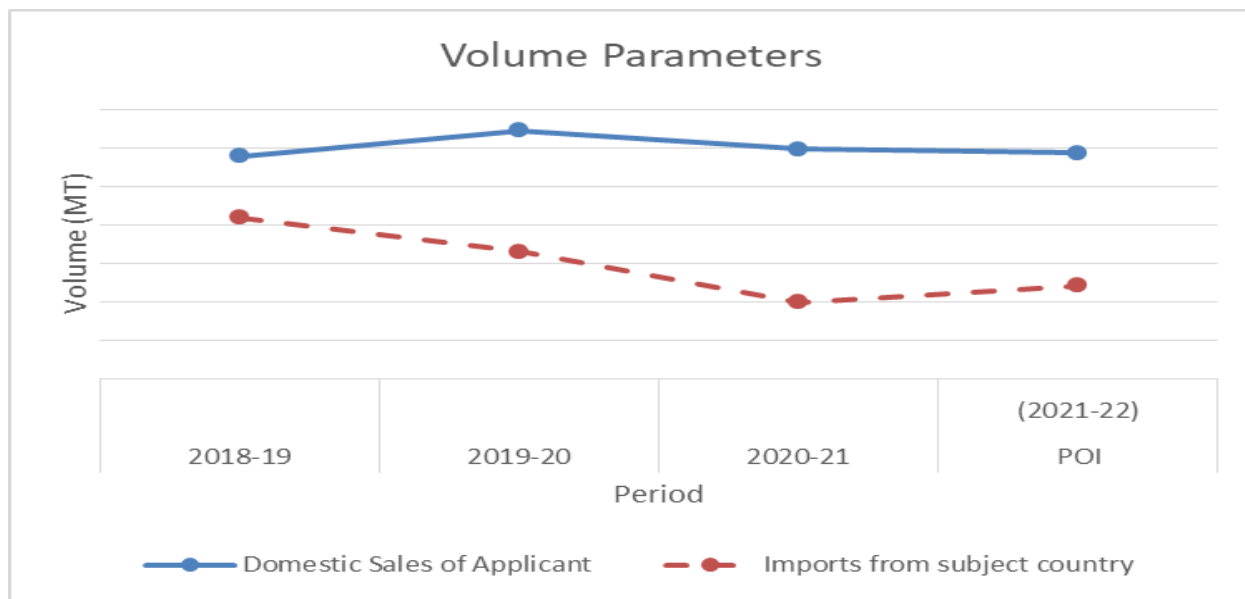
72. भारत में विचाराधीन उत्पाद की कुल मांग/खपत में आधार वर्ष से पीओआई तक गिरावट आई है। तथापि, आवेदक की घरेलू बिक्रियों में आधार वर्ष से पीओआई में मामूली सुधार हुआ है। भारत में ऐसे कोई अन्य उत्पादक नहीं हैं जो घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद को बचे रहे हैं। संबद्ध देश से आयातों में आधार वर्ष से पीओआई तक

¹⁰⁸ तदेव, पृष्ठ 9

¹⁰⁹ तदेव

¹¹⁰ तदेव, पृष्ठ 10

गिरावट आई है जबकि अन्य देशों से आयात वर्ष 2019-20 तक पीओआई से शून्य रहे हैं। आवेदक की यह दलील है कि पीओआई की पूर्वाध की तुलना में पीओआई के उत्तरार्ध में आयातों में वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि आवेदक की घरेलू बिक्री में पूर्वाध की तुलना पीओआई के उत्तरार्ध में मामूली गिरावट आई है। तथापि, पीओआई के दौरान आवेदक की समग्र बिक्रियों में आधार वर्ष की तुलना में थोड़ी वृद्धि हुई है और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में इसमें मामूली गिरावट आई है



झ.2 आयात माएं और बाजार हिस्सा

झ.2.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

73. आयात मात्राओं और बाजार हिस्से के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

- क. आवेदक के बाजार हिस्से में अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2021 तक वृद्धि हुई है। तथापि उसके बाद आयातों में वृद्धि के कारण गिरावट आई है¹¹¹।
- ख. प्रस्तावित अवधि में आयातों का बाजार हिस्सा क्षति अवधि की तुलना में अधिकतम रहा है¹¹²।
- ग. चीन जन. गण. से आयातों की मात्रा में सितंबर, 2021 तक गिरावट आई है और उसके बाद काफी अधिक वृद्धि हुई थी¹¹³।

¹¹¹ आवेदन, पैरा 62

¹¹² तदेव

- घ. आयातों में वृद्धि समग्र रूप से और भारत उत्पादन और खपत दोनों दृष्टि से हुई है। आयातों में अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 की तुलना में अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 की अवधि में 3.5 गुना की वृद्धि हुई है¹¹⁴।

झ.2.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

74. आयात मात्राओं और बाजार हिस्से के संबंध में हुबेई ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

- क. चीन जन. गण. से आयातों में विचाराधीन अवधि के दौरान किसी भी समय याचिकाकर्ता की बिक्रियों पर किसी प्रकार का मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है¹¹⁵।
- ख. याचिकाकर्ता की बिक्रियों में मामूली वृद्धि हुई है¹¹⁶।
- ग. भारतीय उत्पादन और कुल मांग की दृष्टि से चीन जन. गण. के आयातों में देखी गई अवधि के दौरान गिरावट भी आई है¹¹⁷।

झ.2.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

75. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की आयात मात्राएं और क्षति जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
समग्र रूप से आयात								
1.	संबद्ध देश से आयात	एमटी	839	662	397	147	338	485
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	47	n/a	n/a	58
2.	अन्य देशों से आयात	एमटी	26	0	0	0	0	0
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	0	0	0	0	0
3.	कुल आयात	एमटी	865	662	397	147	338	485
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	46	n/a	n/a	56
4.	कुल मांग/खपत (डीआई की आवद्ध खपत को छोड़कर)	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	79	n/a	n/a	82
5.	कुल मांग/खपत (डीआई की आवद्ध खपत सहित)	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	86	-	-	91
संबद्ध आयातों के संबंध में								
5.	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	61	39	25	59	42
6.	कुल मांग (डीआई की आवद्ध खपत को छोड़कर)	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	60	46	91	70

¹¹³ आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 40

¹¹⁴ तदेव

¹¹⁵ हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 9

¹¹⁶ तदेव

¹¹⁷ तदेव, पृष्ठ 10

7.	कुल मांग (डीआई की आवद्ध खपत सहित)	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	55	40	86	64
8.	कुल आयात	%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	103	103	103	103

76. संबद्ध देश से आयातों में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है चीन जन. गण. से आयात पीओआई के दौरान आधार वर्ष के दौरान लगभग आधे हो गये हैं। आधार वर्ष के दौरान अन्य देशों से आयातों की मात्रा मामूली है। तथापि, उसके बाद अन्य देशों से कोई आयात नहीं हुये हैं। पीओआई के दौरान आयातों की मात्रा में समग्र रूप से गिरावट आई है। जहां तक सापेक्ष रूप से आयातों का संबंध है उक्त तालिका से यह देखा गया है कि भारतीय उत्पादन के संबंध में आयातों में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में गिरावट आई है। भारतीय उत्पादन और भारतीय मांग के संबंध में 2020-21 की तुलना में पीओआई में संबद्ध देश से आयातों में मामूली वृद्धि हुई है; तथापि, पीओआई के दौरान भारतीय उत्पादन और भारतीय मांग की दृष्टि से आयात आधार वर्ष के स्तरों से कम रहे हैं।
77. आवेदक ने बताया है कि पीओआई के उत्तरार्ध के दौरान संबद्ध देश से आयातों में समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है। यद्यपि यह सच है कि आयातों में पीओआई के पूर्वाध की तुलना में पीओआई के उत्तरार्ध में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। तथापि, भारतीय उत्पादन और भारतीय मांग की दृष्टि से आयातों का हिस्सा पीओआई के उत्तरार्ध में अब भी आधार वर्ष से कम रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीओआई के उत्तरार्ध के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियां आयात मात्राओं से काफी अधिक रही हैं। यह भी देखा गया है कि संबद्ध आयात मात्राओं में पीओआई के पूर्वाध की तुलना में पीओआई के उत्तरार्ध के दौरान *** प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (अर्थात *** एमटी से *** एमटी) जबकि आवेदक की घरेलू बिक्रियों में *** प्रतिशत की गिरावट आई है। (अर्थात *** एमटी से *** एमटी) इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में गिरावट पीओआई के उत्तरार्ध के दौरान आयातों की मात्रा में वृद्धि के अनुपात में नहीं रही है। पीओआई के उत्तरार्ध के दौरान आयातों की मात्रा में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग ने पर्याप्त बिक्री मात्राएं बनाये रखीं। इसके अलावा, यह नोट किया जाए कि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान कुल मांग में गिरावट आई थी जिसने संभवतः घरेलू उद्योग की बिक्री मात्राओं में गिरावट में भी योगदान दिया होगा।
78. प्राधिकारी ने नीचे तालिका में पीओआई के बाद आयातों की प्रवृत्ति की जांच भी की है। यह देखा गया है कि पीओआई के तत्काल बाद की 6 महीने की अवधि (अर्थात अप्रैल से सितंबर, 2022) में आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पीओआई के बाद 6 महीने की अवधि के दौरान आयात मात्राएं आधार वर्ष (12 महीने) के दौरान आयात मात्राओं के लगभग बराबर हैं। तथापि, पीओआई के बाद 6 महीने की अवधि में आयातों की पहुंच कीमत पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में काफी अधिक हैं। वास्तव में अप्रैल से सितंबर, 2022 के दौरान आयातों की पहुंच कीमत उच्चतम स्तर पर है और वह पीओआई के उत्तरार्ध में पहुंच कीमत से *** प्रतिशत अधिक है और आधार वर्ष के दौरान पहुंच कीमत से *** प्रतिशत अधिक है। पीओआई के बाद इस 6 महीने की अवधि के दौरान पहुंच कीमत पीओआई से परिकलित एनआईपी से भी अधिक है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	आधार वर्ष (2018-19)	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)	पीओआई पश्चात (अप्रैल – सितंबर 2022)
1.	संबद्ध देश से आयात	एमटी	839	147	338	485	799

2.	अन्य देशों से आयात	एमटी	26	0	0	0	-
3.	कुल आयात	एमटी	865	147	338	485	799
4.	पहुंच कीमत	रू./केजी	787	841	837	838	978
5.	डीआई की बिक्री कीमत	रू./केजी	***	***	***	***	***

79. प्राधिकारी ने नीचे तालिका में आयातों तथा घरेलू उद्योग के (आबद्ध बिक्रियों को छोड़कर) बाजार हिस्से का आकलन किया है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
1.	आवेदक की घरेलू बिक्रियां	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	131	141	109	124
2.	अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0	0	0	0	0	0
3.	संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	61	46	93	85
4.	अन्य देशों से आयात	%	1%	0	0	0	0	0
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	0	0	0	0	0
5.	कुल आयात	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	58	45	88	85

80. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान सुधार हुआ है। जबकि संबद्ध देश से आयात के बाजार हिस्से में इस अवधि के दौरान गिरावट आई है। पीओआई के उत्तरार्ध में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा *** प्रतिशत है जबकि संबद्ध देश से आयातों का बाजार हिस्सा *** प्रतिशत है। यह देखा गया है कि पीओआई के उत्तरार्ध में घरेलू उद्योग के हिस्से में पीओआई के पूर्वार्ध तथा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। दूसरी ओर संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में पीओआई के उत्तरार्ध में वृद्धि हुई है।
81. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के दौरान देखे गये मात्रात्मक रुझानों की तुलना नीचे दी गई तालिका में चीन जन. गण. से मेट्रोनिडाजोल के आयातों के ऐतिहासिक रुझानों के साथ की है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	जनवरी - दिसंबर 2010*	जनवरी - जून 2011*	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (2021-22)
1.	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	268	175	***	***	***	***
2.	अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	466	466	0	0	0	0
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	0	0	0	0
3.	घरेलू उत्पादकों की कुल बिक्रियां	एमटी	734	641	***	***	***	***
4.	संबद्ध देश से आयात	एमटी	1,133	1,049	839	662	397	485
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	74	58	35	58

5.	अन्य देशों से आयात	एमटी	0	92	26	0	0	0
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	28	0	0	0
6.	कुल आयात	एमटी	1,133	1,141	865	662	397	485
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	76	58	35	58
7.	मांग/उपभोग (डीआई की आवद्ध खपत को छोड़कर)	एमटी	1,867	1,782	***	***	***	***
मांग में बाजार हिस्सा (डीआई की आवद्ध बिक्री को छोड़कर)								
8.	घरेलू उद्योग	%	14.38 %	9.82%	***	***	***	***
9.	अन्य उत्पादक	%	24.94 %	26.14 %	0%	0%	0%	0%
10.	संबद्ध देश से आयात	%	60.68 %	58.88 %	***	***	***	***
11.	अन्य देशों से आयात	%	0%	5.16%	1%	0	0	0

*मेट्रोनिडाजोल संबंधी पूर्ववर्ती जांच के दूसरे एसएसआर के अंतिम जांच परिणामों के अनुसार¹¹⁸

82. मेट्रोनिडाजोल संबंधी पूर्ववर्ती जांच की दूसरी एसएसआर की जांच अवधि जनवरी से दिसंबर, 2010 थी। प्राधिकारी ने जनवरी से जुलाई, 2011 के पीओआई के बाद के आंकड़ों का भी इसमें विश्लेषण किया था। जैसा उक्त तालिका से देखा जा सकता है। वर्ष 2010 और 2011 में मेट्रोनिडाजोल की मांग पीओआई के दौरान मेट्रोनिडाजोल के मांग के समान है जबकि वर्ष 2010 और 2011 में चीन से निर्यातों का काफी बड़े बाजार हिस्से पर कब्जा था। तथापि, क्षति अवधि और वर्तमान जांच की पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग का काफी बड़ा हिस्सा है।

ज कीमत प्रभाव

ज.1 पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

ज.1.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

83. कीमत प्रभाव के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- क. पीओआई के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है¹¹⁹।
- ख. पूरी जांच अवधि में पीओआई को छोड़कर कीमत कटौती ऋणात्मक रही थी¹²⁰।
- ग. कीमत कटौती अप्रैल से सितंबर, 2021 के दौरान भी ऋणात्मक रही थी¹²¹।
- घ. पीओआई के दौरान कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है¹²²।
- ड. पीओआई से पहले आयातों की पहुंच कीमत आवेदक की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से अधिक थी और इसलिए आवेदक तर्कसंगत कीमतें प्राप्त करने में समर्थ था¹²³।

¹¹⁸ अंतिम जांच परिणाम सं. 15/9/2003डीजीएडी दिनांक 29 जून, 2012, "चीन जन अथवा वहां से गण. के मूल के .निर्यातित मेट्रोनिडाजोल के आयातों से संबंधित लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा, पैरा 20https://dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_SSR2_metronidazole_chinaPR.pdf

¹¹⁹ आवेदन पैरा 75

¹²⁰ तदेव पैरा 75

¹²¹ आवेदक के लिखित अनुरोध पैरा 42

¹²² आवेदन पैरा 76

¹²³ तदेव पैरा 79

- च. पीओआई के दौरान बिक्री लागत में वैश्विक रूप से वृद्धि हुई, परंतु आयातों की पहुंच कीमत में लागत से भी कम गिरावट आई। घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में असमर्थ रहा है¹²⁴।
- छ. अक्टूबर, 2021 – मार्च, 2022 की अवधि से पहले आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से अधिक थी। तथापि, अक्टूबर, 2021 – मार्च, 2022 में बिक्री लागत में तेजी से वृद्धि हुई परंतु आयातों की पहुंच कीमत में लागत से कम गिरावट आई है¹²⁵।
- ज. अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 की अवधि की तुलना में भी पहुंच कीमत में गिरावट आई है। यद्यपि बिक्री लागत में वृद्धि हुई है¹²⁶।

अ.1.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

84. कीमत प्रभाव के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- क. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान 23 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि हुई है¹²⁷।
- ख. चीन से आयातों की पहुंच कीमत आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान लगभग समान रही है, क्योंकि उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रयुक्त कच्ची सामग्री की कीमत में कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है¹²⁸।
- ग. संपूर्ण क्षति अवधि में कीमत कटौती ऋणात्मक है और पीओआई के दौरान थोड़ी सकारात्मक है¹²⁹।
- घ. घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में उच्चतर कीमत पर बिक्री के लिए कीमत में वृद्धि की स्थिति में है¹³⁰।

अ.1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

85. घरेलू उद्योग की कीमतों पर संबद्ध देश से पाटित आयातों के प्रभाव की कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण यदि कोई हो, के संदर्भ जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

अ.2 कीमत कटौती प्रभाव

86. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे उत्पादों का प्रभाव अन्यथा कीमत में कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
1.	आयात मात्रा	एमटी	839	662	397	147	338	485
2.	पहुंच मूल्य	रू./एमटी	7,87,082	7,46,700	8,30,524	8,40,696	8,36,797	8,37,977
3.	निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर)	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***

¹²⁴ तदेव पैरा 79

¹²⁵ आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 44

¹²⁶ तदेव पैरा 45

¹²⁷ हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 10

¹²⁸ तदेव पृष्ठ 10

¹²⁹ तदेव, पृष्ठ और 11 10

¹³⁰ तदेव, पृष्ठ 11

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	108	109	115	112
4.	कीमत कटौती	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-22	-34	-57	97	19
5.	कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***	***
	रेंज	सूचीबद्ध	(0-5)	(0-5)	(0-5)	(0-5)	0-5	0-5
6.	घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	99	115	138	126

87. पीओआई को छोड़कर संपूर्ण जांच अवधि में कीमत कटौती नकारात्मक है। पीओआई में कीमत कटौती *** प्रतिशत है। पीओआई के उत्तरार्ध के दौरान कीमत कटौती *** प्रतिशत थी। आयातों की पहुंच कीमत केवल पीओआई के उत्तरार्ध में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम रही है। पीओआई के पूर्वाध में भी आयातों की पहुंच कीमत निवल बिक्री प्राप्ति से अधिक रही थी। यह नोटिस किया गया है कि आधार वर्ष से 2020-21 से यद्यपि घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति पहुंच कीमत से कम थी। तथापि, घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंड (पैराग्राफ 110 की तालिका में यथा उल्लिखित) सकारात्मक और काफी अधिक थे। घरेलू उद्योग पीयूसी को संबद्ध आयातों से कम कीमत पर बेच कर भी इस अवधि के दौरान लाभप्रद रहा था।
88. आवेदक ने तर्क दिया है कि विशेष रूप से पीओआई के उत्तरार्ध में पीओआई के दौरान कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि हुई है जबकि संबद्ध वस्तु की आयात कीमत उसी क्रम नहीं चली है¹³¹। आवेदक ने अनुरोध किया कि कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि के साथ निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए थी। तथापि ऐसा नहीं हुआ है¹³²। दूसरी ओर हुबेई ने बताया कि कच्ची सामग्रियों की उसकी कीमतों में कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है¹³³। तथापि, हुबेई ने इस दावे को सही ठहराने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि चूंकि चीन के उत्पादक गैर-बाजार की दशाओं में कार्य करते हैं इसलिए चीन में कच्ची सामग्री की कीमतें बाजार शक्तियों द्वारा तय नहीं की जाती हैं¹³⁴। आवेदक ने बताया कि चीन की कच्ची सामग्री की कीमत भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमत दोनों से काफी कम हैं¹³⁵। आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसने अनेक स्रोतों से कच्ची सामग्री खरीदी है जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत दर्शाती हैं¹³⁶। आवेदक ने उसकी कच्ची सामग्री की कीमत में उतार-चढ़ाव के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की है¹³⁷।

स्रोत	घरेलू			आयातित		
अवधि	2020-21	2021-22	वृद्धि	2020-21	2021-22	वृद्धि
2 मिथाइल 5-नाइट्रो इमिडाज़ोल	***	***	***	***	***	***
फॉर्मिक एसिड 85%	***	***	***	***	***	***
इथिलीन ऑक्साइड	***	***	***	***	***	***
एनहाईड्रस अमोनिया गैस	***	***	***	***	***	***

यूनिट: रू./एमटी

¹³¹ आवेदक के लिखित अनुरोध पैरा 22- 24

¹³² तदेव

¹³³ हुबेई के लिखित अनुरोध पृष्ठ 10

¹³⁴ आवेदक का खंडन, पैरा 25

¹³⁵ तदेव

¹³⁶ आवेदक का खंडन, पैरा 25

¹³⁷ तदेव

89. आवेदक का यह दावा कि भारत में कच्ची सामग्री की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमतों के क्रम में चलती हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत से कच्ची सामग्री की कीमत में उतार-चढ़ाव कच्ची सामग्री अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के समान नहीं है। इसके अलावा, भारत में कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में काफी अधिक वृद्धि हुई है। भारतीय कच्ची सामग्री की कीमतें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान लगभग 27 प्रतिशत बढ़ी हैं। जबकि कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान केवल लगभग *** प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि केवल 2 मिथाइल 5-नाइट्रो इमिडाज़ोल के संबंध में हुई है और अन्य कच्ची सामग्री के लिए नहीं।
90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान घरेलू कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि ने आवेदक की निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि में योगदान दिया है जिससे ऐसी स्थिति बनी है जिसमें पीओआई के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक है। यह भी देखा गया है कि पीओआई के पूर्वाध के दौरान कीमत कटौती नकारात्मक है जबकि पीओआई के केवल उत्तरार्ध में कीमत कटौती सकारात्मक है।

ज.3 कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

91. यह आकलन करने के लिए कि क्या संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास/न्यूनीकरण कर रहे थे और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में भारी कमी करना या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्य काफी अधिक बढ़ गई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री कीमत की तुलना में क्षति अवधि में आयातों की पहुंच कीमत के साथ की है और नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
1.	प्रति यूनिट बिक्री की लागत	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	101	115	139	126
2.	प्रति यूनिट बिक्री की कीमत	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	108	109	115	112
3.	पहुंच कीमत	रू./एमटी	7,87,082	7,46,700	8,30,524	8,40,696	8,36,797	8,37,977
4.	घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	99	115	138	126

92. यह देखा गया है कि बिक्री लागत में आधार वर्ष से पीओआई में वृद्धि हुई है। पीओआई के उत्तरार्ध में बिक्री लागत में भारी वृद्धि हुई है। विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमत में भी वृद्धि हुई है। यद्यपि बिक्री लागत में आधार वर्ष की पीओआई में *** प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री कीमत में *** प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत में आधार वर्ष से पीओआई में *** प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पीओआई के पूर्वाध से उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की कीमत में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और आवेदक की बिक्री लागत में *** प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान बिक्री लागत में वृद्धि कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के सीधे परिणामस्वरूप प्रतीत होती है।
93. पहुंच कीमत में भी आधार वर्ष से पीओआई में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के उत्तरार्ध के दौरान आयातों की पहुंच कीमत आवेदकों की बिक्री कीमत से कम रही है। पीओआई के उत्तरार्ध में आवेदक की बिक्री कीमत भी उसकी बिक्री कीमत से कम रही थी जो यह दर्शाता है कि उसे पीओआई के उत्तरार्ध में घाटा उठाना पड़ा है। जैसी ऊपर चर्चा की गई। बिक्री लागत में वृद्धि कच्ची सामग्री में कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप हो सकती है। वास्तव में 2018-19 में पीओआई के पूर्वाध तक घरेलू उद्योग की पहुंच कीमत से कम रही थी और

फिर भी आवेदक की लाभप्रदता और बाजार हिस्सा पर्याप्त रहा था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों का स्पष्ट कीमत ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव जो पीओआई के उत्तरार्ध में देखा गया। कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप हो सकता है जो इस अवधि के दौरान हुई थी।

ट घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

ट.1 उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

ट.1.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

94. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

- क. आवेदक की घरेलू बिक्रियों में पीओआई में गिरावट आई है¹³⁸।
- ख. आवेदक के उत्पादन और क्षमता उपयोग में पीओआई के दौरान आवेदक के निर्यात बिक्रियों में वृद्धि के कारण वृद्धि हुई है¹³⁹।
- ग. आवेदक का प्राथमिक बाजार घरेलू बाजार है; तथापि, संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि के कारण आवेदक को निर्यात करना पड़ा था¹⁴⁰।
- घ. आवेदक की निर्यात बिक्रियों में वृद्धि हुई है। जबकि घरेलू बिक्रियों में 2019-20 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद गिरावट आई है¹⁴¹।

ट.1.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

95. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

- क. याचिकाकर्ता की क्षमता स्थिर रही है। याचिकाकर्ता के उत्पादन और बिक्रियों में तेजी से वृद्धि हुई है¹⁴²।

ट.1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

96. निम्ननांकित तालिका आवेदक की क्षमता, उत्पादन और बिक्री मापदंड दर्शाती है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 एच1	2021-22 एच2	पीओआई (2021-22)
1.	स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100	100	100
2.	उत्पादन – पीयूसी	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	109	126	122	124
3.	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	109	126	122	124
बिक्री मात्रा								
4.	घरेलू	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	103	53	48	101

¹³⁸ आवेदन, पैरा 64

¹³⁹ तदेव

¹⁴⁰ तदेव

¹⁴¹ आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 65

¹⁴² हुवेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 12

5.	आयात	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	133	78	93	171
6.	क्षमता	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	125	79	59	137
7.	घरेलू उद्योग की कुल बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	114	64	61	124
8.	संबद्ध आयात	एमटी	865	662	397	147	338	485

97. यह देखा गया है कि:

- आवेदक की स्थापित क्षमता पूरी क्षति अवधि और पीओआई में स्थिर बनी रही है।
- उत्पादन और क्षमता उपयोग में आधार वर्ष से पीओआई में वृद्धि हुई है। उत्पादन और क्षमता उपयोग में आधार वर्ष से 2019-20 में वृद्धि हुई है और वर्ष 2019-20 में मामूली गिरावट आई है और पीओआई के दौरान एक बार फिर वृद्धि हुई है। पीओआई के उत्तरार्ध में (जब घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की कीमत में भारी वृद्धि हुई थी) क्षमता उपयोग *** प्रतिशत है जो काफी अधिक है।
- घरेलू बिक्रियों में कथित कीमत कटौती के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान मामूली वृद्धि हुई है। आवेदक की घरेलू बिक्रियां वर्ष 2019-20 के दौरान उच्चतम स्तर पर थीं और उसके बाद उनमें गिरावट आई है। निर्यात बिक्रियों और कच्ची सामग्री की आबद्ध खपत में आधार वर्ष से पीओआई में निरंतर वृद्धि हुई है। आवेदक ने तर्क दिया है कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में वृद्धि के कारण उन्होंने अपना फोकस घरेलू बाजार से निर्यात बाजारों की ओर करना शुरू कर दिया है।
- आवेदक की समग्र बिक्रियों अर्थात (घरेलू बिक्रियां + निर्यात बिक्रियां + आबद्ध बिक्रियां) में पूरी जांच अवधि में निरंतर वृद्धि हुई है। फिर भी आवेदक की घरेलू बिक्रियों में जांच अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि नहीं देखी गई है।

98. आवेदक का यह तर्क कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में वृद्धि के कारण उन्हें अपना फोकस निर्यात बाजारों पर करना पड़ा, व्यवहार्य नहीं है। यदि मामला ऐसा होता तो आवेदक की निर्यात बिक्रियों में संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि के साथ वृद्धि होती और कमी के साथ कमी होती। तथापि, ऐसा नहीं हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान संबद्ध देश से आयात मात्राएं पीओआई के दौरान आयात मात्राओं से काफी अधिक थीं फिर भी आवेदक की निर्यात बिक्रियां वर्ष 2018-19 से 2019-20 के दौरान पीओआई के दौरान उनकी निर्यात बिक्रियों से कम रही थीं। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2020-21 के दौरान यद्यपि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अत्यंत कम रही थी (जांच के सभी वर्षों में न्यूनतम) तथापि, आवेदक ने पीयूसी का भारी मात्रा में निर्यात किया है। आगे यह भी नोट किया जाए कि निर्यात बिक्रियों में वृद्धि को इस तथ्य को देखते हुए कथित पाटन की प्रतिक्रिया नहीं माना जा सकता है कि निर्यात बाजार हमेशा से आवेदक के लिए अधिक कीमत आकर्षक रहा है। यही निष्कर्ष निम्नांकित तालिका से निकाला जा सकता है:

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 एच1	2021-22 एच2	2021-22
बिक्री मात्रा							
घरेलू	एमटी	***	***	***	***	***	***
निर्यात	एमटी	***	***	***	***	***	***
आबद्ध	एमटी	***	***	***	***	***	***
बिक्री मात्रा							
घरेलू	रु. लाख	***	***	***	***	***	***
निर्यात	रु. लाख	***	***	***	***	***	***

99. इसके अलावा, वर्ष 2019-20 से वर्ष 2020-21 तक संबद्ध देशों से आयात मात्राएं *** प्रतिशत तक घटी थीं जबकि आवेदक के निर्यात बिक्रियों में इसी अवधि के दौरान *** प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह सच है कि पीओआई

के दौरान संबद्ध देश से आयात मात्राओं में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इससे ऊपर की गई जांच के अनुसार पीयूसी के निर्यात के आवेदक के रुझान से सीधे सहसंबंध प्रतीत नहीं होता है।

100. यह भी नोट किया जाता है कि 2018-19 से 2020-21 तक जब आवेदक को लाभप्रदता या उसके बाजार हिस्से की दृष्टि से क्षति नहीं हो रही थी तब आवेदक की घरेलू बिक्रियां कमोबेश स्थिर रहीं हैं और केवल *** एमटी से *** एमटी के बीच उतार-चढ़ाव हुआ है। आवेदक इस अवधि के दौरान अपनी घरेलू बिक्री मात्राओं में सुधार नहीं कर पाया है जब उसे स्पष्ट रूप से संबद्ध आयातों से कोई क्षति नहीं हुई थी। फिर भी आवेदक ने अपने निर्यात बिक्री मात्राओं में वृद्धि की है। यह अवधि (2018-19 से 2020-21) ऐसी अवधि थी जब संबद्ध वस्तु के आयातों में धीरे-धीरे गिरावट देखी गई थी। यह दर्शाता है कि निर्यात बाजार में बिक्री के लिए आवेदक का रुझान संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि द्वारा प्रभावित नहीं हुआ है। आवेदक संबद्ध देश से आयात मात्राओं पर विचार किये बिना अपनी निर्यात बिक्रियों में निरंतर वृद्धि कर रहा है। आवेदक ने संबद्ध से आयातों से असंबंधित कतिपय कारणों से अपनी घरेलू बिक्रियों में सापेक्ष रूप से उच्च क्षमता उपयोग के बावजूद कतिपय स्तर से आगे वृद्धि नहीं की है। वास्तव में पीओआई के दौरान आवेदक की समग्र बिक्रियां (घरेलू, निर्यात, आबद्ध) उसकी उत्पादन क्षमता से भी अधिक रही थीं।

ट.2 बाजार हिस्सा

ट.2.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

101. बाजार हिस्से के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. आवेदक के बाजार हिस्से में अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2021 तक वृद्धि हुई है, क्योंकि संबद्ध देश से आयात में गिरावट आई है। आयातों में वृद्धि के साथ आवेदक के बाजार हिस्से में गिरावट आई है¹⁴³।

ट.2.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

102. बाजार हिस्से के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान याचिकाकर्ता

ख. की बिक्रियों में वृद्धि हुई है। निर्यात बिक्रियों और आबद्ध खपत बिक्रियों में भी तेजी से वृद्धि हुई है¹⁴⁴।

ट.2.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

103. प्राधिकारी ने आयातों तथा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से का नीचे तालिका में आकलन किया है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
1.	आवेदक की घरेलू बिक्रियां	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	131	141	109	124
2.	अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0	0	0	0	0	0
3.	संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	60	46	91	70
4.	अन्य देशों से आयात	%	1%	0	0	0	0	0
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	0	0	0	0	0
5.	कुल आयात	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	58	45	88	68

104. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में सुधार हुआ है जबकि संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में इस अवधि के दौरान गिरावट आई है। पीओआई के उत्तरार्ध में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा *** प्रतिशत है जबकि संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा *** प्रतिशत है। यह देखा गया है कि पीओआई के उत्तरार्ध

¹⁴³ आवेदन पैरा 62

¹⁴⁴ हुबेई के लिखित अनुरोध, पैरा 12

के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पीओआई के पूर्वाध तथा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। दूसरी ओर संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में पीओआई के उत्तरार्ध के दौरान वृद्धि हुई है।

105. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के दौरान देखे गये मात्रा के रुझानों की तुलना चीन जन. गण. से मेट्रोनिडाजोल संबंधी पूर्ववर्ती जांच की दूसरी निर्णायक समीक्षा के दौरान देखे गये रुझानों के साथ नीचे दी गई तालिका में की है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	जनवरी - दिसंबर 2010*	जनवरी -जून 2011*	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (2021-22)
1.	घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	268	175	***	***	***	***
2.	अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	466	466	0	0	0	
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	0	0	0	0
3.	घरेलू उत्पादकों की कुल बिक्रियां	एमटी	734	641	***	***	***	***
4.	संबद्ध देश से आयात	एमटी	1,133	1,049	839	662	397	485
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	74	58	35	
5.	अन्य देशों से आयात	एमटी	0	92	26	0	0	0
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	28	0	0	0
6.	कुल आयात	एमटी	1,133	1,141	865	662	397	485
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	76	58	35	
7.	मांग/उपभोग (डीआई की आवद्ध बिक्री को छोड़कर)	एमटी	1,867	1,782	***	***	***	***
मांग में बाजार हिस्सा (डीआई की आवद्ध बिक्री को छोड़कर)								
8.	घरेलू उद्योग	%	14.38 %	9.82%	***	***	***	***
9.	अन्य उत्पादक	%	24.94 %	26.14 %	***	***	***	***
10.	संबद्ध देश से आयात	%	60.68 %	58.88 %	***	***	***	***
11.	अन्य देशों से आयात	%	0%	5.16%	***	***	***	***

*मेट्रोनिडाजोल संबंधी पूर्ववर्ती जांच की दूसरी एसएसआर के अंतिम जांच परिणाम के अनुसार¹⁴⁵

106. मेट्रोनिडाजोल संबंधी पूर्ववर्ती जांच की दूसरी एसएसआर की जांच अवधि जनवरी से दिसंबर, 2010 थी। प्राधिकारी ने जनवरी से जुलाई, 2011 के पीओआई के बाद के आंकड़ों का भी इसमें विश्लेषण किया था। जैस उक्त तालिका से देखा जा सकता है। वर्ष 2010 और 2011 में मेट्रोनिडाजोल की मांग पीओआई के दौरान मेट्रोनिडाजोल के मांग के समान है जबकि वर्ष 2010 और 2011 में चीन से निर्यातों का काफी बड़े बाजार हिस्से पर कब्जा था। तथापि, क्षति अवधि और वर्तमान जांच की पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग का काफी बड़ा हिस्सा है।

¹⁴⁵ अंतिम जांच परिणाम सं. 15/9/2003डीजीएडी दिनांक 29 जून, 2012, "चीन जनगण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेट्रोनिडाजोल के आयातों से संबंधित . की निर्णायक समीक्षालागू पाटनरोधी शुल्क, पैरा 20https://dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_SSR2_metronidazole_chinaPR.pdf

ट.3 लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ**ट.3.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध**

107. घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

- क. आवेदक की लाभप्रदता में पीओआई में भारी गिरावट आई है। आवेदक पीओआई के दौरान न्यूनतम लाभ अर्जित कर रहा है¹⁴⁶।
- ख. नकद लाभ और आरओसीई में लाभप्रदता जैसे रुझान देखे गये हैं¹⁴⁷।
- ग. नकद लाभ और कर पूर्व लाभ पीओआई के दौरान ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर पर हैं¹⁴⁸।
- घ. आवेदक ने यह तर्क देने के लिए *फोरम ऑफ ऐक्रेलिक फाइबर मैन्युफैक्चरर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* मामले में एलडी सेस्टेट के निर्णय पर भरोसा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण आपूर्ति और मांग के बाजार शक्तियों का परिणाम होता है। अतः घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को मामूली नहीं माना चाहिए¹⁴⁹।

ट.3.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

108. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

- क. आवेदक की बिक्री लागत में तीव्र और अचानक वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है जबकि आवेदक की बिक्री कीमत उसी क्रम में नहीं बढ़ी है¹⁵⁰।
- ख. आवेदक की कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण बिक्री लागत में वृद्धि हुई है। कच्ची सामग्री की लागत उतनी अधिक नहीं है जितनी आवेदक ने दावा किया है¹⁵¹।

ट.3.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

109. निम्नांकित तालिका में घरेलू उद्योग के वित्तीय मापदंडों से संबंधित आंकड़े दिये गये हैं:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
1.	बिक्री लागत प्रति यूनिट	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	101	115	139	126
2.	बिक्री कीमत प्रति यूनिट	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	108	109	115	112
3.	लाभ/हानि	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	47	147	77	(12)	35
4.	लाभ/हानि (पीबीटी)	रू. लाख	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	63	152	-	-	35
5.	पीबीआईटी	रू./एमटी	***	***	***	***	***	***

¹⁴⁶ आवेदन पैरा 68

¹⁴⁷ आवेदन पैरा 68

¹⁴⁸ आवेदक के लिखित अनुरोध पैरा 71

¹⁴⁹ आवेदक का खंडन, पैरा 30 और 31

¹⁵⁰ हुवेई के लिखित अनुरोध

¹⁵¹ तदेव

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	59	140	74	(8)	35
6.	पीबीआईटी	रु. लाख	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	66	145	79	(8)	36
7.	नकद लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	61	144	79	(5)	39
8.	नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	149	84	(5)	39
9.	आरओसीई	%	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	64	144	75	(8)	35

110. आवेदक ने फोरम ऑफ ऐक्रेलिक फाइबर मैनुफैक्चरर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में एनडी सेस्टेट के निर्णय पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया है कि लाभ व्यवसाय उद्यम के लिए संगत और महत्वपूर्ण होते हैं और घरेलू उद्योग लाभ में गिरावट को मामूली या परिणाम रहित नहीं माना जाना चाहिए¹⁵²।

111. यह देखा गया है कि:

- विक्री लागत और विक्री कीमत में आधार वर्ष से पीओआई में वृद्धि हुई है। विक्री लागत में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान काफी वृद्धि हुई है। विक्री लागत में यह वृद्धि पीओआई के उत्तरार्ध में सर्वाधिक रही है।
- आवेदक के लाभ वर्ष 2019-20 में घटे और वर्ष 2020-21 में बढ़े हैं और पीओआई में न्यूनतम स्तर तक घट गये हैं। पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओसीई में भी यही रुझान रहा है। पीओआई के उत्तरार्ध में आवेदक को घाटा हुआ है। तथापि, पीओआई के पूर्वाध में आवेदक ने पर्याप्त लाभ कमाया है। तथापि, आवेदक की लाभप्रदता पूर्ववर्ती वर्ष के मुकाबले पीओआई में घट गई है, वह समग्र रूप से लाभप्रद रहा है।
- यह देखा गया है कि वर्ष 2020-21 के दौरान यद्यपि आयातों की मात्रा जांच अवधि के न्यूनतम स्तर पर रही है, तथापि आवेदक ने पर्याप्त लाभ कमाया है। यह पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओसीई में प्रदर्शित होता है।

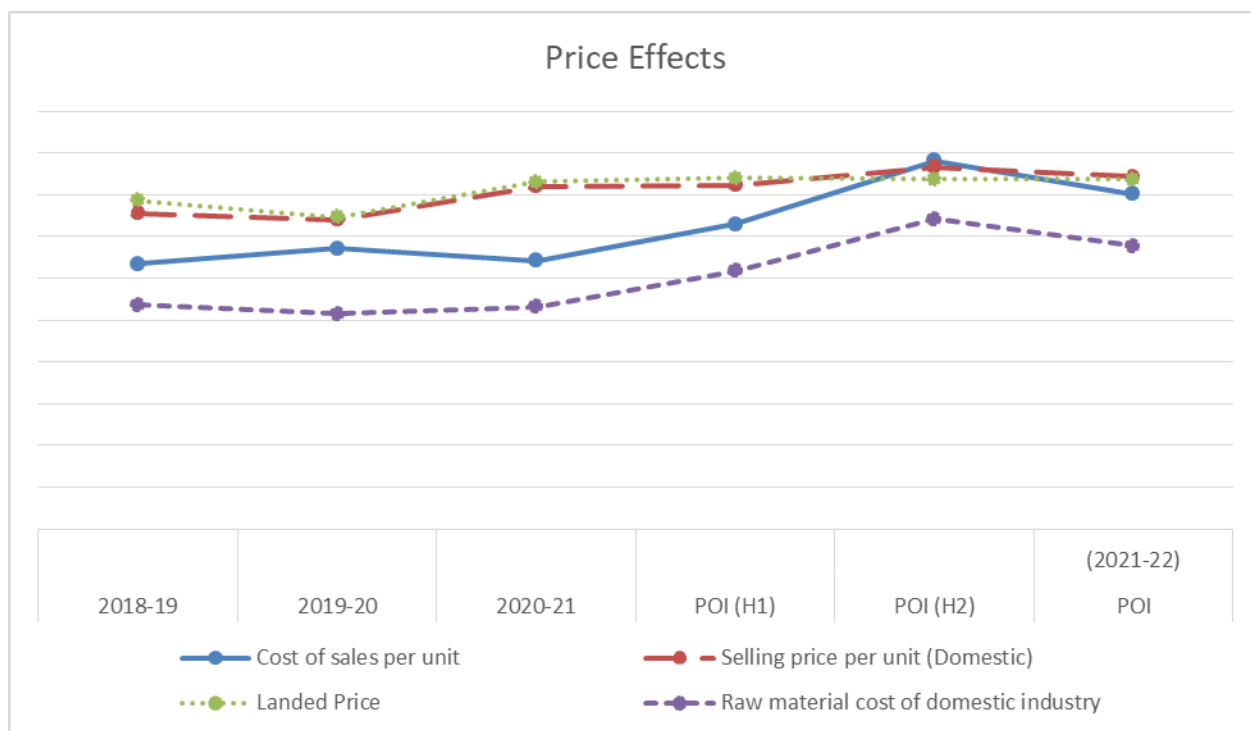
112. आवेदक के निष्पादन की जांच पीओआई के दौरान कच्ची सामग्री की लागत (विशेष रूप से पीओआई के उत्तरार्ध में) में पर्याप्त वृद्धि के आलोक में जांच की जानी चाहिए। यह देखा गया है कि यद्यपि पीओआई के पूर्वाध में आवेदक पर्याप्त लाभ कमा रहा है, आरओसीई, पीओआई के उत्तरार्ध में स्थिर और संतोषजनक है तब कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि हुई और आवेदक की लाभप्रदता में गिरावट भी आई।

113. पीओआई के उत्तरार्ध में आवेदक की विक्री कीमत भी उसकी विक्री लागत से कम रही थी जिससे पता चलता है कि उसे पीओआई के उत्तरार्ध में घाटा हुआ है। विक्री लागत में वृद्धि के लिए कच्ची सामग्री की कीमत वृद्धि जिम्मेदार हो सकती है। यद्यपि विक्री लागत कच्ची सामग्री की कीमत के अनुसार चली है। परंतु घरेलू उद्योग की विक्री कीमत, पहुंच मूल्य के अनुसार चली है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
1.	विक्रियों की लागत प्रति यूनिट	रु./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	101	115	139	126
2.	विक्री कीमत प्रति यूनिट (घरेलू)	रु./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	108	109	115	112

3.	पहुंच कीमत	रु./एमटी	7,87,082	7,46,700	8,30,524	8,40,696	8,36,797	8,37,977
4.	घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत	रु./एमटी	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	99	115	138	126

कीमत प्रभाव



114. पीओआई के उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की लागत में भारी वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में भी वृद्धि हुई है। तथापि, पीओआई के उत्तरार्ध में पहुंच कीमत स्थिर रही है और इसलिए घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में असमर्थ रहा था। कच्ची सामग्री में की कीमत में वृद्धि की वजह से और न कि पहुंच कीमत में गिरावट की वजह से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रभावित हुई है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि संबद्ध देश से आयात की पहुंच कीमत कच्ची सामग्री की में वृद्धि के अनुरूप नहीं है और इसलिए घरेलू उद्योग कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि से अपनी बिक्री कीमत समायोजित करने में असमर्थ रहा है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि निर्यातकों का कीमत व्यवहार – जिसके द्वारा आयात कीमतें कच्ची सामग्री की कीमत की वृद्धि से अप्रभावित नहीं हैं। - घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है।
115. आवेदक का यह दावा कि चीन के निर्यातकों की सीआईएफ आयात कीमत कच्ची सामग्री की लागत में परिवर्तन के अनुरूप नहीं रही है। आवेदक ने प्राधिकारी से कच्ची सामग्री के लागतों में परिवर्तन और सीआईएफ कीमत में परिवर्तन के बीच असमानता को नोट करने का अनुरोध किया है। निर्यात कीमत में अंतर के सापेक्ष कच्ची सामग्री की लागत में अंतरों के संबंध में हुबेई का दावा है कि कच्ची सामग्री की लागत उस संबंध में नहीं बढ़ी जैसा आवेदक ने दावा किया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन के उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति में प्रचालन नहीं करते हैं इसलिए उनकी लागत और कीमतों को स्वीकार नहीं करना चाहिए¹⁵³। आवेदक ने बताया है कि उसने विभिन्न असंबद्ध स्रोतों से कच्ची सामग्री खरीदी है जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत दर्शाते हैं। यह दावा किया गया है यदि

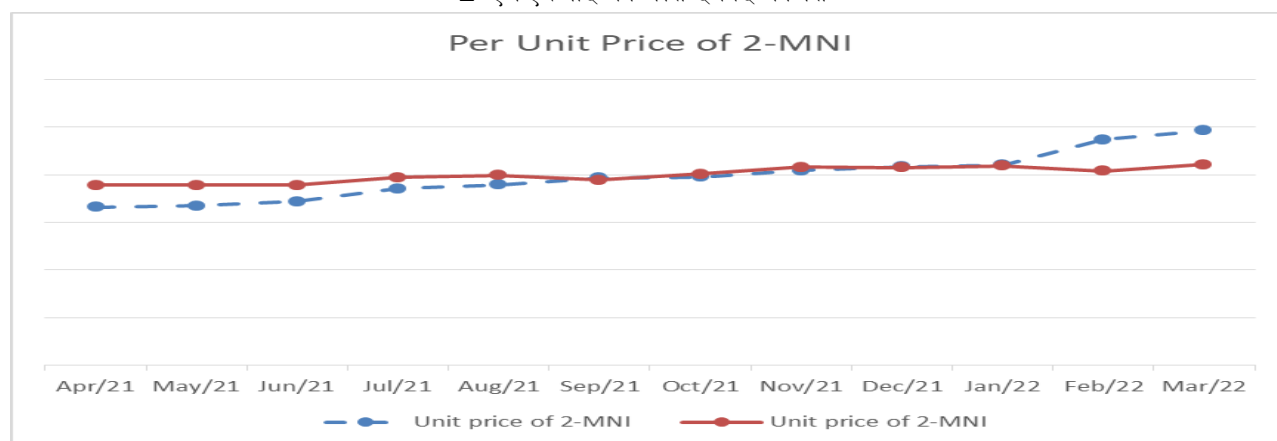
¹⁵³ आवेदक का खंडन, पैरा 24

चीन के उत्पादकों/निर्यातकों की कच्ची सामग्री की लागत अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमत से कम है तो यह निष्कर्ष होना चाहिए कि प्रतिवादी निर्यातकों की निविष्टियों कीमत विक्रित है¹⁵⁴।

116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आपूर्तिकर्ताओं से कच्ची सामग्री ली है। आवेदक ने मेट्रोनिडाजोल की प्रमुख कच्ची सामग्री 2 मिथाइल 5-नाइट्रो इमिडाज़ोल ("एमएनआई") की माह वार कीमत के आंकड़े दिये हैं जिसे उसने घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से लिया है। पीओआई के दौरान आवेदक द्वारा खरीदी गई 2-एमएनआई की माह वार कीमत नीचे दी गई है।

माह	2-एमएनआई की इकाई कीमत (रु./केजी)	
	घरेलू	आयातित
अप्रैल-21	***	***
मई-21	***	***
जून-21	***	***
जुलाई-21	***	***
अगस्त-21	***	***
सितंबर-21	***	***
अक्टूबर-21	***	***
नवंबर-21	***	***
दिसंबर-21	***	***
जनवरी-22	***	***
फरवरी-22	***	***
मार्च-22	***	***

2-एमएनआई की प्रति इकाई कीमत



117. ऊपर दी गई तालिका और ग्राफ से देखा गया है, घरेलू रूप से सोर्स किए गए 2-एमएनआई की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। पीओआई की दूसरी छमाही के दौरान, घरेलू रूप से सोर्स किए गए 2-एमएनआई की कीमत 2-एमएनआई के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक है। गौरतलब है कि 29 जुलाई 2023 के ईमेल के माध्यम से, घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में भारतीय बाजार में कच्चे माल की कीमत (विशेष रूप से 2-एमएनआई की कीमत) में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। प्राधिकरण ने आगे नोट किया है कि विषय वस्तुओं के लैंडेड मूल्य में तदनुरूपी वृद्धि के बिना कच्चे माल की लागत में वृद्धि केवल पीओआई के एच2 तक ही सीमित है। ऊपर दी गई तालिका और ग्राफ से देखा गया है, घरेलू रूप से सोर्स किए गए 2-एमएनआई की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। पीओआई की दूसरी छमाही के दौरान, घरेलू रूप से सोर्स किए गए 2-एमएनआई की कीमत 2-एमएनआई के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक है। गौरतलब है कि 29 जुलाई 2023 के ईमेल के माध्यम से, घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में भारतीय बाजार में कच्चे माल की कीमत (विशेष रूप से 2-एमएनआई की कीमत) में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। प्राधिकरण ने आगे नोट किया है कि विषय वस्तुओं के लैंडेड मूल्य में तदनुरूपी वृद्धि के बिना कच्चे माल की लागत में वृद्धि केवल पीओआई के एच2 तक ही सीमित है।

ट.4 मालसूची

ट.4.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

118. मालसूची के संबंध में आवेदक ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

- क. आवेदक की मालसूची में क्षति अवधि और पीओआई के दौरान गिरावट आई है¹⁵⁵।
- ख. 2019-20 में तब जब कोविड लाकडाउन लगाया गया तो परिणामस्वरूप में अंतिम मालसूची में वृद्धि हुई और इस अवधि के दौरान औसत मालसूची में वृद्धि हुई¹⁵⁶।
- ग. अंतिम मालसूची में वर्ष 2020-21 में गिरावट आई क्योंकि आवेदक का उत्पादन घट गया¹⁵⁷।
- घ. आवेदक की मालसूची में गिरावट आई है, क्योंकि उसने निर्यात बिक्रियां की हैं¹⁵⁸।

ट.4.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

119. मालसूची के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया है।

ट.4.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

120. निम्नलिखित तालिका घरेलू उद्योग की मालसूची के आंकड़े दर्शाती है:

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	35	387	168	112	168
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	1,101	479	319	201	201
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	312	411	208	135	177

¹⁵⁵ आवेदन पैरा 70

¹⁵⁶ आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 69

¹⁵⁷ तदेव

¹⁵⁸ तदेव

121. यह देखा गया है कि 2018-19 से 2020-21 तक मालसूची में वृद्धि हुई है। उसके बाद मालसूची के स्तर में गिरावट आई है। पीओआई के दौरान औसत मालसूची कम हुई है। तथापि, पीओआई के दौरान मालसूची का स्तर अब भी आधार वर्ष से अधिक है। वर्ष 2020-21 में स्टॉक इकट्ठा हो गया था। तथापि यह देखा गया है कि पीओआई के दौरान स्टॉक की पर्याप्त मात्रा निकाली गई थी। ऐसा आवेदक के उच्च उत्पादन और क्षमता उपयोग के बावजूद हुआ है। इसके अलावा, जैसा ऊपर नोट किया गया है पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की कुल विक्रियां (घरेलू, निर्यात या आबद्ध विक्रियां) *** एमटी हैं। घरेलू उद्योग को विक्री करने और विभिन्न विक्री चैनलों के जरिये (घरेलू, निर्यात या आबद्ध) अपनी मौजूदा स्टॉक को निकालने में कोई कठिनाई होती प्रतीत नहीं हो रही है।

ट.5 रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

ट.5.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

122. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

- क. उत्पादकता और वेतन तथा मजदूरी में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है¹⁵⁹।
- ख. रोजगार और मजदूरी विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन पर निर्भर नहीं है और आवेदक इन मापदंडों में क्षति का दावा नहीं कर रहा है¹⁶⁰।

ट.5.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

123. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- क. पीओआई के दौरान कर्मचारियों की संख्या में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है¹⁶¹।
- ख. मजदूरी में पीओआई के दौरान मामूली गिरावट आई है¹⁶²।
- ग. रोजगार और मजदूरी विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन पर निर्भर नहीं करती है और आवेदक इन मापदंडों में क्षति का दावा नहीं कर रहा है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को चीन जन. गण. से आयातों से कोई क्षति नहीं हुई है¹⁶³।
- घ. प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में पीओआई में आधार वर्ष से तेजी से वृद्धि हुई है¹⁶⁴।

ट.5.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

124. निम्नांकित तालिका रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित आंकड़े दर्शाती है:

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई (एच1)	पीओआई (एच2)	पीओआई (2021-22)
वेतन और मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	127	142	140	141
कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	95	95	95	95
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	109	126	122	124

¹⁵⁹ आवेदन, पैरा 66

¹⁶⁰ तदेव

¹⁶¹ हुबेई के लिखित अनुरोध, पैरा 13

¹⁶² हुबेई के लिखित अनुरोध, पैरा 13

¹⁶³ तदेव

¹⁶⁴ तदेव, पृष्ठ 14

प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	115	133	128	131

125. वेतन और मजदूरी में आधार वर्ष से पीओआई तक काफी वृद्धि है। यद्यपि कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है। प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में भी सुधार हुआ है। आवेदक ऊपर उल्लिखित मापदंडों के संबंध में क्षति का दावा नहीं कर रहा है¹⁶⁵।

ट.6 वृद्धि

ट.6.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

126. वृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

क. आवेदक ने अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2021 तक की अवधि में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, परंतु पीओआई में अधिकांश मापदंडों में ऋणात्मक वृद्धि हुई है¹⁶⁶।

ट.6.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

127. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने वृद्धि के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ट.6.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

128. उत्पादन, क्षमता उपेयाग, घरेलू बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के अनुसार वृद्धि नीचे तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	पीओआई
1	उत्पादन	वाई/वाई	***	***	***
2	बिक्री	वाई/वाई	***	***	***
3	प्रति यूनिट लाभ/(हानि)	वाई/वाई	***	***	***
4	मालसूची	वाई/वाई	***	***	***
5	बाजार हिस्सा	वाई/वाई	***	***	***
7	नकद लाभ	वाई/वाई	***	***	***
8	पीबीआईटी	वाई/वाई	***	***	***
9	आरओआई	वाई/वाई	***	***	***

129. यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि में 2020-21 की तुलना में गिरावट आई है। तथापि यह नोट किया जाए कि वर्ष 2020-21 के दौरान संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा काफी कम थी। 2020-21 के दौरान आयातों की कम मात्रा का संभावित कारण कोविड-19 महामारी और मांग में परिणामी गिरावट है। इसके अलावा, 2020-21 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता काफी अधिक थी। परिणामस्वरूप पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि में 2020-21 की तुलना में गिरावट आई है। मांग में गिरावट का प्रभाव, घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों में भी दिखता है जिनमें 2020-21 में ऋणात्मक वृद्धि हुई है।

ट.7 पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

130. आवेदक ने अनुरोध किया कि उसे नियोजित पूंजी पर कम आय का सामना करना पड़ा है और यह कि पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता काफी कमजोर हो गई है¹⁶⁷। तथापि, आवेदक ने इस दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है। अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है कि घरेलू उद्योग को इस मापदंड के संबंध में क्षति उठानी पड़ी है।

¹⁶⁵ आवेदन पैरा 66

¹⁶⁶ आवेदन पैरा 72

¹⁶⁷ आवेदन, पैरा 73

ट.8 क्षति संबंधी निष्कर्ष

131. उक्त सभी मापदंडों की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने यह संमुक्ति की है कि:

- i. आयातों की मात्रा में पीओआई की तुलना में आधार वर्ष में गिरावट आई है। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में आयातों में वृद्धि हुई है। तथापि, भारतीय उत्पादन और कुल मांग के संबंध में आयात आधार वर्ष की तुलना में कम हुये हैं।
- ii. यद्यपि पीओआई की बाद की अवधि में आयातों में वृद्धि हुई है, तथापि पीओआई के बाद की अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत किसी अन्य जांच अवधि के दौरान की पहुंच कीमत से काफी अधिक है। वास्तव में इस अवधि में पहुंच कीमत पीओआई के लिए परिकलित क्षतिरहित कीमत से अधिक है।
- iii. पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्से में काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा, आवेदक एक मात्र घरेलू उत्पादक है जो भारतीय बाजार में पीयूसी बेच रहा है। आवेदक के अलावा भारत में एक अन्य घरेलू उत्पादक है, तथापि, दूसरा घरेलू उत्पादक भारतीय बाजार में पीयूसी की बिक्री नहीं कर रहा है। संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई।
- iv. संबद्ध देश से आयात और आयातों का बाजार हिस्सा जनवरी, 2020 से जून, 2011 की अवधि की तुलना में पीओआई के दौरान काफी कम रहा है। बाजार में भारतीय उत्पादकों की एक सकारात्मक वृद्धि रही है। घरेलू उत्पादक स्थिर हो गये हैं और शुल्क के संरक्षण के बिना भी आयातों से मुकाबला कर सकते हैं।
- v. संपूर्ण जांच अवधि में पीओआई के उत्तरार्ध को छोड़कर कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण ऋणात्मक है। तथापि, पीओआई के उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की कीमत में काफी वृद्धि हुई है जिससे आवेदक की उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप इस अवधि में सकारात्मक कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण हुआ है।
- vi. घरेलू उद्योग का उत्पादन, स्थापित क्षमता, बिक्री मात्रा की दृष्टि से निष्पादन आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान बेहतर हुआ है। ऐसा पीओआई के दौरान कच्ची सामग्री में वृद्धि के बावजूद हुआ है।
- vii. घरेलू उद्योग पीओआई के उत्तरार्ध को छोड़कर संपूर्ण जांच अवधि में लाभप्रद रहा है। केवल पीओआई के उत्तरार्ध में लाभप्रदता (लाभ, नकद लाभ, आरओसीई और पीबीआईटी) ऋणात्मक हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के उत्तरार्ध में ऋणात्मक लाभप्रदता के लिए इस अवधि के दौरान कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- viii. आवेदक की औसत मालसूची में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में वृद्धि हुई है। तथापि पीओआई के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में मालसूची में गिरावट आई है।
- ix. वेतन और मजदूरी, उत्पादकता प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान सुधार हुआ है। आवेदक ने इस संबंध में क्षति का दावा नहीं किया है।
- x. आवेदक ने अपने उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों की दृष्टि से सकारात्मक वृद्धि दर्शायी है परंतु लाभप्रदता की दृष्टि से नकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। ऊपर की गई जांच के अनुसार आवेदक की लाभप्रदता की दृष्टि से नकारात्मक वृद्धि कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई है।

ठ पीओआई पश्चात विवेक्षण

ठ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

132. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि पीओआई के उत्तरार्ध में निष्पादन में गिरावट एक अस्थायी समस्या नहीं थी, बल्कि आयात का रुझान था और घरेलू उद्योग को क्षति पीओआई के बाद भी जारी रही है। दिनांक 29 जुलाई, 2023 के ई-मेल द्वारा घरेलू उद्योग ने अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 की अवधि के लिए इस तर्क हेतु सूचना प्रस्तुत की है कि घरेलू उद्योग को पीओआई के बाद भी क्षति होना जारी है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 एक अस्थायी समस्या नहीं थी, बल्कि चीन के निर्यातकों का कथित पाटन उसके

बाद भी जारी रहा है¹⁶⁸। आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक के आयातों में अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 की अवधि में समग्र रूप से वृद्धि हुई¹⁶⁹। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उनके बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि चीन के निर्यातकों का बाजार हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। आवेदक ने बताया कि उसके पास कुल घरेलू मांग का 85 प्रतिशत पूरा करने की क्षमता थी तथापि, वह पर्याप्त बाजार हिस्सा हासिल करने में असमर्थ है¹⁷⁰।

133. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि यद्यपि अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 की अवधि में आयात कीमत में वृद्धि हुई है तथापि आयात अब भी पाटित कीमत पर किये जा रहे हैं¹⁷¹। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि बिक्री कीमत और कच्ची सामग्री की लागत के बीच अंतर अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 की अवधि में भी कम बना हुआ है¹⁷²।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	बिक्री कीमत	कच्ची सामग्री की लागत	अंतर	अंतर (%)
1	2018-19	रू./केजी	***	***	***	***
2	2019-20	रू./केजी	***	***	***	***
3	2020-21	रू./केजी	***	***	***	***
4	2021-22 (एच1)	रू./केजी	***	***	***	***
5	2021-22 (एच 2)	रू./केजी	***	***	***	***
6	2022-23 (एच 1)	रू./केजी	***	***	***	***

134. आवेदक ने यह भी बताया है कि यद्यपि यह सच है कि कच्ची सामग्री की कीमत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में घरेलू बाजार में तेजी से वृद्धि हुई है। तथापि, वृद्धि के बाजवूद घरेलू बाजार में कच्ची सामग्री की कीमत कम बनी रही है¹⁷³। आवेदक ने तर्क दिया है कि कच्ची सामग्री को घरेलू बाजार से लेने के कारण लाभप्रदता में गिरावट हुई है। यदि आवेदक कच्ची सामग्री को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेता तो उसके घाटे और अधिक हो जाते¹⁷⁴।

क्र.सं.	विवरण	वास्तविक (रू./एमटी)		संपूर्ण आयातित कच्ची सामग्री पर विचार करते हुए (रू./एमटी)	
		अप्रैल-सितंबर'20	अक्टूबर-मार्च'21	अप्रैल-सितंबर'20	अक्टूबर-मार्च'21
1	कच्ची सामग्री की कीमत	***	***	***	***
2	अन्य लागत	***	***	***	***
3	कुल लागत	***	***	***	***
4	बिक्री लागत	***	***	***	***
5	लाभ/यूनिट	***	***	***	***

ठ.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के दौरान आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। तथापि, यह नोट किया जाए कि इस अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा

¹⁶⁸ दिनांक जुलाई 29, 2023 को आवेदक से प्राप्त ईमेल-, पैरा 1

¹⁶⁹ तदेव, पैरा 2

¹⁷⁰ तदेव पैरा 3

¹⁷¹ दिनांक जुलाई 29, 2023 को आवेदक का ईमेल-, पैरा 5

¹⁷² तदेव पैरा 6

¹⁷³ दिनांक 29 जुलाई, 2023 को आवेदक का ईमेल-, पैरा 9

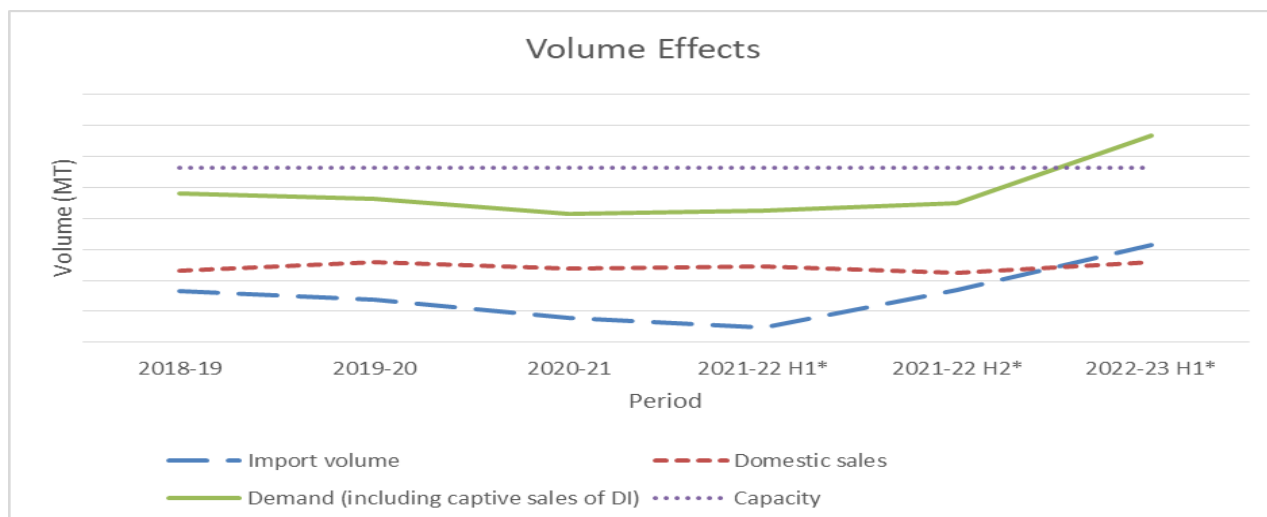
¹⁷⁴ तदेव, पैरा 9

यह देखा गया है कि अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 की अवधि के दौरान पीयूसी की मांग में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। जबकि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 एच1*	2021-22 एच 2*	2021- 22	2022-23 एच 1*
आयात मात्रा	एमटी	865	662	397	293	676	485	1,599
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	103	106	96	101	111
आबद्ध खपत सहित घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	109	119	102	110	113
मांग (डीआई की आबद्ध बिक्री सहित)	एमटी	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	86	88	93	91	139
मांग (डीआई की आबद्ध बिक्री को छोड़कर)	एमटी	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	79	75	88	82	143
आयात का बाज़ार हिस्सा (डीआई की आबद्ध बिक्री को छोड़कर)	%	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	61	46	93	71	134
आवेदक की बाज़ार हिस्सेदारी (डीआई की आबद्ध बिक्री को छोड़कर)	%	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	132	142	109	125	79
आवेदक का बाज़ार हिस्सा (डीआई की आबद्ध बिक्री सहित)	%	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	127	134	109	122	81

*का अर्थ यह है कि आंकड़े वार्षिकीकृत किये गये हैं।

मात्रा प्रभाव



136. यह नोट किया गया है कि आवेदक की स्थापित क्षमता पूरी जांच अवधि में समान बनी रही है। पूरी जांच अवधि (पीओआई की बाद की अवधि सहित) में आवेदक की घरेलू बिक्रियां वर्ष दर वर्ष मामूली अंतर के साथ लगभग समान स्तरों पर बनी रही हैं (***) एमटी से *** एमटी के बीच उतार-चढ़ाव। यह भी नोटिस किया गया है कि पीओआई के बाद की अवधि एक मात्रा ऐसी अवधि में जब संबद्ध देश से आयात आवेदक की घरेलू बिक्री से अधिक हैं। उक्त चित्र और तालिका से ऐसा लगता है कि घरेलू उद्योग की बिक्रियां संबद्ध देश के आयातों से प्रभावित नहीं हुई हैं। जांच की पूरी अवधि में आवेदक की घरेलू बिक्रिया एक सतत और स्थिर स्तर पर रही हैं जिनमें वर्ष दर वर्ष मामूली अंतर हुए हैं। वर्ष 2018-19 से पीओआई के पूर्वार्ध की अवधि में भी जब संबद्ध देश से आयातों की मात्रा बहुत कम थी और घट रही थी तब भी आवेदक की घरेलू बिक्रियां सूक्ष्म अंतरों के साथ स्थिर स्तर पर बनी रहीं। पीओआई के बाद की अवधि में आयातों की मात्रा में वृद्धि से घरेलू उद्योग की स्थिर घरेलू बिक्रियां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
137. पीओआई की बाद की अवधि में संबद्ध देश से आयात ने आवेदक की बिक्री में रुकावट नहीं डाली है, बल्कि भारत में संबद्ध वस्तु की कुल मांग में वृद्धि हुई है और संबद्ध देश से आयातों ने घरेलू उद्योग की बिक्री को खास प्रभावित किये बिना मांग में इस वृद्धि को पूरा किया है। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि पीओआई की बाद की अवधि में कुल घरेलू मांग घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता से काफी अधिक है और मांग बढ़ती हुई प्रतीत होती है। आवेदक ने तर्क दिया है कि उसके पास भारत में कुल घरेलू मांग के 85 प्रतिशत से अधिक को पूरा करने की क्षमता है। तथापि, घरेलू बिक्रियों की प्रवृत्ति के आधार पर ऐसा लगता है कि घरेलू उद्योग काफी कम आयात मात्राओं के बाद भी अपनी घरेलू बिक्रियों में कतिपय स्तर से अधिक वृद्धि करने में असमर्थ है।
138. बाजार हिस्से के विश्लेषण पर एक प्रारंभिक अर्थ निकाला गया है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा घटता हुआ प्रतीत होता है। तथापि, बिक्री की समग्र मात्रा के विश्लेषण पर यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में पीओआई की तुलना में पीओआई के बाद की अवधि में वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि इस अवधि में आयातों की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, पीओआई के बाद की अवधि में मांग में भी वृद्धि हुई है। मांग में इस वृद्धि को घरेलू उद्योग तथा आयातों ने हासिल कर लिया है। यद्यपि मांग में इस वृद्धि के अधिकांश हिस्से पर आयातों ने कब्जा किया है। इससे एक स्पष्ट निष्कर्ष निकल सकता है कि आवेदक को मात्रात्मक मापदंडों में लाभ उठाना पड़ा है। तथापि, जब इन आंकड़ों को आयातों और घरेलू बिक्रियों से कीमत व्यवहार के साथ देखा जाता है तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देती है। जैसा नीचे तालिका में उल्लिखित है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आयातों की पहुंच मूल्य से काफी कम है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत बताते हैं कि यदि अन्य बातें समान हों (जैसे किसी उत्पाद की गुणवत्ता), तो उपभोक्ता उच्चतर कीमत की वस्तु की तुलना में कम कीमत की वस्तु को खरीदता है। आयातों से कम कीमतों पर अपनी वस्तु को बेचने के बावजूद घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के बड़े हिस्सा को नहीं ले पाया है। घरेलू उद्योग इस बात का कोई सही स्पष्टीकरण भी नहीं दे सका है। अतः आयातों द्वारा मांग में वृद्धि पर कब्जा करना पीओआई के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता प्रतीत नहीं होता है।

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (एच1)	2021-22 (एच 2)	2022-23 (एच 1)
पहुंच कीमत	रू./केजी	787	747	831	841	837	978
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	106	107	106	124
बिक्री कीमत	रू./केजी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	108	109	115	125
कच्ची सामग्री की लागत	रू./केजी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	99	115	138	144

139. जैसा उक्त तालिका में देखा गया है घरेलू उद्योग के पास भी आयातों के पहुंच मूल्य में भारी अंतर को देखते हुए अपनी कीमत बढ़ाने का अवसर था और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु की बिक्री कीमत बढ़ाने और इस प्रकार लाभ में वृद्धि करने का अवसर था। तथापि, ऐसा नहीं हुआ है। इसके अलावा, कम कीमत पर बिक्री के बावजूद मांग में वृद्धि को हासिल करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता यह दर्शाती है कि अन्य अज्ञात कारक प्रभाव डाल रहे हैं जो घरेलू उद्योग को मांग को प्राप्त करने से रोकते हैं।

140. इसके अलावा, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जांच अवधि दौरान लगभग 70-88 प्रतिशत के बीच रहा है। फिर भी घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री मात्रा पूरी जांच अवधि में बढ़कर कतिपय स्तर से अधिक नहीं हुई है। यह तर्क कि घरेलू उद्योग के पास कुल घरेलू मांग के 85 प्रतिशत से अधिक को पूरा करने की क्षमता है, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि पूरी जांच अवधि से आवेदक ने अपने उत्पादन में पीयूसी के अधिकांश हिस्से को निर्यात बाजारों और आबद्ध खपत के लिए समर्थित किया है। अतः पूरी क्षमता उपयोग बावजूद यह संभावना नहीं है कि घरेलू उद्योग कुल घरेलू मांग के 85 प्रतिशत को पूरा करेगा। इसे नीचे तालिका से देखा गया है।

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 एच1	2021-22 एच 2	पीओआई (2021-22)
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	103	106	96	101
निर्यात बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	133	157	186	171
आबद्ध बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	125	157	118	137
घरेलू उद्योग की कुल बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	114	64	61	124
कुल मांग (डीआई की आबद्ध खपत सहित)	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	88	88	102	140
कुल मांग (डीआई की आबद्ध खपत को छोड़कर)	एमटी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	79	-	-	82
आयात मात्रा	एमटी	839	662	397	147	338	485

141. इसके अलावा, यह तर्क कि घरेलू उद्योग संबद्ध देश से आयातों के कारण मांग में वृद्धि का लाभ उठाने में असमर्थ रहा है। स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि घरेलू उद्योग पूरी जांच अवधि – उस अवधि सहित जब संबद्ध देश से आयात की मात्रा कम थी (अर्थात् 2018-19 से पीओआई के पूर्वाध तक) में अपनी घरेलू बिक्री मात्रा को कतिपय स्तर से अधिक नहीं बढ़ा पाया है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाना चाहिए कि 2018-19 से पीओआई के पूर्वाध तक घरेलू उद्योग की लाभप्रदता सकारात्मक और काफी अधिक थी जबकि संबद्ध देश से आयात की मात्रा कम थी। आवेदक का यह तर्क कि बाजार हिस्सा कम हुआ है, स्वीकार नहीं किया जा सकता जैसा ऊपर बताया गया है। बाजार हिस्से के रद्धानों को घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट के रूप में नहीं बताया जा सकता है बल्कि घरेलू मांग में वृद्धि के रूप में बताया जा सकता है जिसे घरेलू उद्योग पूरा करने में असमर्थ रहा है। आयातों की बड़ी हुई मात्रा, घरेलू मांग में वृद्धि को पूरा करने में सक्षम रही है। जबकि आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक रही थी।
142. यह भी नोट किया जाता है कि आयातों की मात्रा में वृद्धि को आयातों की कीमत, कच्ची सामग्री की कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के संदर्भ विश्लेषित किया जाना चाहिए।

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (एच 1)	2021-22 (एच 2)	2022-23 (एच 1)
पहुंच कीमत	रू./केजी	787	747	831	841	837	978
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	106	107	106	124
बिक्री कीमत	रू./केजी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	108	109	115	125
कच्ची सामग्री की लागत	रू./केजी	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	99	115	138	144

143. यह देखा गया है कि यद्यपि पीओआई के बाद की 6 महीने की अवधि के दौरान आयातों की मात्रा आवेदक की घरेलू बिक्री मात्रा से अधिक है। तथापि आयातों की पहुंच कीमत भी उच्चतर है। उच्चतर पहुंच कीमत के बावजूद संबद्ध आयातों की बिक्री मात्रा आवेदक की घरेलू बिक्रियों से अधिक है। इसके अलावा, पीओआई के बाद की 6 महीने की अवधि में कच्ची सामग्री की कीमत में पूर्ववर्ती 6 महीने की तुलना *** रू/एमटी की वृद्धि (*** प्रतिशत वृद्धि) हुई है। जबकि पहुंच मूल्य में *** रू/एमटी तक वृद्धि (*** प्रतिशत वृद्धि) और बिक्री कीमत में *** रू/एमटी की वृद्धि (*** प्रतिशत वृद्धि) हुई है।

विवरण	अक्टूबर' 21 से मार्च 22 (रू./केजी)	अप्रैल' 22 से सितंबर' 22 (रू./केजी)	वृद्धि (रू./केजी)	वृद्धि (%)
बिक्री कीमत	***	***	***	***
कच्ची सामग्री की कीमत	***	***	***	***
पहुंच कीमत	***	***	***	***

144. उक्त तालिका दर्शाती है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि कच्ची सामग्री की कीमत की वृद्धि से अधिक है। इसके अलावा, आवेदक अपने बिक्री कीमत को कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि से अधिक स्तर पर बढ़ाने में सक्षम रहा है। यह भी नोटिस किया गया है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध आयातों से किसी कीमत दबाव का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक थी।

ड क्षति मार्जिन

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

145. क्षति मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- क. चूंकि अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 के दौरान नकारात्मक क्षति मार्जिन था। इसलिए क्षति विश्लेषण के लिए 2021-22 को समग्र रूप से शामिल करना उचित नहीं होगा¹⁷⁵।
- ख. अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 की अवधि में घरेलू उद्योग का निष्पादन तर्कसंगत रूप से अच्छा था जबकि अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 में तेजी से खराब हुआ है। अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 को शामिल करने का अर्थ ऐसी अवधि शामिल करना होगा जब घरेलू उद्योग के निष्पादन में वास्तविक खराबी नहीं आई थी¹⁷⁶।
- ग. प्राधिकारी को क्षति मार्जिन के आकलन के लिए डब्ल्यू-डब्ल्यू पद्धति के बजाय डब्ल्यू-टी पद्धति लागू करनी चाहिए¹⁷⁷।
- घ. क्षति मार्जिन अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021 की अवधि में नकारात्मक था, परंतु अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 में *** प्रतिशत तक बढ़ गया। अतः औसत आधार पर की गई गणना का अर्थ दोनों अवधियों का विलय करना होगा जब घरेलू उद्योग चीन के पाटन से क्षति नहीं हो रही थी¹⁷⁸।
- ड. यद्यपि डब्ल्यूटीओ ने माना है कि पाटन का “शून्य केंद्रण” पाटनरोधी करार के अधिदेश के विरुद्ध है, इस करार में प्राधिकारी को क्षति मार्जिन के लिए शून्य केंद्रण करने को नोट करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है¹⁷⁹।
- च. प्राधिकारी केवल उन सौदों पर विचार कर सकते हैं जो क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु क्षतिरहित कीमत से कम पर हुये हैं और शुल्क की राशि पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि घरेलू उद्योग की चिंताएं केवल कम कीमत के आयातों के विरुद्ध हैं। अतः उच्च कीमत के आयातों पर निर्धारण के लिए भी विचार करने का कोई कारण नहीं है¹⁸⁰।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

146. क्षति मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

- क. पीओआई के लिए प्राधिकारी द्वारा क्षतिमार्जिन की गणना हेतु समेकित आंकड़ों पर विचार करना चाहिए¹⁸¹।
- ख. याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी से क्षति के आकलन के लिए 6 महीने की पीओआई पर विचार करने का अनुरोध किया है। तथापि, प्राधिकारी ने 12 महीने की पीओआई पर विचार करने का निर्णय लिया है¹⁸²।
- ग. व्यापार उपचार जांच के लिए प्रचालन प्रक्रियाओं के मैनुअल पैरा 5.10 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा एक बार निर्धारित पीओआई को संशोधित नहीं किया जा सकता है¹⁸³।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

147. क्षति के मार्जिन का निर्धारण न तो मात्रात्मक शब्दों में चोट को दर्शाता है और न ही यह चोट के अस्तित्व की पुष्टि करता है। तथापि, चूंकि डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए प्राधिकरण को क्षति मार्जिन निर्धारित करना आवश्यक नहीं लगता है।

ढ कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

ढ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

148. घरेलू उद्योग ने कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

¹⁷⁵ आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 17(क)

¹⁷⁶ तदेव पैरा 17

¹⁷⁷ तदेव पृष्ठ 6

¹⁷⁸ आवेदक के लिखित अनुरोध, पैरा 26

¹⁷⁹ तदेव पैरा 36

¹⁸⁰ तदेव पैरा 35

¹⁸¹ हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 7

¹⁸² तदेव

¹⁸³ तदेव

- क. संबद्ध देश से इतर देशों से नगण्य आयात हुए हैं और उनकी कीमत अधिक है¹⁸⁴।
- ख. भारत में पीयूसी की मांग में पीओआई के दौरान वृद्धि हुई है। यद्यपि आवेदक की घरेलू बिक्रियों में गिरावट आई है¹⁸⁵।
- ग. भारत में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं। प्रौद्योगिकी में कोई खास विकास नहीं हुआ है, आवेदक ने अपने निर्यात निष्पादन को अलग किया है, आवेदक की उत्पाकता उत्पादन में परिवर्तन की तर्ज पर है, आवेदक द्वारा प्रदत्त आंकड़े केवल पीयूसी के उसके निष्पादन से संबंधित हैं¹⁸⁶।
- घ. आवेदक ने कच्ची सामग्री की कमी, विद्युत की कमी, की किसी बाधा, किसी कर भेदभाव के प्रभाव, पर्याप्त क्षमता के अभाव या निवेश संबंधी अवरोधों का सामना नहीं किया है¹⁸⁷।
- ड. संबद्ध आयातों की आयात कीमत में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान गिरावट आई है जिससे आयात मात्रा में वृद्धि संभव हुई है¹⁸⁸।
- च. संबद्ध आयातों की आयात कीमत बिक्री लागत से काफी कम है¹⁸⁹।
- छ. कीमत दबाव आवेदक के लाभ, नकद लाभ और घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नियोजित पूंजी पर आय पर काफी कम हो गया है¹⁹⁰।
- ज. आयातों की मात्रा में वृद्धि ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को छीन लिया है¹⁹¹।

ढ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

149. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकार ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

- क. यूएस – हॉट रोलड स्टील में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय का निर्णय है कि गैर-आरोपण विश्लेषण में जांचकर्ता प्राधिकारियों को पाटित आयातों के क्षतिकारी प्रभावों से अन्य ज्ञात कारणात्मक कारकों के क्षतिकारी प्रभावी को अलग और भिन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है¹⁹²।
- ख. प्राधिकारी के लिए अन्य कारकों के क्षतिकारी प्रभाव से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को अलग करना अपेक्षित है¹⁹³।
- ग. आंतरिक समस्याएं, मंदी की वैश्विक बाजार दशाएं, कोविड-19 का प्रभाव, मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव, मुद्रास्फीति, बल्क ड्रग वस्तुओं की कीमत वृद्धि ऐसे कारक हैं जिन्होंने घरेलू उद्योग की क्षति में योगदान दिया है¹⁹⁴।
- घ. भारतीय रुपया रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद कमजोर हुआ है जिससे मुद्रास्फीति हुई है। यह घरेलू उद्योग को क्षति का कारण है¹⁹⁵।

ढ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

150. एडी नियमावली 1995 के अनुबंध-II के पैरा (v) में प्राधिकारी के लिए यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है। इसी के साथ प्राधिकारी के लिए पाटित आयातों से इतर ऐसे अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना अपेक्षित है जिनसे घरेलू उद्योग निष्पादन प्रभावित हो सकता हो ताकि ऐसे अन्य कारकों से हुई क्षति के लिए संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में,

¹⁸⁴ आवेदन पैरा 96

¹⁸⁵ तदेव पैरा 98

¹⁸⁶ तदेव पैरा 99

¹⁸⁷ आवेदन पैरा 102

¹⁸⁸ तदेव पैरा 104 (i)

¹⁸⁹ तदेव पैरा 104(ii)

¹⁹⁰ तदेव पैरा 104(i iii)

¹⁹¹ तदेव पैरा 104 (iv)

¹⁹² हुबेई के लिखित अनुरोध, पृष्ठ 15

¹⁹³ तदेव पृष्ठ 16

¹⁹⁴ तदेव, पृष्ठ 17

¹⁹⁵ तदेव, पृष्ठ 17

संगत कारकों में पाटित कीमतों पर नहीं बेची गई संबद्ध वस्तु की मात्रा, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने पीओआई के उत्तरार्ध में निष्पादन में गिरावट दर्शाई है। प्राधिकारी ने ऐसे अन्य कारकों का विश्लेषण किया है जिन्होंने घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट में योगदान दिया हो। पूर्वोक्त कारकों की नीचे जांच की गई है।

ढ.3.1 मांग में संकुचन

151. यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान आधार वर्ष की तुलना में संबद्ध वस्तु की मांग में गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्रियों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है जबकि पीओआई की तुलना में आधार वर्ष में आयात की मात्रा में गिरावट आई है। आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है।

ढ.3.2 खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

152. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई तर्क या कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन सिद्ध करता हो।

ढ.3.3 व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

153. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की मौजूदगी के बारे में कोई तर्क या कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

ढ.3.4 प्रौद्योगिकी में विकास

154. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पीयूसी के विनिर्माण में प्रौद्योगिकी में किसी विकास को दर्शाते हुए कोई तर्क या कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

ढ.3.5 घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

155. आवेदक के निर्यात निष्पादन में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान सुधार हुआ है।

ढ.3.6 घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादों का निष्पादन

156. क्षति विश्लेषण केवल पीयूसी के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन के आधार पर किया गया है। अतः घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादों का निष्पादन वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ संगत नहीं है।

ढ.3.7 मंदी की वैश्विक बाज़ार स्थितियाँ

157. हुबेई ने तर्क दिया है कि आवेदक के निष्पादन में वैश्विक बाज़ार की मंदी की स्थितियों तथा कोविड-19 के प्रभाव के कारण गिरावट आई है। हुबेई ने यह भी तर्क दिया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भी भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ है जो घरेलू उद्योग का क्षति का कारण हैं। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल ऐसा बोलने के अलावा हुबेई ने अपने दावों को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

ढ.3.8 कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि

158. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंड पीओआई के उत्तरार्ध को छोड़कर संपूर्ण जांच अवधि में सकारात्मक रहे हैं। आवेदक ने यह भी बताया है कि पीओआई के उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की कीमत में काफी वृद्धि हुई है जबकि सीआईएफ आयात कीमत इसके अनुरूप नहीं चली है। आवेदक ने बताया है कि मध्य देशों से आयात की साथ-साथ कच्ची सामग्री कीमत में वृद्धि से क्षति हो रही है।
159. प्राधिकारी ईसी – सलमॉन (नार्वे) में डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट¹⁹⁶ को नोट करते हैं कि आवेदक की उत्पादन लागत में कुल वृद्धि घरेलू उद्योग को क्षति की कारणात्मकता के आकलन के लिए एक संगत कारक है। इस मामले में यह तर्क दिया गया कि किसी उद्योग ने प्रति यूनिट उत्पादन लागत में भारी वृद्धि देखी है जो स्पष्ट करता है कि क्यों बिक्री मात्रा और स्थिर कीमतों (पाउंड स्टैडिंग में मापित) में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है। यह तर्क दिया गया था कि यदि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि नहीं हुई थी तो वह लाभप्रद होता। पैनल की यह संमुक्ति थी कि ईसी को अपने कारणात्मक संबंध विश्लेषण में उत्पाद लागत में वृद्धि के प्रभाव की जांच करना अपेक्षित है। पैनल की संमुक्ति निम्नानुसार है:

¹⁹⁶ पैनल रिपोर्ट, यूरोपीय समुदाय – नार्वे से फास्ड साल्मन पाटनरोधी संबंधी उपाय, डब्ल्यूटीडीएस337//आर जनवरी 15, 2008 को स्वीकृति

7.660 ईसी यह दावा करता है कि नार्वे इस तर्क के संबंध में प्रथमदृष्ट्या मामला बनाने में विफल रहा है कि बड़ी हुई लागत ईसी उद्योग को क्षति का कारण थी और यह कि ऐसा करने के लिए नार्वे को पैनल को यह बताना होगा कि वह क्यों यह मानता है कि लागत नहीं बढ़नी चाहिए थी, जैसा उसने किया। हम सहमत नहीं हैं। नार्वे ने यह दर्शाया है कि जांचकर्ता प्राधिकारी के समक्ष तथ्य यह दर्शाते हैं कि ईसी उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है और उसने जांचकर्ता प्राधिकारी को यह तर्क दिया था कि लागत में वृद्धि से क्षति हुई थी। अनंतिम और निश्चयात्मक विनियमन इस तर्क का समाधान नहीं करते हैं। ईसी ने ऐसी कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की जो जांचकर्ता प्राधिकारी या इस मुद्दे संबंधी विश्लेषण के लिए पहले मौजूद थी। इस तर्क पर विचार नहीं करने में ईसी ने यह नहीं दर्शाया है कि कोई वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष जांचकर्ता प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि बड़ी हुई उत्पादन लागत से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई थी और इसलिए यह कि इस कारक से हुई क्षति के लिए पाटित आयात जिम्मेदार नहीं थे। इन परिस्थितियों में हमारा मत है कि नार्वे ने दर्शाया है कि ईसी, एडी करार के 3.5 का अनुपालन करने में विफल रहा है।

160. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय बाजार में पीयूसी की कच्ची सामग्री कीमत में वृद्धि हुई है इससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति में वृद्धि हुई है। ऊपर नोट किये गये अनुसार घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की कीमतों में पीओआई के उत्तरार्ध में वृद्धि हुई है। यह उसी अवधि के दौरान आवेदक के निष्पादन और लाभप्रदता मापदंडों में गिरावट के साथ हुई है। अतः प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को पीओआई के उत्तरार्ध में हुई क्षति, यदि कोई हो, इस अवधि के दौरान कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई है। अतः प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, संबद्ध देश से आयातों के कारण नहीं हुई है।

ण भारतीय उद्योग के मुद्दे

ण.1 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

161. भारतीय उद्योग के मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

- क. आवेदक एक मात्र मौजूदा उत्पादक है जो भारतीय बाजार में पीयूसी की बिक्री कर रहा है। निरंतर पाटन से उत्पादन और बिक्री में पूरी तरह कमी हो सकती है¹⁹⁷।
- ख. एपीआई की लागत नुस्खों की लागत में अधिक नहीं है। पीयूसी पर शुल्क का अंतिम उत्पाद की लागत में कोई खास प्रभाव नहीं होगा¹⁹⁸।
- ग. मेट्रोनिडाजोल एपीआई की लागत अंतिम उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की अंतिम कीमत में प्रमुख भूमिका नहीं निभाती है। नुस्खों की कीमत मेट्रोनिडाजोल की तरह समान अनुपात में नहीं बढ़ती है¹⁹⁹।
- घ. अंतिम नुस्खे पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बिल्कल नगण्य है²⁰⁰।
- ड. उन दवाइयों की कीमतों में भारी अंतर है जो एपीआई में मेट्रोनिडाजोल का प्रयोग करती हैं। यह शुल्क की लागत वहन करने में प्रयोक्ता की क्षमता दर्शाता है²⁰¹।
- च. चीन के उत्पादकों ने भारतीय उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के प्रयास के रूप में भारतीय प्रयोक्ताओं के लिए काफी कम कीमतों का प्रस्ताव किया है। एक बार भारतीय उद्योग के समाप्त होने पर चीन के उत्पादकों पर अति निर्भरता हो जाएगी²⁰²।
- छ. घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी है और उचित कीमत के आयातों से प्रतिस्पर्धा में उपभोक्तों को उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम है²⁰³।

¹⁹⁷ आवेदन पैरा 82

¹⁹⁸ तदेव पैरा 83

¹⁹⁹ तदेव पैरा 84

²⁰⁰ तदेव पैरा 85

²⁰¹ तदेव पैरा 85

²⁰² आवेदन पैरा 87

²⁰³ तदेव पैरा 88

- ज. घरेलू उद्योग से पीयूसी लेना भारत में प्रयोक्त उद्योग के हित में है, क्योंकि संबद्ध देश से उत्पादक अपने लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। भारतीय उद्योग समान क्षेत्र में होने के कारण उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखेगा। उपभोक्ताओं को मालसूची का उच्चतर स्तर बनाये रखना होगा यदि वे आयातित सामग्री पर निर्भर रहते हैं। इसके विपरीत यदि वे घरेलू उत्पादकों से खरीद करते हैं तो मालसूची का उच्च स्तर बनाये रखने की जरूरत नहीं होगी²⁰⁴।
- झ. यह नहीं माना जा सकता है कि उपभोक्ताओं के प्रचालन केवल शुल्क लागू होने से पाटन के रुकने के कारण अव्यवहार्य हो जाएंगे²⁰⁵।

ण.2 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोध

162. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने भारतीय उद्योग से हित के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किये हैं।

ण.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

163. प्राधिकरण ने नोट किया है कि व्यापार उपचारात्मक उपायों को लागू करने का उद्देश्य समान अवसर सुनिश्चित करना है। हालांकि, ऐसे उपायों को लागू करने से विभिन्न हितधारकों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ सकता है। प्राधिकरण ने एडी नियम, 1995 के तहत यथा अपेक्षित दीक्षा अधिसूचना का प्रचार किया था और आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूची के अनुसार उद्योग संघों के साथ-साथ ज्ञात आयातकों को आवेदन की एक प्रति भी भेजी थी ताकि पाटन रोधी शुल्कों प्रभाव के बारे में अन्य हितधारकों के विचार प्राप्त किए जा सकें।
164. किसी भी उपयोगकर्ता उद्योग या आयातक ने जांच में भाग नहीं लिया है। जांच में बहुत देर से, प्रकटीकरण विवरण जारी करने से कुछ दिन पहले, [***] नाम की एक कंपनी, जिसने विषय वस्तुओं के आयातक और उपयोगकर्ता होने का दावा किया था, ने प्राधिकरण के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मांगा। इसने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि वह आवेदक से विषय वस्तुओं की लगातार खरीद कर रहा है। हालांकि, जैसा कि प्रक्रिया में विस्तार से बताया गया है, इच्छुक पार्टी के रूप में पंजीकरण का समय लंबे समय से समाप्त हो गया था। इस स्तर पर अवसर प्रदान करना अन्य इच्छुक पक्षों के अधिकारों को पूर्वाग्रहति करेगा।
165. प्राधिकारी आवेदक के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि शुल्क लागू होने से अंतिम प्रयोक्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मेट्रोनिडाजोल की अंतिम उत्पाद में कोई खास लागत नहीं है और इसलिए मेट्रोनिडाजोल पर शुल्क अंतिम उत्पाद के उपभोक्ताओं को प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं करेंगे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूसी का अनेक दवाइयों में एपीआई के रूप में प्रयोग होता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पीओआई के बाद की अवधि में आयातों की पहुंच कीमत में *** प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। अतः शुल्क लागू होने से संबद्ध वस्तु की लागत में और वृद्धि होगी। प्राधिकारी प्रकटन पश्चात की टिप्पणियों में यथा प्रदत्त आर्थिक हित संबंधी अन्य टिप्पणियों पर विचार करेंगे और अंतिम जांच परिणाम में उन पर विचार करेंगे।
166. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु एक सक्रिय भेषज अवयव है जिसका प्रयोग उस औषधि के निर्माण में होता है जो भेषज विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनिवार्य दवाइयों की राष्ट्रीय सूची में सूचीबद्ध है²⁰⁶। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल दवाई भारतीय राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा अनेक कीमत नियंत्रण आदेशों के अधीन है²⁰⁷।

त. प्रकटन पश्चात विश्लेषण

167. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिश करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों वाला प्रकटन विवरण 19 सितंबर, 2023 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया हितबद्ध पक्षकारों को 25 सितंबर,

²⁰⁴ तदेव पैरा 89

²⁰⁵ तदेव पैरा 92

²⁰⁶ "अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची 2022" देखें, अधिसूचना संख्या एक्स -11035/346/2021-डीआरएस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, <https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/Notification%20and%20Report%20on%20National%20List%20of%20Essential%20Medicines%202022.pdf> पर उपलब्ध है। 21 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 10.59 पर देखा गया।

²⁰⁷ अधिसूचना सं. सीजी -डीएल-ई -0104203-244884 भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित <https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/244884.pdf> पर उपलब्ध 21 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 11.04 पर देखा गया।

2023 प्रकटन विवरण संबंधी अपनी टिप्पणियों प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। प्राधिकारी ने इन जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की संगत समझी गई सीमा तक जांच की है। कोई अनुरोध जो केवल पूर्व अनुरोध का पुनः प्रस्तुतीकरण है और जिसकी प्राधिकारी ने पहले पर्याप्त जांच की है, उसे संक्षिप्तता के कारण दोहराया नहीं गया है।

त.1 आरई: घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

168. हुबेई ने यह टिप्पणी की है कि आरती ड्रग्स लिमिटेड को पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसने जांच के अधीन अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात किया है और वह भी याचिका में दावे के अनुसार अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत नहीं बल्कि व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में किया गया है। हुबेई ने बताया है कि आवेदक ने उनके द्वारा आयात के लिए भारतीय सीमा शुल्क पत्तनों पर भुगतान किये हैं जिसमें ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

रो लेबल्स	मात्रा का योग	सीआईएफ मूल्य का योग (यूएसडी)
2021-22	*****	*****
क्षति अवधि	*****	*****
पीओआई पश्चात	*****	*****
पूर्व-क्षति अवधि	*****	*****
कुल योग	*****	*****

169. हुबेई ने बताया है कि यही स्थिति चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेट्रोनिडाजोल के आयातों से संबंधित दूसरे निर्णायक समीक्षा जांच में नोटिस की गई थी जिसमें आरती ड्रग्स लिमिटेड को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा गया था। हुबेई ने यह भी बताया है कि तीसरी निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने इन्हीं आधारों पर आरती का आवेदन अस्वीकार कर दिया था। हुबेई के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी. सं. 7464/2017 में यह नोट किया है कि आरती ड्रग्स लिमिटेड को पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है। हुबेई ने यह भी बताया है कि आवेदक पाटनरोधी उपायों का आदतन प्रयोक्ता है।
170. प्राधिकारी प्रकटन विवरण के पैरा 20 से 24 और इस जांच परिणाम के पैरा 20 से 24 में अपनी संमुक्तियों को दोहराते हैं कि वर्तमान पीओआई के दौरान आवेदक द्वारा किये गये आयातों की मात्रा पूर्ववर्ती जांच के दौरान आवेदक द्वारा आयातों से कम है। इसके अलावा, प्राधिकारी दोहराते हैं कि आवेदक ने निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्राधिकार लाइसेंसों के अंतर्गत संबद्ध वस्तु का आयात किया है। हुबेई ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि आयात आवेदक द्वारा अग्रिम प्राधिकार लाइसेंस के अंतर्गत किये गये थे। प्राधिकारी घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में प्रकटन विवरण की अपनी संमुक्तियों की पुष्टि करते हैं और यह मानते हैं कि आवेदक एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है।

त.2 आरई: पाटन और क्षति मार्जिन का आकलन

171. आवेदक ने बताया है कि 29 जुलाई, 2023 के अपने ई-मेल में उसने प्राधिकारी से अर्धवार्षिक पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और कीमत कटौती निर्धारित करने का अनुरोध किया है। आवेदक ने बताया है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में आयातों से मात्रा और कीमत प्रभाव की अर्धवार्षिक जांच की है। तथापि, प्राधिकारी ने अर्धवार्षिक आधार पर क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया है। आवेदक के अनुसार अर्धवार्षिक विश्लेषण का अर्थ है कि प्राधिकारी ने पाया है कि ऐसी जांच अवधि के दौरान मापदंडों में भारी अंतर है जिससे यह आवश्यक है कि समग्र रूप से जांच अवधि के लिये कोई विश्लेषण उचित नहीं होगा। अतः आवेदक ने अनुरोध किया है कि पाटन और क्षति मार्जिन को अर्धवार्षिक आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए।
172. आवेदक ने अनुरोध किया है कि अनेक जांचों में प्राधिकारी ने अर्धवार्षिक विश्लेषण किये हैं जिनमें यह पाया गया है कि समय के साथ उत्पादन लागत और बिक्री कीमत में काफी अंतर होते हैं। आवेदक ने यह तर्क देने के लिए व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन प्रक्रिया के मैनुअल का भी उल्लेख किया है कि पाटन और क्षति मार्जिन की अर्धवार्षिक गणना की अनुमति है।

173. आरंभ में यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदक की यह मान्यता कि प्राधिकारी ने अर्धवार्षिक विश्लेषण किया है क्योंकि उन्हें इस अवधि के दौरान कीमत में भारी अंतर मिले थे, निराधार है। प्राधिकारी ने पूरी पीओआई के आधार पर क्षति संबंधी सूचना का विश्लेषण किया है। इस तथ्य को देखते हुए कि आवेदक ने पीओआई के एच2 में क्षति संबंधी अनेक अनुरोध किये थे, प्राधिकारी ने आवेदक के अनुरोधों की जांच करने के लिए पीओआई को केवल दो भागों में बांटा है। प्राधिकारी ने यह सत्यापन करने के लिए पीओआई पश्चात के 6 महीने के आंकड़ों की भी जांच की है कि क्या पीओआई के एच2 में कथित क्षति और स्थितियां पीओआई के बाद भी जारी रही हैं। तथापि, जैसा ऊपर “क्षति” खंड में उल्लिखित है। आवेदक के अनुरोधों पर विचार करने बाद भी प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि पीओआई की एच2 अवधि एक विपथन था।
174. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यद्यपि पीओआई के पूर्वाध और उत्तरार्ध में पाटन और क्षति मार्जिनों में कथित अंतर हैं। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निर्यात कीमतों/ पहुंच मूल्यों की प्रवृत्ति में परिवर्तन का परिणाम नहीं है। प्राधिकारी ने पहले यह निर्धारित किया है कि पीओआई के पूर्वाध और उत्तरार्ध के बीच निर्यात कीमत में अंतर का कोई पैटर्न नहीं है। इसके अलावा प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से अपनी कच्ची सामग्री खरीदी है। प्राधिकारी ने ऊपर यह भी नोट किया है कि आवेदक की घरेलू कच्ची सामग्री की कीमतें पीओआई के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमतों से अधिक दर पर बड़ी हैं। इसके अलावा, पीओआई के पूर्वाध में घरेलू रूप से ली गई 2-एमएनआई की कीमत अंतर्राष्ट्रीय रूप से ली गई 2-एमएनआई की कीमतों से कमतर थी; तथापि, पीओआई के उत्तरार्ध में घरेलू रूप से प्राप्त 2-एमएनआई की कीमत में वृद्धि हुई है और वह अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्राप्त 2एमएनआई की कीमतों से उच्चतर है।
175. यह स्पष्ट है कि पीओआई के उत्तरार्ध में पाटन या क्षति मार्जिनों में कोई कथित अंतर अस्थिरता का परिणाम है जो केवल घरेलू उद्योग के लिए विशिष्ट है (अर्थात घरेलू कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि) चूंकि पीओआई के दो भागों के दौरान पाटन और क्षति मार्जिनों के अंतर का मुख्य कारण घरेलू कच्ची सामग्री की कीमतों में अंतर है इसलिए प्राधिकारी अर्धवार्षिक आधार पर पाटन और क्षति की गणना करना उचित नहीं समझते हैं।
176. हुबेई ने अनुरोध किया है कि उसके लिए परिकलित पाटन और क्षति मार्जिन एक समान नहीं होने चाहिए। हुबेई ने बताया है कि प्राधिकारी को उसे अवशिष्ट श्रेणी की तुलना में शुल्क की कम दर प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि उसने जांच में प्राधिकारी से सहयोग किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि उनका निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से वस्तुओं के कथित पाटन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। इसलिए प्राधिकारी को हुबेई की इस दलील की जांच करने की जरूरत नहीं लगती है।

त.3 आई: भारित औसत सामान्य मूल्य/सौदावार निर्यात कीमत/पहुंच मूल्य के लिए एनआईपी की तुलना द्वारा पाटन और क्षति मार्जिन का निर्धारण

177. आवेदक के अनुसार प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना के लिए डब्ल्यू-टी पद्धति को अपनाने हेतु आवेदक के अनुरोध की अनुचित व्याख्या और उस पर आंशिक रूप से विचार किया है। आवेदक का दावा है कि प्राधिकारी ने इस आधार पर पाटन और क्षति मार्जिन की गणना के लिए आवेदक के प्रस्ताव को अस्वीकार किया है कि डब्ल्यूटीओ पैनल और अपीलीय निकाय ने माना है कि पाटनरोधी करार के अंतर्गत शून्य केंद्रण की अनुमति नहीं है।
178. आरंभ में प्राधिकारी यह दर्शाना चाहते हैं कि आवेदक ने उस आधार को नहीं समझा है जिस पर प्राधिकारी ने डब्ल्यू-टी पद्धति को अपनाने के लिए आवेदक के प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। प्रकटन विवरण के पैरा 58 से 61 (इन जांच परिणामों के पैरा 58 से 61) में यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी ने डब्ल्यू-टी पद्धति को अपनाने से इंकार किया है, क्योंकि निर्यात कीमतों में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जो विभिन्न समयावधियों में अलग-अलग हो। शून्य केंद्रण के संबंध में प्राधिकारी की संमुक्तियां आवेदक द्वारा उसके लिखित अनुरोध में यथा प्रस्तावित शून्य केंद्रण पद्धति को अपनाने का अलग अनुरोध का उत्तर है। आवेदक ने प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण के पैरा 58 से 61 (इन जांच परिणामों के पैरा 58 से 61) में अपनाये गये कारण को नहीं समझा है।
179. आवेदक के अनुसार प्राधिकारी ने यह माना है कि पीओआई के उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि हुई है। आवेदक अनुरोध करता है कि यह तथ्य कि कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि हुई है, यह अर्थ निकालता है कि सामान्य मूल्य में वृद्धि हुई है। आवेदक ने यह भी बताया है कि यह तथ्य कि निर्यात कीमत में सामान्य मूल्य में वृद्धि होने पर गिरावट आई है। दर्शाता है कि दोनों अवधियों के बीच कीमतों के पैटर्न में भारी अंतर है। आवेदक ने

बताया है कि पीओआई के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में पाटन और क्षति मार्जिन अलग-अलग हैं जो सिद्ध करता है कि भारित औसत आधार पर तुलना करना उचित नहीं है। आवेदक ने अपने दावे को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित सूचना प्रदान की है:

विवरण	यूओएम	अलग तुलना			पीओआई
		पूर्वार्ध	उत्तरार्ध	भारित औसत	
निर्यात कीमत	रू./केजी	***	***	***	***
सामान्य मूल्य	रू./केजी	***	***	***	***
पाटन मार्जिन	रू./केजी	***	***	***	***
क्षतिरहित कीमत	रू./केजी	***	***	***	***
पहुंच कीमत	रू./केजी	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	रू./केजी	***	***	***	***
आयात मात्रा	एमटी	***	***	***	***

180. आवेदक ने यूएस – कोरिया से लार्ज रेजिडेंसियल वॉसर्स पर एडी/सीवीडी उपायों के डब्ल्यूटीओ निर्णय, एपेक्स फ़ोजन फूड्स प्रा. लिमिटेड बनाम संयुक्त राज्य में यूएस कोर्ट ऑफ अपील का निर्णय, रूस और तुर्की के मूल के लोहे और स्टील के कतिपय ट्यूब और पाइप फिटिंग के मामले में यूरोपीय आयोग के निर्णय और कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में एलडी सेस्टेट के आदेश का भी यह तर्क देने के लिए उल्लेख किया है कि डब्ल्यू-टी पद्धति को अपनाना चाहिए।
181. आवेदक के इस अनुरोध के संबंध में कि पीओआई के उत्तरार्ध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के उत्तरार्ध में पाटन और क्षति मार्जिनों में ऐसी किसी वृद्धि का कारण स्पष्ट रूप से सामान्य मूल्य/ क्षतिरहित कीमत में वृद्धि है जो आवेदक के आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है। यह वृद्धि पीओआई के उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की घरेलू कीमतों में वृद्धि के कारण प्राथमिक रूप से हुई थी। प्रकटन विवरण के पैरा 58 (इस जांच परिणाम के पैरा 58) में प्राधिकारी द्वारा जांच के अनुसार निर्यात कीमत में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। पीओआई के उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि – जो उच्चतर सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत में परिवर्तित हुई है – पीओआई के उत्तरार्ध में उच्चतर पाटन और क्षति मार्जिन का कारण है। यह डब्ल्यू-टी पद्धति को अपनाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।
182. जैसा प्रकटन विवरण के पैरा 58 से 62 (इन जांच परिणामों में पैरा 58 से 62) में स्पष्ट किया गया, डब्ल्यू-टी पद्धति अपनाने के लिए प्राधिकारी को पहले यह निर्धारित करना होगा कि विभिन्न समयावधि में निर्यात कीमत में अंतर का पैटर्न है। आवेदक का यह अनुरोध कि निर्यात कीमत में तब गिरावट आई है जब सामान्य मूल्य में वृद्धि हुई है, यह निर्धारित करने के लिए संगत नहीं है क्या पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 6(iv) डब्ल्यू-टी पद्धति अपनाई जाए अथवा नहीं:

“इस पैरा में तुलना को शासित करने वाले प्रावधानों के अधीन, जांच चरण के दौरान पाटन मार्जिन की मौजूदगी को सामान्यतः सौदावार आधार पर भारित औसत सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना के आधार पर स्थापित किया जाएगा। भारित औसत आधार पर निर्धारित सामान्य मूल्य की तुलना अलग-अलग निर्यात सौदों की कीमतों के साथ की जा सकती है यदि यह पाया जाता है कि निर्यात कीमतों की प्रवृत्ति विभिन्न खरीददारों, क्षेत्रों या समयावधियों में काफी अलग-अलग हैं और यदि एक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया जाए कि भारित औसत

से भारत औसत या सौदे से सौदे की तुलना (जिस पर जोर दिया गया) का प्रयोग करने में ऐसे अंतरों पर विचार करना क्यों उचित नहीं है।

183. जैसा ऊपर देखा गया है प्राधिकारी के लिए पहले यह पता लगाना अपेक्षित है कि क्या निर्यात कीमतों के बीच अंतर का कोई पैटर्न है। आवेदक का यह तर्क कि प्राधिकारी को सामान्य मूल्य में सापेक्ष वृद्धि पर विचार करना चाहिए। यह निर्धारित करने में संगत कारक नहीं है या एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 6(iv) के अंतर्गत डब्ल्यू-टी पद्धति को लागू करना उचित है। आवेदक के अनुरोधों के विरुद्ध प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि अलग-अलग समयावधियों के बीच निर्यात कीमत में अंतर है। दो अलग-अलग समयावधियों के निर्यात कीमत के बीच काफी अंतर का अभाव में प्राधिकारी डब्ल्यू-टी पद्धति को नहीं अपना सकते हैं। प्रकटन विवरण के पैरा 58 से 61 (इस जांच परिणाम के पैरा 58 से 61) में प्राधिकारी ने पहले ही पाया है कि पीओआई के उत्तरार्ध की तुलना में उसके पूर्वार्ध में निर्यात कीमत के बीच बहुत मामूली अंतर है। प्राधिकारी ने बात का भी विस्तृत विश्लेषण किया है कि निर्यात कीमत को घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री में परिवर्तन पर विचार करते हुए क्यों समायोजित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, जैसा पहले बताया गया है निर्यात कीमत के बीच अंतर का पैटर्न एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 6(iv) के अंतर्गत डब्ल्यू-टी पद्धति को अपनाने की एक पूर्वापेक्षा है; और चूंकि प्राधिकारी को पीओआई के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के बीच निर्यात कीमत में ऐसा कोई अंतर नहीं मिला है। इसलिए प्राधिकारी ने डब्ल्यू-टी पद्धति को अपनाना उचित नहीं समझा है।
184. आवेदक ने यह भी बताया है कि प्राधिकारी क्षति मार्जिन की गणना के लिए शून्य केंद्रण पद्धति भी अपना सकते हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि प्राधिकारी ने डब्ल्यू-टी पद्धति नहीं अपनाने का निर्णय लिया है। प्राधिकारी क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए शून्य केंद्रण पद्धति अपनाना उचित नहीं समझते हैं।

त.4 आरई: अनिवार्य तथ्यों के प्रकटन की पर्याप्तता

185. आवेदक ने दावा किया है कि 19 सितंबर, 2023 को परिचालित प्रकटन विवरण अनिवार्य तथ्यों का पूरा प्रकटन नहीं करता है। आवेदक के अनुसार प्रकटन विवरण अधूरा है और उसमें विभिन्न क्षति मापदंडों और पीओआई पश्चात विश्लेषण से संबंधित तथ्यों का प्रकटन नहीं किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि निम्नलिखित उन अनिवार्य तथ्यों के कुछ उदाहरण हैं जो प्राधिकारी के निर्णय का आधार बन सकते हैं।

तथ्य	आवेदक का दावा
विचाराधीन उत्पाद का दायरा	यह तथ्य प्रकटन विवरण स्पष्ट रूप से बताया गया है।
घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु का दायरा	यह तथ्य प्रकटन विवरण स्पष्ट रूप से बताया गया है।
घरेलू उद्योग का दायरा	यह तथ्य प्रकटन विवरण स्पष्ट रूप से बताया गया है।
पाटन और संबद्ध आयातों में पाटन मार्जिन	यह तथ्य प्रकटन विवरण स्पष्ट रूप से बताया गया है।
क्या घरेलू उद्योग को क्षति हुई है	यह तथ्य घरेलू उद्योग को पूर्णतः सिद्ध या प्रकट नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने विभिन्न क्षति मापदंडों की जांच के बाद यह निष्कर्ष नहीं निकाला जिससे तथ्यों का अस्पष्ट प्रकटन हुआ है।
जांच विश्लेषण के बाद की अवधि	प्राधिकारी ने पीओआई पश्चात के अपने विश्लेषण को प्राथमिक रूप से समाप्त नहीं किया है।

186. आवेदक का पर्याप्त प्रकटन के अभाव का दावा केवल इस आधार पर है कि क्षति की मौजूदगी संबंधी प्राधिकारी का निष्कर्ष है और प्राधिकारी के पीओआई पश्चात निष्कर्ष का प्रकटन नहीं हुआ है। आवेदक ने यह दावा भी किया है कि पीओआई पश्चात विश्लेषण अपूर्ण रूप से किया गया था।
187. आवेदक ने तर्क दिया है कि पाटनरोधी करार का अनुच्छेद और एडी नियमावली का नियम 16 यह प्रावधान करता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम जांच परिणाम देने से पहले सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उन अनिवार्य तथ्यों की सूचना देंगे जो उनके निर्णय का आधार हैं। आवेदक ने चीन – जीओईएस मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के रिपोर्ट पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया है कि पाटनरोधी जांच के निष्कर्ष पर निश्चयात्मक उपाय लागू करने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा इन तीन कारकों के संबंध में अनिवार्य तथ्यों का पता लगाने के बारे में प्रकटन करना चाहिए।

188. आवेदक ने यह तर्क देने के लिए ईसी – साल्मॉन पर भी भरोसा किया है कि अनिवार्य तथ्य निर्धारण के लिए अनिवार्य तथ्यों का एक समूह होता है जिसे जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लेने से पहले अवश्य निर्धारित करना चाहिए कि क्या उपायों को लागू करना है। अर्थात् वह तथ्य जो जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा विश्लेषण की प्रक्रिया और निर्णय लेने के लिए आवश्यक हों और न कि केवल वे जो अंतिम रूप से लिये गये निर्णय का समर्थन करते हों।
189. आवेदक ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निम्नलिखित संसुक्तियों पर भी भरोसा किया है:
- “31.5 इस प्रकार यद्यपि अनुच्छेद 6.9 में अनिवार्य तथ्यों के प्रकटन के लिए कोई विशिष्ट प्रपत्र विहित नहीं है, तथापि, उसमें सभी मामलों के लिए यह अपेक्षित है कि जांचकर्ता प्राधिकारी इस प्रकार से उन सभी तथ्यों का प्रकटन करें जिन्हें कोई हितवद्ध पक्षकार स्पष्ट रूप से समझ सकता हो कि जांचकर्ता प्राधिकारी ने कौन से आंकड़ों का प्रयोग किया है और पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए उन आंकड़ों का कैसे प्रयोग किया गया है। अतः प्रकटन विवरण में ऐसे अनिवार्य तथ्यों संबंधी निर्दिष्ट प्राधिकारी के मध्यवर्ती परिणाम और निष्कर्ष दिये गये होते हैं जो इस निर्णय का आधार होंगे कि निश्चयात्मक उपाय लागू किया जाए अथवा नहीं और न कि इससे संबंधित अंतिम निष्कर्ष की क्या निश्चित उपाय लागू करना अपेक्षित है अथवा नहीं। इस न्यायालय की राय में जैसा याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा सही ढंग से बताया है, प्रकटन विवरण में उन अनिवार्य तथ्यों के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्ष होने चाहिए जो उस निर्णय का आधार होंगे कि निश्चयात्मक उपाय लगाये जाएं अथवा नहीं और न कि उन अनिवार्य तथ्यों पर आधारित उन निष्कर्षों का प्रकटन। अनिवार्य तथ्यों के आधार पर निष्कर्षों पर अंतिम जांच परिणाम में दर्ज किया जाएगा अर्थात् ऐसे तथ्यों के आधार पर निश्चयात्मक उपाय लागू किये जाएं अथवा नहीं। यह दलील कि प्रकटन विवरण एक मसौदा आदेश की प्रकृति का होता है। इसलिए स्वीकृति के लायक नहीं है, क्योंकि किसी मसौदा आदेश में वे सभी निष्कर्ष भी शामिल होंगे कि निश्चयात्मक उपाय लगाना अपेक्षित है अथवा नहीं”।
190. आवेदक का यह दावा कि प्राधिकारी ने पीओआई के बाद की अवधि में क्षति और क्षति के विश्लेषण संबंधी अपने निष्कर्षों का प्रकटन नहीं किया है। तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए आवेदक ने यह पहचान नहीं की है कि प्रकटन विवरण के किस विशिष्ट भाग का पर्याप्त रूप से प्रकटन नहीं हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एडी नियमावली के नियम 16 के साथ पठित पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 6.9 के अनुसार प्राधिकारी के लिए केवल ऐसे “विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों” का प्रकटन करना अपेक्षित है जो उनके निर्णय के आधार हैं।
191. यह नोट किया गया है कि पूर्वोक्त मामले में माननीय न्यायालय ने भी बताया है कि प्राधिकारी को केवल मध्यवर्ती जांच परिणामों और अनिवार्य तथ्यों के निष्कर्ष प्रदान करने चाहिए। इसके अलावा, यूएस – कंट्री ट्यूबलर गुड्स निर्णयक समीक्षा के निर्णय में डब्ल्यूटीओ अनुपालन की रिपोर्ट में निम्नानुसार बताया गया है:
- “7.148 हम नोट करते हैं कि अनुच्छेद 6.9 जांचकर्ता प्राधिकारी पर विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों के संबंध में एकवारगी प्रकटन दायित्व लागू करता है जो बाद में प्राधिकारी के इस अंतिम निर्धारण का आधार होंगे कि क्या निश्चयात्मक उपाय लागू किये जाएं। अनुच्छेद 6.9 का पाठ स्पष्ट करता है कि यह दायित्व जांचकर्ता प्राधिकारियों के तर्क के विरुद्ध तथ्यों के संबंध में लागू होता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 6.9 अनिवार्य तथ्यों पर लागू होता और न कि सभी तथ्यों पर” (इस पर जोर दिया गया)।
192. इसके अलावा, कोरिया – कतिपय कागज मामले में पैनल का यह अवलोकन था कि :
- “6.92 इंडोनेशिया के दावे के समर्थन में उसके तर्कों को देखते हुए हम नोट करते हैं कि इंडोनेशिया का तर्क है कि केटीसी को अनुच्छेद 6.9 के अंतर्गत इस तथ्य का प्रकटन करना चाहिए था कि वह क्षति पुनः निर्धारण के अपने आधार को केवल मूल जांच की सूचना पर आधारित करने का आशय रखता है। यहां भी हम इस विचार से सहमत हैं कि क्षति पुनः निर्धारण के आधार को केवल मूल जांच में एकत्रित आंकड़ों पर रखने का केटीसी का इरादा अनुच्छेद 6.9 के अर्थ के भीतर “अनिवार्य तथ्य” का निर्माण करता है। हमारे विचार से अनुच्छेद 6.9 के अंतर्गत दायित्व का दायरा प्राधिकारी के तर्क या उनके इस इरादे को बाहर रखता है कि कतिपय निर्धारण कैसे किए जाएंगे। अतः हम पाते हैं कि इंडोनेशिया करार के अनुच्छेद 6.9 के अंतर्गत अपने दावे के संबंध में प्रथमदृष्ट्या मामला बनाने में विफल रहा है” (बाद टिप्पणी दी गई) (जोर दिया गया)।
193. ग्वाटेमाला – सीमेंट II मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल ने माना था कि प्राधिकारी के लिए किसी जांच की प्रक्रिया के दौरान क्षति संबंधी अपने अंतिम निर्धारण के लिए कानूनी आधार का प्रकटन करना अपेक्षित नहीं है:

“8.238 मैक्सिको का दावा एडी करार के अनुच्छेदों 6.1, 6.2 और 6.9 पर आधारित है। हम नोट करते हैं कि अनुच्छेद 6.1 और 6.9 “सूचना”, “साक्ष्य” और “अनिवार्य तथ्यों” के संबंध में जांचकर्ता प्राधिकारियों पर कतिपय दायित्व लागू नहीं करते हैं। तथापि, मैक्सिको का दावा जांच की प्रक्रिया के दौरान कतिपय वास्तविक सूचना तक पहुंच के हितबद्ध पक्षकारों के अधिकार से संबंधित नहीं है। मैक्सिको का दावा हितबद्ध पक्षकारों के जांच की प्रक्रिया के दौरान जांचकर्ता प्राधिकारी के कानूनी निर्धारणों से सूचित होने के कथित अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 6.2 के अनुसार हम नोट करते हैं कि उस प्रावधान का पहला वाक्य काफी सामान्य प्रकृति का है। हम ऐसे किसी सामान्य वाक्य की व्याख्या इस प्रकार करने में असमर्थ हैं जिससे जांचकर्ता प्राधिकारी पर जांच की प्रक्रिया के दौरान क्षति संबंधी उसके अंतिम निर्धारण के लिए कानूनी आधार से हितबद्ध पक्षकारों को अवगत कराने का विशिष्ट दायित्व लागू किया जाएगा, जब इसे अनुच्छेद 12.2 के शब्दों में कहा जाए तो यह केवल जांच के अंत में जांचकर्ता प्राधिकारियों पर विशिष्ट दायित्व लागू करता है”। (इस पर जोर दिया गया)

194. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन अनिवार्य तथ्य जो इस जांच परिणाम के आधार थे, का प्राधिकारी ने 19 सितंबर, 2023 के अपने प्रकटन विवरण में प्रकटन किया था। आवेदक ने केवल यह दावा किया है कि प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में अपने निष्कर्षों और पीओआई पश्चात क्षति विश्लेषण संबंधी प्रारंभिक निष्कर्षों के संबंध में प्रकटन नहीं किया है। जैसा ऊपर उल्लिखित डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट में नोट किया गया है। प्राधिकारी के लिए केवल अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन अपेक्षित है और न कि क्षति निर्धारण के लिए उसके निष्कर्षों, कारण और कानूनी आधार का प्रकटन।
195. प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने यह संमुक्ति की है कि “प्रकटन विवरण में ऐसे अनिवार्य तथ्यों संबंधी निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्ष होने चाहिए जो इस निर्णय का आधार हों कि क्या निश्चयात्मक उपाय लागू किये जाएं अथवा नहीं और न कि उन अनिवार्य तथ्यों के आधार पर किये गये निष्कर्षों का आधार”। जैसा ऊपर इन जांच परिणाम से खंड के.8 में सारांश दिया गया है। प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को कथित पाटित आयातों के कारण क्षति नहीं हो रही है। अतः प्रकटन विवरण में क्षति की मौजूदगी संबंधी अंतिम निर्धारण में प्रकटन से समग्र रूप से जांच परिणाम के निष्कर्ष का प्रकटन हो गया होता जो माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रकटन विवरण में किया जाना अपेक्षित नहीं है।

त.5 आरई: क्षति विश्लेषण

196. आवेदक ने दावा किया है कि लिखित अनुरोध के पैराग्राफ 22 से 24 में उल्लिखित उसके तर्कों को रिकार्ड में नहीं लिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का यह दावा त्रुटिपूर्ण है। प्रकटन विवरण के पैराग्राफ 49 से 51 में प्राधिकारी ने आवेदक के अनुरोधों को स्पष्ट रूप से रिकार्ड में लिया है। इसके अलावा प्राधिकारी नोट करते हैं कि अपने लिखित अनुरोध के पैराग्राफ 22 से 24 में आवेदक के तर्क पाटन मार्जिन गणना के संबंध में निर्यात कीमत के पैटर्न के निर्धारण से संबंधित हैं और क्षति निर्धारण में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।
197. आवेदक ने दलील दी है कि जब आधार वर्ष में आयात अधिक थे तब भी वे घरेलू उद्योग की लागत से काफी अधिक थे और इसलिए घरेलू उद्योग को प्रभावित नहीं कर रहे थे। आवेदक ने अनुरोध किया है कि जब आयात कीमतों को कच्ची सामग्री की कीमत के सापेक्ष देखा जाता है तो क्षति होगी:

विवरण	पहुंच कीमत रू./एमटी	कच्ची सामग्री की कीमत रू./एमटी	समायोजित कीमत रू./एमटी	अंतर रू./एमटी
2018-19	***	***	***	***
2019-20	***	***	***	***
2020-21	***	***	***	***
एच1 21-22	***	***	***	***
एच 2 21-22	***	***	***	***
2021-22	***	***	***	***

198. आवेदक ने अनुरोध किया है कि पीओआई के दौरान पहुंच कीमत उस स्तर से कम है जिसे उन्हें कच्ची सामग्री के लिए आवश्यक समायोजनों के बाद मिलना चाहिए था। यह नोट किया जाता है कि क्षति का विश्लेषण आयात की कीमतों, कच्ची सामग्री की कीमतों और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में वृद्धि के संदर्भ में किया जाना चाहिए (जैसा प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पैरा 126 में अवलोकन किया था)।
199. हुबेई ने दोहराया है कि उसने संबद्ध वस्तु के अपने उत्पादन से संबंधित कच्ची सामग्री की लागतों से संबंधी साक्ष्य दिया है। हुबेई ने यह भी बताया है कि आवेदक ने पीओआई से पहले और पीओआई के बाद हुबेई से मेट्रोनिडाजोल खरीदी है। हुबेई ने यह भी बताया है कि आवेदक ने पीओआई के पहले, पीओआई और पीओआई की बाद की अवधि के दौरान हुबेई से 2-एमएनआई खरीदी है। हुबेई ने बताया है कि पीयूसी के उत्पादन के लिए दो प्रमुख कच्ची सामग्रियां आक्सीरेन जो कच्ची सामग्री की कुल लागत का लगभग 20 प्रतिशत है और 2-एमएनआई है जो कच्ची सामग्री की कुल लागत का 50 प्रतिशत है। हुबेई ने "ऑयलकेम" वेबसाइट (ऊर्जा और रासायन सूचना तथा बाजार कीमत सूचकांक का एक अग्रणी प्रदाता) से सूचना प्रदान की है कि हुबेई के लिए कच्ची सामग्री की लागत में पीओआई के उत्तरार्ध में कोई वास्तविक बदलाव नहीं हुआ है। हुबेई ने यह भी बताया है कि संबद्ध वस्तु के उसके उत्पादन के लिए 2-एमएनआई के लागत में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है।
200. प्राधिकरण अपनी टिप्पणियों को दोहराता है कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि, जो विषय वस्तुओं के लैंडेड मूल्य में इसी वृद्धि से मेल नहीं खाती थी, मुख्य रूप से पीओआई की दूसरी छमाही (एच 2) तक ही सीमित थी। जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 143 में उल्लिखित है, पीओआई के बाद के छह महीनों में, कच्चे माल की कीमतों में पिछले छह महीनों की तुलना में ***% प्रति मीट्रिक टन (***% की वृद्धि) की वृद्धि हुई। इसके विपरीत, भूमि मूल्य में प्रति मीट्रिक टन *** रुपये की अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई (***% की वृद्धि), और बिक्री मूल्य में प्रति मीट्रिक टन *** रुपये (***% की वृद्धि) की वृद्धि हुई। लैंडेड मूल्य के सापेक्ष कच्चे माल की लागत में यह असामान्य वृद्धि पीओआई के एच 2 के लिए विशिष्ट विसंगति प्रतीत होती है। प्राधिकरण इस बात को रेखांकित करता है कि चोट के अस्तित्व के बारे में कोई भी निर्धारण केवल पीओआई के एच 2 पर आधारित नहीं हो सकता है, इसकी असाधारण प्रकृति को देखते हुए, विशेष रूप से पीओआई के एच 1 और पीओआई के बाद की अवधि को देखते हुए।
201. हुबेई ने अपना यह अनुरोध दोहराया है कि पाटन और कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। प्राधिकारी ने पाटन और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के अभाव को नोट किया है।

त.6 आरई: पीओआई पश्चात विश्लेषण

202. आवेदक ने दावा किया है कि आयातों की मात्रा में पीओआई के बाद की अवधि में काफी वृद्धि हुई है; पीओआई के बाद की अवधि में आयात तीन गुने हो गये हैं; आयातों में वृद्धि मांगा में वृद्धि से अधिक हैं; पीओआई के बाद की अवधि में मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू बिक्रियों में मांग में वृद्धि के अनुरूप में वृद्धि नहीं थी; संबद्ध देश में आयातों का बाजार हिस्सा पीओआई के बाद की अवधि में काफी अधिक बढ़ गया है; आवेदक का बाजार हिस्सा पीओआई के बाद की अवधि में न्यूनतम रहा है।
203. प्राधिकारी ने अप्रैल, 2021 – सितंबर, 2021 (एच1) की अवधि में क्षति को गैर मौजूद पाया है। इस तथ्य पर प्रकटन पश्चात टिप्पणियों पर भी आवेदक ने प्रश्न नहीं उठाया है। अतः प्राधिकारी ने यह निर्धारित करने के लिए पीओआई के बाद के 6 महीनों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है कि क्या अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 की अवधि के दौरान क्षति की स्थिति और सक्रिय कारक केवल एक विपथन थे।
204. प्राधिकारी इस जांच परिणाम में पीओआई के बाद के विश्लेषण के संबंध में खंड ठ - 2 में अपने निष्कर्ष को दोहराते हैं। प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देश से आयात आवेदक की बिक्रियों से प्रभावित नहीं दिखते हैं, बल्कि भारत में संबद्ध वस्तु में कुल मांग में वृद्धि हुई है और संबद्ध देशों से आयातों ने मांग में इस वृद्धि को पूरा किया है और इससे घरेलू उद्योग की बिक्री प्रभावित नहीं हुई है। इसके अलावा, जैसा पैरा 136 की तालिका में उल्लिखित है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पीओआई की बाद की अवधि में आयातों की पहुंच मूल्य से काफी कम है। अपनी वस्तु को आयातों से कम कीमत पर बेचने के बावजूद घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के बड़े हिस्से पर कब्जा नहीं कर पाया है। घरेलू उद्योग इसके लिए कोई संभावित स्पष्टीकरण देने में सक्षम नहीं है। अतः आयातों द्वारा बढ़ी हुई मांग पर कब्जा पीओआई के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धी क्षमता को प्रतिकूलतः प्रभावित करता नहीं लगता है।

205. इसके अलावा, यह तर्क कि घरेलू उद्योग संबंधित देश से आयात के कारण मांग में वृद्धि का लाभ उठाने में सक्षम नहीं था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि पीओआई के बाद के छह महीनों में घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य वास्तव में आयातित वस्तुओं की लैंडेड कीमतों से कम थे। आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार बाकी सब समान होने के नाते (जैसे उत्पाद की गुणवत्ता), उपभोक्ता आम तौर पर उच्च कीमतों के बजाय कम कीमतों पर सामान खरीदना पसंद करते हैं। भले ही घरेलू उद्योग ने आयात की तुलना में कम कीमतों पर अपने उत्पादों की पेशकश की, लेकिन वे विस्तारित बाजार की मांग का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित करने में विफल रहे। घरेलू उद्योग इस घटना के लिए उचित स्पष्टीकरण प्रदान करने में सक्षम नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि पीओआई के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती मांग को पकड़ने की आयात की क्षमता से नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं हुई है।
206. जैसा कि ऊपर दिए गए इन निष्कर्षों के पैराग्राफ 140 से देखा गया है, यह तर्क कि आवेदक अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आवेदक ने पीयूसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगातार निर्यात बाजारों और कैप्टिव खपत के लिए समर्पित किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग जांच की गई अवधि के दौरान एक निश्चित स्तर से ऊपर अपनी घरेलू बिक्री की मात्रा बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है - जिसमें शामिल है जब संबंधित देश से आयात की मात्रा कम थी (यानी, 2018-19 के दौरान पीओआई की पहली छमाही तक)। आवेदक का यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसकी बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बाजार हिस्सेदारी में रुझान को घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि घरेलू मांग में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। वास्तव में, पूर्ण संख्या में घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है।

त.7 आर्थिक हित और विविध मुद्दे

207. जनहित के संबंध में आवेदक ने पहले किये गये अपने सभी अनुरोध दोहराये हैं। प्राधिकारी ने पहले ही इस जांच परिणाम के खंड-ओ में जनहित संबंधी चिंताओं का पहले ही निवारण कर दिया है।
208. आवेदक का सुझाव है कि प्राधिकारी को एक बेंचमार्क शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए। तथापि, चूंकि प्राधिकारी ने पहले ही अवलोकन किया है कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हो रही है, इस मुद्दे पर विचार नहीं किया जा रहा है।
209. हुबेई ने दावा किया है कि प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया 22 प्रतिशत का आरओसीई घरेलू उद्योग को अनावश्यक संरक्षण प्रदान करता है। चूंकि प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि आवेदक को पाटन के कारण कोई क्षति नहीं हो रही है। इसलिए हुबेई के इस अनुरोध पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

थ निष्कर्ष

210. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों, दी गई साक्ष्यांकित सूचना के आधार पर और पूर्वोक्त पैराग्राफों में यथा दर्ज और जांच किये गये प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के निर्धारण के आधार पर प्राधिकारी का निम्नानुसार निष्कर्ष है:
- संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार एक दूसरे के समान वस्तु हैं।
 - आवेदक के पास पात्र घरेलू उत्पादन का *** प्रतिशत हिस्सा है। आवेदक एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता है और आवेदन एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अंतर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।
 - आवेदन में एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(2) के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ समस्त संगत सूचना और आवश्यक साक्ष्य दिये गये हैं जो एडी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अनुसार पाटन और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का निर्धारण के लिए वर्तमान जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

- iv. गोपनीयता संबंधी दावे जहां आवश्यक हो, स्वीकार किये गये थे और यदि ऐसी गोपनीयता के दावों को अत्यधिक पाया गया था तो हितबद्ध पक्षकारों से एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अनुसार उसका प्रकटन करने और उसका उचित अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।
- v. **पाटन मार्जिन:** चीन जन. गण. से एक उत्पादक अर्थात् हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने जांच में भाग लिया है। ऐसे निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना और परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के निर्यातों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक रूप से निर्धारित किया गया था।
- vi. **मात्रात्मक प्रभाव:** संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा और पाटन मार्जिन एडी नियमावली, 1995 के अनुबंध – II के पैरा (iii) में यथा निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक पाया गया था।
- vii. एडी नियमावली, 1995 के पैरा (ii) के अंतर्गत यथा मूल्यांकन किए जाने के लिए अपेक्षित घरेलू उद्योग की स्थिति पर आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में, यह पाया गया कि पीओआई की तुलना में आधार वर्ष से आयातों की मात्रा में काफी गिरावट आई है। अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 (एच 1) के दौरान आयात की मात्रा बहुत कम स्तर पर थी। पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान आयात में वृद्धि हुई थी, हालांकि, भारतीय उत्पादन के संबंध में आयात और आधार वर्ष की तुलना में कुल मांग में गिरावट आई है।
- viii. पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में काफी सुधार हुआ है। संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
- ix. संबद्ध देश से आयातों और आयातों का बाजार हिस्सा जनवरी, 2020 से जून, 2011 की अवधि की तुलना में पीओआई के दौरान काफी कम रहा है। बाजार में भारतीय उत्पादकों की सकारात्मक वृद्धि रही है। घरेलू उत्पादक स्थिर हो गये हैं और शुल्क के संरक्षण के बिना भी आयातों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
- x. **कीमत प्रभाव:** ऐसे पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में यह पाया गया था कि संपूर्ण जांच अवधि में पीओआई के उत्तरार्ध को छोड़कर कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण ऋणात्मक रहा है। तथापि, पीओआई के उत्तरार्ध में कच्ची सामग्री की कीमत में भारी वृद्धि हुई है। जिसने आवेदक की उत्पादन लागत में भारी वृद्धि कर दी है और परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती और इस अवधि के दौरान कीमत ह्रास/न्यूनीकरण हुआ है।
- xi. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर ऐसे पाटन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गये थे:
- क. घरेलू उद्योग का उत्पादन, स्थापित क्षमता, बिक्री मात्रा की दृष्टि से निष्पादन आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान बेहतर हुआ है। ऐसा पीओआई के दौरान कच्ची सामग्री में वृद्धि के बावजूद हुआ है।
- ख. पीओआई की दूसरी छमाही को छोड़कर पूरी जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग लाभदायक रहा है। केवल पीओआई की दूसरी छमाही के दौरान लाभप्रदता (लाभ, नकद लाभ, आरओसीई और पीबीआईटी) नकारात्मक हैं। हालांकि, अगर पीओआई को समग्र रूप से देखा जाता है, तो घरेलू उद्योग लाभदायक है।
- ग. आवेदक की औसत मालसूची में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में वृद्धि हुई है। तथापि पीओआई के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में मालसूची में गिरावट आई है।
- घ. वेतन और मजदूरी, उत्पादकता प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान सुधार हुआ है। आवेदक ने इस संबंध में क्षति का दावा नहीं किया है।
- ड. आवेदक ने अपने उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों की दृष्टि से सकारात्मक वृद्धि दर्शायी है परंतु लाभप्रदता की दृष्टि से नकारात्मक वृद्धि दर्शायी है। ऊपर की गई जांच के अनुसार आवेदक की लाभप्रदता की दृष्टि से नकारात्मक वृद्धि कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई है।

- च. आवेदक की कुल बिक्री (यानी, घरेलू बिक्री कैप्टिव बिक्री निर्यात बिक्री) पीओआई के दौरान उच्चतम अवधि में है।
- छ. घरेलू उद्योग को नुकसान अप्रैल 2021 - सितंबर 2021 (एच 1) की अवधि के लिए अस्तित्वहीन था, और केवल अक्टूबर 2021 - मार्च 2022 (एच 2) की अवधि तक सीमित था। प्राधिकरण ने अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 की 6 महीने की पीओआई अवधि की जांच की और यह निर्धारित किया कि दूसरी छमाही के दौरान घरेलू उद्योग को हुई चोट केवल एक विचलन थी।
- ज. पीओआई के बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री की मात्रा में भी वृद्धि हुई है।
- झ. पीओआई के बाद की अवधि में, आवेदक का बिक्री मूल्य चीन पीआर से आयातित विषय वस्तुओं के लैंडेड मूल्य से काफी कम है, फिर भी चीन पीआर से आयात का बाजार हिस्सा घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी से अधिक है। आयात की तुलना में कम कीमतों पर अपने माल बेचने के बावजूद, घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। घरेलू उद्योग इसके लिए कोई व्यावहारिक स्पष्टीकरण देने में सक्षम नहीं है।
- ञ. पीओआई के बाद की अवधि में विषय वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है, हालांकि, घरेलू उद्योग विषय आयात के लैंडेड मूल्य की तुलना में कम बिक्री मूल्य होने के बावजूद मांग में इस वृद्धि को पकड़ने में सक्षम नहीं है। इस दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री की मात्रा भी बढ़ी है।
- xii. **क्षति मार्जिन:** चूंकि चीन जन. गण. से विषय वस्तुओं के आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है इसलिए प्राधिकरण को क्षति मार्जिन निर्धारित करना आवश्यक नहीं लगता है।
- xiii. **कारणात्मक संपर्क:** यह पाया गया कि घरेलू उद्योग को चोट नहीं लगी है, और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट केवल पीओआई की दूसरी छमाही तक ही सीमित है। यह उसी अवधि के दौरान आवेदक के प्रदर्शन और लाभप्रदता मापदंडों में गिरावट के साथ मेल खाता है। इसलिए, पीओआई की दूसरी छमाही के दौरान घरेलू उद्योग को यदि कोई नुकसान हुआ है, तो वह इस अवधि के दौरान कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप है, न कि डंप किए गए आयातों के कारण।
- xiv. **भारतीय उद्योग के मुद्दे:** प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु एक सक्रिय भेषज अवयव है जिसका प्रयोग उस औषधि के निर्माण में होता है जो भेषज विभाग, रासायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा अनिवार्य दवाईयों की राष्ट्रीय सूची में सूचीबद्ध है। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल दवाई भारतीय राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अनेक कीमत नियंत्रण आदेशों के अधीन रखी गई है।

द सिफारिशें

211. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने के बाद और उक्त तथ्यों परिस्थितियों और विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी नियमावली के अधीन शामिल प्रावधानों के अनुसार संबद्ध देश से आयातों के कारण वास्तविक क्षति नहीं हो रही है। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना उचित नहीं समझते हैं। अतः पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(ख), नियम 17(क)(ii) और नियम 11(2) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क और 9ख के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. फा.सं. 6/3/2022-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितंबर, 2022 के द्वारा शुरू की गई वर्तमान जांच को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं।

ध आगे की प्रक्रिया

212. इस अधिसूचना के विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2023

FINAL FINDINGS

Case No. A.D (OI)-03/2022

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of " Metronidazole" originating in or exported from China PR.

F. No. 6/3/2022-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the 'AD Rules' or the 'Anti-dumping Rules' or the 'Rules');

A BACKGROUND OF THE CASE

2. Aarti Drugs Limited ("hereinafter referred to as the 'applicant' or the 'domestic industry') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-dumping Rules for the initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of the "**Metronidazole**" (hereinafter also referred to as the 'product under consideration' or 'PUC', or the "subject goods") from China PR (hereinafter also referred to as the 'subject country').
3. The Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/3/2022-DGTR dated 30th September 2022, published in the Gazette of India – Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9 of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, 1995 to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duties, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B PROCEDURE

4. The following procedure has been followed with regard to this investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules, 1995.
 - b. The Authority issued a public notice dated 30th September 2022 published in the Gazette of India – Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 30th September 2022 to the Embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, the known importers/users of the subject imports and other interested parties, as per the information provided by the applicant. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notification and make their submissions known in writing within the time limits prescribed in the initiation notification.
 - d. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application filed by the applicant to the known producers/exporters, known importers/users and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules, 1995 through its email dated 15th November 2022.
 - e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from the subject country to submit their responses to the questionnaire within the time limit prescribed by the initiation notification. The Embassy of the subject country was also sent a copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
 - f. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules, 1995.

- g. In response to the above notification, the following producer/exporter from the subject country has submitted the exporter questionnaire response:

Subject country	Producer/Exporter
China PR	M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd

- h. The producers/exporters from the subject country who have not submitted the questionnaire response or have not cooperated in the investigation have been treated as non – cooperative in the investigation.
- i. The Authority also sent questionnaires to the known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules, 1995.
- j. No importers/users submitted the importer/user responses to the questionnaire issued by the Authority.
- k. On 18th September 2023, the Directorate received a letter from an importer and user industry, [***], seeking an opportunity to present its comments before the Authority and participate in the investigation. [***] further alleged that despite being a regular customer of the domestic industry, the domestic industry had deliberately left its name out of the anti-dumping application. It further sought an extension of the timeline for completion of the investigation. It is noted that [***] sought to participate at the fag end of the investigation. Trade remedial investigations comprise several stages, with each stage having its own timeline. The timeline for registration of interested parties has been long over. Further, the Directorate had taken all steps to publicise the initiation of the investigation, including publication of the notification in the Gazette of India as well as publicised the initiation of the investigation on its website. The investigation team also sent an email regarding the initiation of the investigation to all known imports and users as provided by the applicant in the application. Granting opportunity at this final juncture would prejudice the rights of other interested parties. The investigating team has also, through its detailed letter dated 21st September 2023 sent through email, informed [***] regarding the same.
- l. The Directorate General of Systems & Data Management (DG Systems) was requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the past injury investigation period and the period of investigation. A request was also made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury investigation period and the period of investigation. The same has been received by the Authority and has been considered in this final finding.
- m. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, 1995 the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally regarding the subject investigation through a public hearing held via video conferencing on 8th February 2023. The interested parties who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions submitted by them with the other interested parties.**
- n. The non-injurious price (hereinafter referred to as the ‘NIP’) has been determined based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- o. The information submitted by the applicant has been examined and verified during on site-verification to the extent deemed necessary and has been relied upon for the present final finding.
- p. The examination and verification of the information submitted by the cooperating producers/exporters from the subject country were also carried out to the extent deemed necessary and have been relied upon for the purpose of the present final finding.
- q. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April, 2021 to 31st March 2022 (12 months). The injury period for the present investigation is 1st April 2018 – 31st March 2019, 1st April 2019 – 31st March 2020, 1st April 2020 – 31st March 2021 and the POI.
- r. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties on mutual basis in the manner prescribed through Trade Notice No. 01/2020 dated 10th April 2020. The information/submissions provided by the interested parties on a confidential basis were examined concerning the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied as to the sufficiency of the confidentiality claims filed by the interested parties, the Authority has considered such

information/submissions as confidential. In case of non-acceptance of confidentiality claims, the interested parties were directed to submit the non-confidential version of the same and circulate it to the other interested parties.

- s. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- t. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making final recommendations to the Central Government to all interested parties on 19th September 2023. The interested parties were directed to file their comments on the disclosure statement by 25th September 2023.
- u. The Authority has examined all post – disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority have not been repeated for the sake of brevity.
- v. ‘***’ in this document represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under Rules 7 of AD Rules, 1995.
- w. The exchange rate for the POI (April 2021 - March 2022) adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs. 75.37.

C PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. The product under consideration (hereinafter also referred to as the “PUC”) as defined at the stage of initiation was as follows:

“3. The product under consideration is “metronidazole” originating in or exported from China PR.

[...]

5. Uses: The product is used in treatment of bacterial infections and parasitic infections. It is used in cases of amoebiasis [amoebic dysentery], trichomoniasis [STD], giardiasis [beaver fever], gingivitis [gum inflammation], acute ulcerative, anaerobic vaginosis [vaginal inflammation] caused by over growth of natural bacterial found in the tracts.

6. Tariff classification: The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 293329 of the Tariff Classification. The product under consideration is imported under the HS Code 29332920. The classification is indicative only and is not binding on the scope of the investigation.”

C.1 Submissions made by the other interested parties

6. The other interested parties have made the following submissions with respect to the product under consideration:

a. The product under consideration has a history of anti-dumping duty imposed for more than 15 years.¹

C.2 Submissions made on behalf of the domestic industry

7. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry with regard to the product under consideration:

a. The product under consideration is an anti-diarrhea and anti-microbial drug.² It is used in the treatment of bacterial infections and parasitic infections. It is used in cases of amoebiasis, trichomoniasis, post-operative infection after surgery, giardiasis, acute ulcerative and gingivitis, vaginosis treatment of infection caused by anaerobic micro formation.³

b. The product does not have any sub-category or sub-grades.⁴

c. The PUC is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 293329.⁵

¹ Written Submissions filed by Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd., page 2 (hereinafter “Written Submissions of Hubei”).

² Written Submissions filed by the Applicant, para 9 (hereinafter “Written Submission of the Applicant”).

³ Id., para 12.

⁴ Id., para 9.

⁵ Id., para 13.

- d. The PUC is being imported under HS Code 2933 29 20.⁶ This code is prescribed for Metronidazole and Metronidazole benzoate, however, there are insignificant imports of Metronidazole benzoate.⁷
- e. The basic customs duty applicable on the imports of the subject goods is 7.5%.⁸
- f. The product manufactured by the applicant is 'like article' to the product being imported from the subject country.⁹

C.3 Examination by the Authority

8. The submissions made by the interested parties and the domestic industry with regard to the product under consideration have been examined and addressed hereunder:
9. The product under consideration in the present investigation is Metronidazole. It is an anti-diarrhea and anti-microbial drug, which is used in the treatment of bacterial infections and parasitic infections. It is used in cases of amoebiasis, trichomoniasis, post-operative infection after surgery, giardiasis, acute ulcerative and gingivitis, vaginosis treatment of infection caused by anaerobic micro formation.
10. The applicant has stated that the product is manufactured by condensing an intermediate compound, viz., 2-Methyl 5-Nitro Imidazole with ethylene oxide in the presence of formic acid [85%] and sulphuric acid [98%]. Then an esterification reaction is carried out with methanol, which generates methyl formate [methyl methanoate]. This esterification reaction is mass precipitated with liquor ammonia @ [24%] to isolate the unreacted 2-MNI. This isolated 2-MNI is dried and reused in process. The washing mother liquor is transferred to a multiple-effect evaporator for recovery of ammonium sulphate and mix glycol. The filtered cake is transferred for separation, wherein caustic soda flakes and ice mix is used to isolate the crude metronidazole. The wet crude metronidazole is decolorized with the help of charcoal and is further crystallized to isolate metronidazole. This isolated metronidazole is filtered. The wet material is dried in the drier, unloaded and labelled as dry pure metronidazole.
11. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 and is being imported under the HS code 2933 29 20. However, the said customs classification is only indicative in nature, and is in no way binding on the scope of the present investigation.

C.3.1 Product under consideration and like article

12. The applicant has claimed that the article manufactured by them and the subject goods imported from the subject countries are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The other interested party has not disputed the applicant's claim with respect to the goods manufactured by the domestic industry being a 'like article' to the subject goods. The Authority, therefore, holds that the goods produced by the domestic industry are 'like article' to the subject goods imported from the subject countries in terms of Rule 2(d) of the AD Rules, 1995.

C.3.2 Scope of the PUC

13. No party has disputed the definition of the product under consideration as proposed by the applicant and as defined by the Authority at the stage of the initiation of the investigation.¹⁰ It is further noted that the product under consideration defined in the present investigation is similar to the product under consideration defined in previous investigations concerning 'metronidazole'.¹¹ In view of the above, the Authority confirms the scope of the PUC as defined at the stage of initiation.

⁶ Initiation Notification F. No. 6/3/2022-DGTR, "Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Metronidazole" originating in or exported from China PR", 30th September 2022, (hereinafter "Initiation Notification") <https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Initiation%20Notification%20Metronidazole%20-%20ENGLISH%20%281%29.pdf>.

⁷ Application for imposition of Anti-Dumping Duty concerning imports of "Metronidazole" from China PR, filed by Aarti Drugs Limited, para 21 (hereinafter "Application").

⁸ Notification No. 50/2017 – Customs, dated 30th June 2017, issued by the Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India.

⁹ Application, para 34.

¹⁰ Initiation Notification, para 3.

¹¹ Final Findings No. 17/1/99 dated 14th July 2000, "Anti-dumping investigation concerning imports of Metrodinazole from China PR", para 3, https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Final-Finding_24.pdf; Final Findings (Sunset Review) No. 15/9/2003-DGAD dated 5th April 2006, "Anti-dumping (Sunset Review) investigation concerning imports of Metronidazole originating in or exported from China PR", para 5, https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_metronidazole_SSR_china.pdf; Final Findings No. 15/18/2010-DGAD dated 29th June 2012, "Sunset Review of anti-dumping duty imposed concerning imports of 'Metronidazole' originating in or exported from China PR – Final Findings, para 13, https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_SSR2_metronidazole_chinaPR.pdf.

D SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**D.1 Submissions made by the other interested party**

14. The following submissions have been made by the other interested party with regard to the scope of the domestic industry and its standing:
- The applicant cannot be considered as an eligible domestic industry under Rule 2(b) of the Rules since it has imported the subject goods from the subject country during the POI.¹²
 - In the 2nd Sunset Review investigation concerning imports of ‘Metronidazole’ from China PR, the Authority therein had excluded the applicant from the scope of the domestic industry under similar circumstances where the applicant had imported Metronidazole from China PR under a duty exemption scheme.¹³
 - The application filed by the applicant for the 3rd sunset review of the previous investigation on Metronidazole was also rejected by the Authority on the grounds that it had imported Metronidazole from China PR under advance licenses.¹⁴
 - The other interested party claimed that the High Court of Delhi, in Writ Petition No. 7464/2017, had ordered for the termination of the previous investigation (3rd SSR) concerning Metronidazole since the applicant was not an eligible ‘domestic industry’.¹⁵
 - The facts of the previous investigations concerning Metronidazole are similar to the instant investigation. Since Aarti Drugs Limited was not considered as an eligible petitioner during the two previous sunset review investigations, they should not be considered as an eligible ‘domestic industry’ for the purpose of the present investigation.¹⁶
 - The applicant is also related to a producer of the subject goods in China PR. The applicant continues to hold investments in the Chinese entity and was previously involved in joint venture with the Chinese entity.¹⁷

D.2 Submissions made on behalf of the domestic industry

15. The following submissions have been made by the applicant with regard to the scope of the domestic industry and its standing:
- Apart from the applicant, there is one other domestic producer of the product under consideration in India.¹⁸
 - The applicant accounts for [***]% of the total domestic production of the product under consideration in India.¹⁹
 - The applicant has imported the PUC during the POI in volumes that are not significant in comparison to its production of the like article in India.
 - The applicant has made imports under the advance authorization scheme for the production of Metronidazole Benzoate in order to meet its export obligations.²⁰ The entire imports made by the applicant have been captively consumed and not sold in the domestic market.²¹
 - The determinations pertaining to the eligibility of a ‘domestic industry’ under Rule 2(b) is case-specific, company-specific, period-specific and situation-specific.²² Therefore, there is no reason to link the conclusions made by the Authority in previous investigations.
 - In the previous investigations, the volume of imports made by the applicant was very high, and amount to about ****% of its total production. However, in the instant investigation, the applicant has imported a

¹² Written Submissions of Hubei, page 5.¹³ *Id.*, pages 5 & 6.¹⁴ *Id.*, page 6.¹⁵ Written Submissions of Hubei, page 7.¹⁶ *Id.*, page 7.¹⁷ *Id.*, page 7.¹⁸ Application, para 25.¹⁹ Application, annexure “standing”.²⁰ Application, para 36.²¹ *Id.*²² Written Submissions of the applicant, para 11.

miniscule volume of the subject goods, which amounts to about ***% of its total production.²³

- g. In the previous investigation, the applicant had imported [***]MT of Metronidazole from China PR, whereas, in the present investigation, the applicant has imported only [***]MT.²⁴
- h. Rule 2(b) is an exclusion-based definition and not an inclusion-based definition. The Authority, may exclude the applicants from the scope of the domestic industry only if there are cogent reasons justifying its exclusion.²⁵
- i. A domestic producer, under Rule 2(b) of the AD Rules, is automatically included within the scope of the ‘domestic industry’, and its exclusion must be specifically justified.²⁶
- j. The applicant has contended that in multiple investigations,²⁷ the Authority had not excluded a domestic producer from the definition of the ‘domestic industry’ where import volumes of such domestic producer in relation to its total production is very low.²⁸
- k. The claim of the other interested party that the applicant was excluded from the scope of the domestic industry in the 3rd SSR of the previous investigation is factually incorrect since the applicant was considered as a ‘domestic industry’ by the Authority therein.
- l. The claim of the other interested party that the High Court of Delhi, in relation to the previous investigation, had held that the applicant is ineligible to be considered as a ‘domestic industry’ is false and misleading.²⁹
- m. It is false to state that a related company of the applicant is producing the subject goods in the subject country since the previous joint venture between the Chinese entity and the applicant has expired. Further, there is no direct or indirect control exercised by either of the companies in the other company – in terms of appointment of board members. The two companies hold separate books of accounts and the applicant has reduced its investments in the Chinese entity, etc.³⁰

D.3 Examination of the Authority.

16. The submissions made by the applicant and the other interested party with regard to the product under consideration have been examined and addressed hereunder. The following issues have been raised by the applicant and the other interested party with respect to the applicant’s standing:

- i Whether the imports of the subject goods made by the applicant during the POI and the applicant’s investment in a Chinese producer of the subject goods disqualify it from being considered as a ‘domestic industry’ in terms of Rule 2(b)?
- ii Whether the application requires the conditions under Rule 5(3) of the AD Rules?

D.3.1 **Whether the imports of the subject goods made by the applicant during the POI and the applicant’s investment in a Chinese producer of the subject goods disqualify it from being considered as a ‘domestic industry’ in terms of Rule 2(b)?**

17. In the instant investigation, the applicant has admittedly imported [***]MT of the subject goods from China PR.³¹ The applicant has also admitted that it was previously involved in a joint venture with a Chinese producer of the subject goods, viz. Huanggang Yinhe Aarti Pharmaceutical Co. Ltd., and continues to hold investments in the said entity.³² It is also pertinent to note that in previous anti-dumping investigations concerning imports of Metronidazole from China PR, the Authority had excluded the applicant (Aarti Drugs Ltd.) from the scope of

²³ Written Submission of the applicant, para 12.

²⁴ Rejoinder of the applicant, para 18.

²⁵ Written submissions of the applicant, para 16.

²⁶ Written Submission of the applicant.

²⁷ Anti-dumping investigation concerning imports of Carbon Black used in rubber applications originating in or exported from Australia, China PR, Iran, Malaysia, Russia and Thailand; Anti-Dumping investigation concerning imports of “Glazed/Unglazed Porcelain/ Vitrified tiles in polished or unpolished finish with less than 3% water absorption”, originating in or exported from China PR; Anti-dumping investigation concerning imports of Flat base Steel Wheels originating in/exported from China PR (some parameters); Anti-dumping investigation concerning imports of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base (PHPG Base) originating in or exported from the European Union; Anti-dumping investigation concerning imports of Styrene Butadiene Rubber SBR of 1500 series and 1700 series originating in or exported from European Union, Korea RP & Thailand; Anti-dumping investigation involving imports of PVC Flex Films originating in or exported from China PR.

²⁸ Rejoinder of the application, paras 15 & 16.

²⁹ Rejoinder of the applicant, para 19.

³⁰ Rejoinder of the applicant, para 20.

³¹ Rejoinder of the applicant, para 18.

³² Application, para 37.

the 'domestic industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules since the applicant had imported the subject goods during the POI.³³

18. The other interested party, namely Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co. Ltd., has contended that on account of the imports made by the applicant and in light of the conclusions of the Authority in previous investigations concerning Metronidazole, the applicant is ineligible to constitute a 'domestic industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.³⁴ Hubei has further contended that the applicant is related to a Chinese producer of the subject goods since it holds investments in the said entity, and this must disqualify the applicant from the scope of the 'domestic industry'.³⁵
19. The applicant has argued that mere imports made by domestic producers does not automatically disqualify such domestic producers from the scope of the 'domestic industry'.³⁶ According to the applicant, Rule 2(b) requires the Authority to consider whether there are any justifiable reasons to *exclude* a producer from the scope of the domestic industry, and not whether such producer must be *included*. The applicant has contended that as per Rule 2(b), domestic producers automatically fall under the definition of the 'domestic industry', and they may be excluded only if sufficient reasons exist to justify their exclusion.³⁷ The applicant submits that the other interested party has not provided valid reasons to justify the exclusion of the applicant.
20. The applicant has further submitted that unlike in previous investigations, wherein the applicant had imported [***%] of its total production (amounting to [***]MT) of the subject goods, during the POI for the present investigation, the applicant has only imported [***%] of its total production (amounting to [***]MT).³⁸ The applicant has also consistently stated that it has imported the subject goods under advance authorisation licenses in order to meet its export obligations. It has been claimed that all imports of the subject goods made by the applicants have been captively consumed in the production of the exported product, and have not been cleared in the domestic market.³⁹
21. With respect to the applicant's investment in a Chinese producer of the subject goods (Huanggang), the applicant has stated that the joint venture between the two companies has expired and currently no such joint venture exists. Further, it has been stated that the applicant does not exercise any legal or operational control over the Chinese producer. The applicant has submitted that it has not reported the Chinese producer as a related entity in its annual reports, it has continuously been reducing its investments in the Chinese producer, the two companies do not have consolidated books of accounts, the Chinese producer is only shown as a long-term investment in the books of accounts of the applicant, the Chinese producer has not directly exported any material in the Indian market, and the applicant does not hold any position the board of directors and has not appointed any board members of the Chinese entity.⁴⁰
22. The Authority recalls that under Rule 2(b) of the AD Rules, 1995, a domestic producer may be excluded from the scope of the 'domestic industry' if it is an importer of the subject goods from the subject country, or it is related to any exporters or importers of the alleged dumped goods.⁴¹ The use of the word 'may' in Rule 2(b) of the AD Rules, 1995 suggests that the Authority has the discretion to even include the domestic producers that are also importers of the subject goods into India within the scope of the 'domestic industry', or that are related to exporters or importers of the subject goods.
23. In the case of *Gujarat Fertilizers & Chemicals Ltd.*,⁴² the High Court of Calcutta observed that the question of whether a domestic producer which has imported the subject goods is disqualified from the scope of 'domestic industry' under Rule 2(b) of the AD Rules must be examined based on the nature of activities carried out by the domestic producer with respect to the imports made by it. In the above case, the Calcutta High Court held that the producer therein, which had imported 15% of its total production of the subject goods, qualifies as the domestic industry since such imports were made merely to meet its

³³ Final Findings No. 15/18/2010-DGAD dated 29th June 2012, "Sunset Review of anti-dumping duty imposed concerning imports of 'Metronidazole' originating in or exported from China PR – Final Findings", para 5, https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_SSR2_metronidazole_chinaPR.pdf.

³⁴ Written submissions of Hubei, pages 5 & 6.

³⁵ *Id.*, page 7.

³⁶ Written submissions of the applicant, para 16.

³⁷ Written submissions of the applicant, para 16.

³⁸ Rejoinder of the applicant, para 18.

³⁹ Application, para 36; see also written submissions of the applicant, para 10.

⁴⁰ Rejoinder of the applicant, para 20.

⁴¹ Rule 2(b) of the AD Rules, 1995 reads as under:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the "domestic industry" may be construed as referring the rest of the producers.

⁴² State of Gujarat Fertilizers & Chemicals Ltd. v. Designated Authority and Ors., 2012 SCCOnLine Cal 8071.

customers' demands. The High Court observed that the domestic producer was not carrying on the business of import exclusively for trading purposes, and therefore there was no reason to exclude it from the scope of 'domestic industry' under Rule 2(b) of the AD Rules. Further, in *Century Plyboards*,⁴³ the Gauhati High Court, relying on the WTO Panel decision of *EC – Fasteners (China)*,⁴⁴ held that under Rule 2(b) of the AD Rules, the Authority has some discretion "... to include the producers related to the exporters or importers of the dumped article or the importers themselves in the concept of "domestic industry".⁴⁵

24. The applicant has imported lower volumes of the subject goods (in absolute and relative terms) during the present investigation as compared to previous investigations. Further, as stated by the applicant, all of its imports of the subject goods have been made under the advance authorisation licenses to meet its export obligations. The applicant continues to be engaged in the production and sales of the product under consideration in India. The nature of the applicant appears to be that of a producer of the subject goods, and the applicant does not appear to be in the business of carrying on imports exclusively for trading purposes. In the light of the principle laid down by the High Court of Calcutta in the case of *Gujarat Fertilizers & Chemicals Ltd.*,⁴⁶ the Authority holds that the imports made by the applicant during the period of investigation does not disqualify it from being considered as a 'domestic industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.
25. With respect to the applicant's relation to a producer of the subject goods in the subject country (Huanggang Yinhe Aarti Pharmaceutical Co. Ltd.), the applicant has submitted that it has not reported Huanggang as a related entity in its annual reports, it has continuously been reducing its investments in Huanggang, the two companies do not have consolidated books of accounts, Huanggang is only shown as a long-term investment in the books of accounts of the applicant, Huanggang has not directly exported any material in the Indian market, and the applicant does not hold any position in the board of directors and has not appointed any board members of Huanggang.⁴⁷ The applicant has also provided a letter wherein it has submitted that it has only a [***%] stake in Huanggang Yinhe Aarti Pharmaceutical Co. Ltd. and does not exercise any control over the management of the said company.⁴⁸ The letter further states that there are no common directors, senior management personnel or key managerial persons between the two companies. Further the letter states that the shareholding by the applicant does not give it any rights to appoint any of the board members of Huanggang.
26. In light of the decision of the Gauhati High Court in *Century Plyboards*,⁴⁹ the Authority holds that the applicant's relation to a producer of the subject goods in the subject country does not disqualify the applicant from being considered as a 'domestic industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.
27. The Authority therefore holds that the applicant constitutes a 'domestic industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

D.3.2 Whether the application requires the conditions under Rule 5(3) of the AD Rules?

28. As per Rule 5(3) of the AD Rules, an application for anti-dumping investigation must be made 'by or on behalf of the domestic industry'. The 'standing' requirement of Rule 5(3) of the AD Rules has the following two conditions:
 - i the domestic producers supporting the application must account for not less than 25% of the total domestic production of the product under consideration in India;⁵⁰ and
 - ii the application must be supported by producers whose collective output constitutes more than 50% of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application.⁵¹

⁴³ *Century Plyboards (I) Ltd. v. Union of India and Ors.*, 2022 SCCOnLine Gau 643.

⁴⁴ WTO Panel Report, European Commission - Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China (DS 397), adopted on 28 July 2011, [WT/DS397/R](#)

⁴⁵ *Century Plyboards*, 2022 SCCOnLine Gau 643, para 54.

⁴⁶ *State of Gujarat Fertilizers & Chemicals Ltd.*, 2012 SCCOnLine Cal 8071.

⁴⁷ Rejoinder of the applicant, para 20.

⁴⁸ Letter from Aarti Drugs Ltd, dated 27th July 2023.

⁴⁹ *Century Plyboards (I) Ltd. v. Union of India and Ors.*, 2022 SCCOnLine Gau 643.

⁵⁰ Proviso to Rule 5(3)(a) of the AD Rules, which reads as under:

Provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than twenty-five per cent of the total production of the like article by the domestic industry, and

⁵¹ Explanation to Rule 5(3) of the AD Rules, which reads as under:

Explanation. - For the purpose of this rule the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty per cent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition, as the case may be, to the application.

29. The applicant has stated that apart from it, M/s. Unichem Laboratories is also engaged in the production of the product under consideration in India.⁵² The applicant has submitted that M/s. Unichem Laboratories does not sell the PUC in India, and its entire production of the PUC is meant for export operations.⁵³ The following table enumerates the production figures of the domestic producers of the like article as considered at the stage of initiation:

SN	Name of the domestic producer	Status of the producer	Production Volumes*	Production share*	Production share range
1	Aarti Drugs Limited	Applicant	*** MT	***%	80-85%
2	Unichem Laboratories	Neutral	*** MT	***%	15-20%
3	Total		*** MT	***%	100%

*Figures during the period of investigation (i.e. April 2021 to March 2022)

30. It is seen that the applicant's share in total domestic production was more than 25% of the eligible domestic production during the POI. Thus, the first limb of the requirement laid down in Rule 5 (3) (a) is fulfilled. With respect to the second condition, it is noted that the volume of only such domestic producers is to be taken into account who have either expressed support or opposition to the application. As the other eligible producer has not expressed opposition to the application at the stage of initiation, it can be concluded that the application is supported by domestic producers whose collective output constitute more than 50% of the production among the producers which had expressed either it "support or opposition" to the application. Thus, the requirement of the second limb of Rule 5 (3) of the AD Rules, 1995 was also fulfilled.
31. Accordingly, the Authority holds that the applicant constitutes 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules, 1995 and considers that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.

E CONFIDENTIALITY

32. With regard to the confidentiality of the information/data submitted by the interested parties, Rule 7 of the AD Rules provides as follows:

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and subrule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

- (2) *The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
- (3) *Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

33. No interested party has made any submission with regards to the confidentiality. The information and data submitted by the interested party and the domestic industry on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested party. Wherever required, parties providing information on a confidential basis were directed to provide a sufficient non-confidential version of the information filed by them on a confidential basis. Parties were directed to share the non-confidential version of their submissions through e-mails.

⁵² Application, para 30.

⁵³ *Id.*

Market Economy Treatment (MET), Normal Value, Export Price & Determination of Dumping Margin**F MARKET ECONOMY TREATMENT (MET) AND NORMAL VALUE****F.1 Submissions of the other interested party**

34. The other interested party has made the following submissions with respect to the market economy treatment of China PR:⁵⁴
- a. China's Accession Protocol to the WTO expired on 11th December 2016, and therefore China PR should be treated as a market economy.
 - b. In *EC – Fasteners (China)*, the Appellate Body has held that China PR automatically obtains a market-economy status upon the expiry of Article 15 of China's Accession Protocol to the WTO.
 - c. The WTO Agreement and China's Accession Protocol to the WTO must be interpreted in good faith and based on the principle of '*pacta sunt servanda*'. India has an obligation to grant market-economy status to China PR after the expiry of Article 15 of China's Accession Protocol.
 - d. Various other jurisdictions such as EU and USA have treated China as a market-economy country after the expiry of Article 15 of China's Accession Protocol.
 - e. The intention of the framers of the Agreement was to restrict the non-market economy status of China PR to 15 years only.
 - f. The understanding of the EU and the USA at the time of negotiating China's accession to the WTO was that the non-market economy treatment of China would be in place only for 15 years.
 - g. Regardless of how China PR is classified in the domestic laws of India, there is an international obligation to treat China PR as a market-economy country.

F.2 Submissions of the domestic industry

35. The domestic industry has made the following submissions with respect to the market economy treatment of China PR:⁵⁵
- a. Even though Article 15(a)(ii) of China's Accession Protocol to the WTO has expired 15 years from the date of China's accession to the WTO, Article 15(a)(i) of the Accession Protocol continues to remain in force, and permits the treatment of China as a non-market economy.
 - b. The Chinese producers must establish, with evidence that market economy conditions exist in their country for their claim of market-economy treatment to be accepted.
 - c. The domestic selling price of Chinese producers/exporters must not be accepted unless it can be established that the cost and domestic prices are appropriate, and reasonably reflect the cost and price of the product under consideration.
 - d. Domestic cost and prices cannot be adopted in a situation where there is state interference in determination of costs and prices.
 - e. Domestic costs and prices cannot be adopted unless the responding exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect the market value. In a situation where Chinese producers claim that raw material prices are substantially lower than Indian and international raw material prices, it must be concluded that prices of inputs reported by the responding exporters are distorted.
 - f. Domestic cost and prices cannot be adopted unless the responding exporter establish that their books are audited in line with Chinese GAAP and international accounting standards.
 - g. An examination must be made about the appropriateness of the costs claimed by the responding exporters.
 - h. There is no reasonable information available as to the price of the subject goods in a market economy third country or price from such third country to other countries, including India. Therefore, the normal value may be constructed on the basis of cost of production with reasonable addition for selling and general administration, and profits.

⁵⁴ Written Submissions of Hebei, pages 17 to 22.

⁵⁵ Application, paras 41 to 48

F.3 Examination by the Authority

36. It is noted that Hubei Hongyuan Pharmaceutical has argued for treatment for China PR as a market economy country. The argument is based on the premise that with the expiration of Article 15 (a) (ii) of China's Accession Protocol on 11th December 2016, WTO members (including India) are under an obligation to treat China PR as a market economy country. Hubei has placed reliance on the WTO Appellate Body Report in *EC – Fasteners*⁵⁶ to substantiate its claim. The Authority notes that Hubei's reliance on the Appellate Body's Report in *EC – Fastener* is misconceived. The question before the Appellate Body in that dispute did not pertain to the computation of normal value but rather related to the computation of export price.⁵⁷
37. Article 15 of China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:
- "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:*
- (a) *In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
 - (i) *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
 - (ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
 - (b) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
 - (c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
 - (d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*
38. The treatment of China PR as a non – market economy does not solely stem from Article 15 (a) (ii) – which Hubei has claimed to have expired on 11th December 2016 – but also flows from the remaining text of Article 15 i.e., subparagraph (a), as well as the broader rules set forth in Article VI of GATT 1994⁵⁸ and

⁵⁶ Appellate Body Report, *European Communities – Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China*, WT/DS397/AB/R, adopted 28 July 2011

⁵⁷ *Id.*, para 288: "We do not consider that the references in paragraph 15(a)(i) and (ii) to producers having to show that "market economy conditions prevail ... with regard to the manufacture, production and sale" of a product means that paragraph 15(a) permits any derogations also with respect to the determination of export prices. We reach this conclusion because, when producers are not able to show that market economy conditions prevail (including with regard to the sale of the product), paragraph 15(a) makes it clear that all an importing WTO Member is allowed to do as a consequence is to "use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China"." (emphasis supplied)

⁵⁸ See Second Ad Note to GATT Article VI from Annex I, which reads as under:

2. It is recognized that, in the case of imports from a country which has a complete or substantially complete monopoly of its trade and where all domestic prices are fixed by the State, special difficulties may exist in determining price comparability for the purposes of paragraph 1, and in such cases importing contracting parties may find it necessary to take into account the possibility that a strict comparison with domestic prices in such a country may not always be appropriate.

Article 2.2.1.1 of the WTO Anti-Dumping Agreement. As per the current international framework emerging from Article 15 of China's Accession Protocol, read with GATT Article VI and Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement, there are no restrictions in treating China PR as an NME. It is noted that although Article 15 (a)(ii) has expired, Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement read with the Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol to the WTO indicate that producers/exporters from China PR may be required to prove that market economy conditions exist in China PR. Paragraph 8 of Annexure I to the AD Rules stipulates that any country that has been determined to be, or has been treated as a non-market economy country, is presumed to be a non-market economy. Exporters from such country may rebut such a presumption by providing information/evidence stipulated in paragraph 8(3) of Annexure-I to the AD Rules in the form of a response to the supplemental questionnaire issued by the Authority. Therefore, the burden is on the other interested party to prove that Market Economy Conditions prevail in the subject country.

39. The Authority has a consistent practice of treating China PR as a Non-Market Economy. It is noted that since the responding producer/exporter from China PR has not filed a response to MET/Supplementary questionnaire to dispute the presumption that market economy conditions exist in China PR, the normal value computation is required to be done as per the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which reads as under:

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

40. It is noted that paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules stipulate three methods of constructing the normal value for Non-Market Economies: (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; and (c) on any other reasonable basis. The Authority notes that under the provisions of paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value must first be determined on the basis of the price or constructed value in a surrogate country, or the price of the exports from such country to other countries, including India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine the normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India.⁵⁹
41. It is to be noted that no information/evidence has been provided by the parties for the construction of the normal value on the basis of the first and the second methods. There is no data available with respect to the price or constructed value of the subject goods produced in a market economy third country. Further, the HS code under which the PUC is being imported also includes other products which are not covered in the scope of the PUC. Therefore, extrapolating the export price of the subject goods from third country to other countries is not possible since the export data for the relevant HS code under which the PUC is being imported also includes other products which are not covered in the scope of the PUC. There is also no public data available with the Authority to determine the normal value from the above two methods. In the absence of the above information/evidence, it is not possible for the Authority to determine normal value on the basis of the first or second method. Therefore, the Authority has decided to construct normal value based on the third method, i.e., on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India. The Authority has constructed the normal value on the basis of the price paid or payable in India.

G EXPORT PRICE

G.1 Export price for Hubei Hongyuan Pharmaceutical

42. Based on the information furnished in the exporter questionnaire response, the Authority notes that Hubei is a producer and exporter of the subject goods from China PR. Hubei has exported 199 MT of the subject goods directly to its unrelated customers in India during the POI. Hubei has provided the relevant information in the form and manner required and has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit costs and bank charges. The Authority has undertaken desk verification of the information submitted by Hubei to examine its claims

⁵⁹ See *Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. v. Exide Industries Ltd. & Ors.*, (2005) 3 SCC 39, paragraph 7.

and accordingly, the claims have been allowed. The net export price at ex-factory level for Hubei has been determined after allowing the due adjustments and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.2 Export price for all other producers/exporters from China PR

43. The normal value and export price for all producers from China PR have been determined on the basis of available facts and the same is mentioned in the dumping margin table below.

H DETERMINATION OF DUMPING AND DUMPING MARGINS

H.1 Submissions of the domestic industry

44. The domestic industry has made the following submissions with respect to the determination of dumping and dumping margins:
- a. Inclusion of April to September 2021 for dumping and injury analysis is inappropriate since there was low dumping in April 2021 to September 2021 as compared to October 2021 to March 2022.⁶⁰
 - b. The dumping margin should be determined by comparing the weighted average normal value to the transaction wise export price.⁶¹
 - c. Annexure-1 of the AD Rule and Article 2.4.2 of the Anti-Dumping Agreement permit the Authority to calculate the dumping margin by comparing the weighted average normal value to the prices of individual export transactions if it is found that a pattern of export prices differ significantly among different purchasers, regions or time periods, and if an explanation cannot be provided as to why such differences cannot be taken into account.⁶²
 - d. Till 2020-21, the net adjusted CIF price (CIF price of base year adjusted with raw material prices) of imports was lower than the actual import price.⁶³
 - e. The Chinese producers had increased their prices more than the change in raw material prices and were not dumping in the domestic market. However, in the first half of 2021-22, both the raw material cost and import price increased, but the increase in import price was not in line with an increase in raw material cost.⁶⁴
 - f. In the first half of 2021-22, the dumping margin was positive, however, because the volume of imports was low during this period, the imports were not having any material impact on the prices of the domestic industry.⁶⁵
 - g. In the second half of 2021-22, the export price had declined when the raw material price had increased, and the dumping margin has intensified. This shows that there is a pattern of export prices which differs sharply among different time periods.⁶⁶
 - h. From almost no aggressive pricing in the first half, the exporters have resorted to aggressive dumping in the second half of 2021-22.⁶⁷
 - i. The difference in pattern of export prices between different the first and the second half of the POI cannot be addressed by an average-to-average determination since the export prices did not move in tandem with the raw material prices.⁶⁸
 - j. There is a substantial difference in dumping margin in the first half of the POI as compared to the second half of the POI.⁶⁹
 - k. The applicant referred to the Appellate Body⁷⁰ decision, and investigations conducted by the US-

⁶⁰ Written submissions of the applicant, para 17.

⁶¹ *Id.*, para 18.

⁶² Written submissions of the applicant, paras 18 to 20.

⁶³ *Id.*, para 23.

⁶⁴ *Id.*, para 23.

⁶⁵ *Id.*

⁶⁶ *Id.*, para 24.

⁶⁷ *Id.*, para 24.

⁶⁸ *Id.*, para 25.

⁶⁹ *Id.*, para 27.

⁷⁰ Appellate Body Report, *United States – Certain Methodologies and Their Application to Anti-Dumping Proceedings Involving China*, WT/DS471/AB/R and Add.1, adopted 22 May 2017, DSR 2017:III, p. 1423; Appellate Body Report, *United States – Anti-Dumping and Countervailing Measures on Large Residential Washers from Korea*, WT/DS464/AB/R and Add.1, adopted 26 September 2016, DSR 2016:V, p. 2275.

Department of Commerce⁷¹ and the EU⁷² to argue that in case there is a pattern of export prices which differ significantly among different time periods, the investigating authority may resort to comparing the weighted average normal value to each transaction of export price, regardless of the reasons for such patterns.⁷³

- l. The applicant referred to the order of *Ld. CESTAT in Kothari Sugars & Chemicals Ltd. v. Designated Authority*, wherein it was held that if volume of imports at a particular price level is sufficient enough to have adverse impact on domestic selling prices, the same should be taken into account and given due weightage in the analysis.⁷⁴
- m. In *US – Differential Pricing Methodology*,⁷⁵ the Panel has permitted investigating authorities to use zeroing methodology while comparing the weighted average normal value to transaction wise export prices.⁷⁶

H.2 Submissions of the other interested party

45. The other interested party has made the following submissions regarding the computation of the dumping margin:
 - a. The applicant had initially proposed a 6-month period of investigation; however, the Authority had adopted a POI of 12 months while initiating the investigation. However, the applicant is once again requesting for the consideration of a six-month investigating period while computing the normal value.⁷⁷
 - b. As per the Manual of Operating Practices of Trade Remedy Investigations, once the POI has been fixed, it cannot be changed later on.⁷⁸
 - c. The Authority, in its wisdom has fixed the POI as 12 months, and therefore, there is no reason for modifying the same.⁷⁹
 - d. It has been the consistent practice of the Authority to analyse the POI as a whole for the purpose of assessment of the dumping margin, injury margin and rate of duty.⁸⁰

H.3 Examination of the Authority

46. Paragraph 6(iv) of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules reads as follows:

*“Subject to the provisions governing comparison in this paragraph, the existence of margin dumping during the investigation phase shall normally be established on the basis of comparison of a weighted average normal value and export prices on a transaction-to-transaction basis. **A normal value established on a weighted average basis may be compared to the prices of the individual export transactions if it is found that the pattern of export prices which differs significantly among different purchasers, regions or time periods and if an explanation is provided as to why such differences cannot be taken into account appropriately by the use of weighted average-to-weighted average or transaction-to-transaction comparison.**”*⁸¹
47. The above provision provides three methodologies for the determination of dumping and computation of the dumping margin:
 - i By comparing individual normal values to individual export prices on a transaction-to-transaction basis (hereinafter referred to as ‘T-T methodology’).

⁷¹ Issues and Decisions Memorandum for the *Antidumping Duty Investigation of Large Residential Washers from the Republic of Korea (A-580-868)*, United States Department of Commerce.

⁷² Commission Regulation (EC) No. 355/2006 of 28 February 2006 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of side-by-side refrigerators originating in the Republic of Korea; Council Regulation (EC) No 1050/2002 of 14 June 2002 imposing a definitive anti-dumping duty and collective definitively the provisional duty imposed on imports of recordable compact disks originating in Taiwan; Council Regulation (EC) No 2604/2000 of 27 November 2000 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain polyethylene terephthalate originating in India, Indonesia, Malaysia, the Republic of Korea, Taiwan and Thailand; Council Regulation (EC) No 2605/2000 of 27 November 2000 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain electronic weighing scales (REWS) originating in the People’s Republic of China, the Republic of Korea and Taiwan; Council Implementing Regulation (EU) No 78/2013 of 17 January 2013 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain tube and pipe fittings of iron and steel originating in Russia and Turkey.

⁷³ *Id.*, paras 28 to 31.

⁷⁴ Written submissions of the applicant, para 34.

⁷⁵ Panel Report, *United States – Anti-Dumping Measures Applying Differential Pricing Methodology to Softwood Lumber from Canada*, WT/DS534/R and Add.1, circulated to WTO Members 9 April 2019, appealed 4 June 2019.

⁷⁶ *Id.*, para 35.

⁷⁷ Rejoinder submissions of Hubei.

⁷⁸ *Id.*, page 2.

⁷⁹ *Id.*

⁸⁰ Written submissions of Hubei, page 7.

⁸¹ Annexure-I to the Anti-Dumping Rules is in *pari materia* with Article 2.4.2 of the WTO Anti-Dumping Agreement.

- ii By comparing the weighted average normal value to the weighted average export price (hereinafter referred to as ‘W-W methodology’); or
- iii By comparing the weighted average normal value to prices of individual export transactions (hereinafter referred to as ‘W-T methodology’).
48. As per Paragraph 6(iv) of Annexure-I to the Rules, the W-T methodology can be used if it is found that there is a pattern of export transactions which differs significantly among different purchasers, regions or time periods, and such differences cannot be taken into account by the use of the W-W methodology or the T-T methodology.
49. The applicant has stated that the inclusion of April to September 2021 (hereinafter referred to as “H1” to indicate the first half of the POI) for dumping and injury analysis is inappropriate since there was low dumping margin in April to September 2021 as compared to October 2021 to March 2022 (hereinafter referred to as “H2” to indicate the second half of the POI).⁸² The applicant has therefore requested the Authority to calculate the dumping margin by comparing weighted average normal value to individual export transactions.⁸³
50. The applicant has stated that there is a pattern of significant export price difference in the first half of the POI as compared to the second half. The applicant has submitted that the net adjusted CIF price (i.e. CIF price of base year adjusted with the raw material price) was lower than the actual import price. According to the applicant, this implies that the Chinese producers had, in fact, increased their prices more than the change in raw material cost and were practically not dumping in the domestic market. It was argued that in H1, both the raw material cost and the import price increased, but the increase in import price was not in line with the increase in raw material cost.⁸⁴ The applicant has presented the following table to demonstrate its claims:

S.No.	Particulars	CIF price (Rs/MT)	Raw Material cost (Rs/MT)	Adjusted CIF price (Rs/MT)	Difference (Rs/MT)
1.	2018-19	***	***	***	***
2.	2019-20	***	***	***	***
3.	2020-21	***	***	***	***
4.	POI – H1	***	***	***	***
5.	POI – H2	***	***	***	***
6.	POI (2021-22)	***	***	***	***

51. The applicant’s argument on the basis of the above-mentioned table are not tenable because in calculation of the adjusted CIF price, while the applicant is adding the raw material cost of the current year, it is adding the other costs of the previous year to reach the adjusted CIF price. For example, the difference in CIF price and raw material for 2019-20 is *** (costs other than raw material). To calculate the adjusted CIF price for 2020-21, the applicant has added this “costs other than raw material” of 2019 -20 to the raw material cost of 2020-21 (5,31,801) to reach the figure of ***. The assumption that “costs other than raw material” shall remain unchanged for the next year has been improperly drawn.
52. The applicant has further submitted that in the second half of 2021-22, the export price has declined when the raw material price had in fact increased; therefore, the dumping margin during this period had allegedly increased. The applicant claims that this shows that there is a pattern of export prices which differs among different time periods. The applicant has submitted that from almost no aggressive pricing in the first half of the POI, the exporters have resorted to aggressive dumping in the second half.⁸⁵ The applicant has presented the following table to demonstrate its claims:

⁸² Written submissions of the Applicant, para 17.

⁸³ Written submissions of the applicant, para 21.

⁸⁴ Written submissions of the applicant, para 23.

⁸⁵ Written submissions of the applicant, para 24.

S.No.	Particulars	Raw Material cost (Rs./MT)	Import price CIF (Rs./MT)
1.	POI – 1 st Half	***	***
2.	POI – 2 nd Half	***	***
3.	Change Rs. /MT	***	***
4.	Change %	***	***

53. The applicant has further submitted that the above difference of pattern of export price between different time periods cannot be remedied by adopting the W-W methodology since the export price has not moved in tandem with the raw material price.⁸⁶ The applicant claims that the dumping margin in the first half of the POI was only 5%, which has increased to 24% in the second half of the POI.⁸⁷ The applicant has presented the following table to demonstrate its claims:

S.No.	Particulars	UOM	POI-H1	POI-H2	2021-22
1.	Normal Value	\$/MT	***	***	***
2.	Net Export Price	\$/MT	***	***	***
3.	Dumping Margin	\$/MT	***	***	***
4.	Dumping Margin	%	5%	24%	20%

54. The applicant has relied on the decision of the Appellate Body in *US – Anti-Dumping Methodologies (China)* to argue that the investigating authority has a discretion in deciding which methodology to adopt, as long as the investigating authority identifies ‘a pattern of export prices which differs significantly among different purchasers, regions or time’:

“5.22. ... Accordingly, investigating authorities enjoy a margin of discretion regarding the methods or tools they wish to use in establishing the existence of a pattern. However, irrespective of the method used, investigating authorities are required to identify ‘a pattern of export prices which differ significantly among different purchasers, regions or time periods’ within the meaning of the second sentence of Article 2.4.2 and consistently with their obligations under the Anti-Dumping Agreement.”

55. The applicant has further argued that the Authority is not required to identify the reasons for such differences in the export prices and is merely required to examine whether a pattern of export price exists. The applicant has submitted that if it is found that there is a pattern of export price, the Authority has the discretion to adopt any appropriate methodology for the determination of the dumping margin.⁸⁸ The applicant has relied on the WTO Appellate Body decision in *US – Washing Machines* and the USDOC’s Issues and Decision Memorandum in the anti-dumping investigation concerning imports of large residential washers from the Republic of Korea⁸⁹ to support its contention. The observations of the Appellate Body are as under:

“5.65. ... The text of the second sentence of Article 2.4.2 also does not imply an examination of the motivation for, or intent behind, the differences in prices. We thus see merit in the United States’ argument that, under the second sentence of Article 2.4.2, the investigating authority is charged with finding whether a pattern of export prices exists, not whether an exporter or producer has intentionally patterned its export prices to ‘target’ and ‘mask’ dumping.”

56. The applicants have also relied on decisions of the European Commission,⁹⁰ wherein it has been observed as under:

“(31) For all three exporting producers a clear pattern of export prices which significantly differed between regions was established. It was indeed found that significant volumes at low prices were

⁸⁶ Written submissions of the applicant, para 25.

⁸⁷ *Id.*, para 27.

⁸⁸ Written submissions of the applicant, para 29.

⁸⁹ The USDOC observed that:

Thus, while the Department may consider other factors in conducting a targeted dumping analysis, the statute does not require the Department to consider why such differences exist. The only obligations imposed on the Department in its analysis appear in section 777A(d)(1)(B) of the Act. Section 777A(d)(1)(B) of the Act requires the Department (1) to examine whether there is a pattern of export prices for comparable merchandise that differ significantly among purchasers, regions, or time periods and, if such a pattern exists, (2) to explain why such differences cannot be taken into account using the average-to-average or transaction-to-transaction comparison methods. The Act does not require the Department to discern why such patterns arise.

⁹⁰ *Supra* Note 72.

concentrated on the UK and French markets. These two markets were responsible for more than 50 % of the imports of the product concerned in the Community during the IP.

(32) The dumping found on these markets would have been inappropriately disguised by the use of a comparison of a weighted average normal value with a weighted average of export prices to all Member States of the European Union, as the prices at dumped levels found for all three exporting producers on the UK and French markets were wholly or partly offset by higher and largely non-dumped prices on other Community markets. Such methodology would not, therefore, reflect the full degree of dumping being practised. It was accordingly found appropriate to reflect in the calculation of the dumping the significant differences in the pattern of export prices among different regions.

(33) In this case, the transaction-to-transaction comparison was not found to be an appropriate alternative comparison method because the process of selecting individual transactions in order to make such a comparison was considered too impractical and arbitrary, with tens of thousands of exports and domestic transactions.”⁹¹

57. Lastly, the applicant has relied on the WTO Panel decision in *US – Differential Pricing Methodology* to contend that the zeroing methodology may be adopted in the present investigation.⁹² In the above case, the WTO Panel had observed as under:

“We recall that an interpreter is not free to adopt a reading that would result in reducing whole clauses or paragraphs of a treaty to redundancy or inutility. Therefore, contextual considerations also support our view that the second sentence of Article 2.4.2 does not prohibit zeroing under the W-T methodology. Based on the above, we find that an investigating authority is permitted to use zeroing while applying the W-T methodology to the pattern transactions.”

58. The other interested party has submitted that the applicant had initially proposed a 6-month period of investigation; the Authority had adopted a POI of 12 months while initiating the investigation. However, the applicant is once again requesting for the consideration of a six month investigating period while computing the normal value.⁹³ It was contended that as per the Manual of Operating Practices of Trade Remedy Investigations, once the POI has been fixed, it cannot be changed later on.⁹⁴ The other interested party has submitted that the Authority, in its wisdom has fixed the POI as 12 months, and therefore, there is no reason for modifying the same.⁹⁵ It was further submitted that the consistent practice of the Authority has been to analyse the POI as a whole for the purpose of assessment of the dumping margin, injury margin and rate of duty.⁹⁶
59. The Authority notes that in order to apply the W-T methodology, it must first be established that the export prices differ significantly among different purchasers, regions or time periods, and such differences cannot be taken into account appropriately by adopting the W-W methodology or the T-T methodology. The applicant in the instant investigation has claimed that there is a pattern of export prices which differ across different time periods since the export price in the 1st half of the POI (i.e., from April to September 2021) is much higher than the export price in the 2nd half of the POI (i.e., from October 2021 to March 2022). In order to examine this claim, the Authority has compared the export price in the first half of the POI with the export price in the second half of the POI based on the import data maintained by DGCI&S and the exporter’s questionnaire response. The difference in export prices has been set out in the table below:

Sl. No.	Particular	UOM	1st Half of POI	2nd Half of POI
Exports from China PR[#]				
1.	Export price	Rs./Kg	729	716
2.	Volume of imports	MT	147	338

[#] As per the data reported by DGCI&S

60. The applicant has claimed that in the second half of 2021-22, the export price has declined when the raw material price had in fact increased and the dumping margin has intensified in this period. The applicant

⁹¹ Commission Regulation (EC) No. 355/2006 of 28 February 2006 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of side-by-side refrigerators originating in the Republic of Korea; Council Regulation (EC) No 1050/2002 of 14 June 2002 imposing a definitive anti-dumping duty and collective definitively the provisional duty imposed on imports of recordable compact disks originating in Taiwan

⁹² Written submissions of the applicant, para 35.

⁹³ Rejoinder submissions of Hubei.

⁹⁴ Rejoinder submissions of Hubei, page 2.

⁹⁵ Rejoinder submissions of Hubei.

⁹⁶ Written submissions of Hubei, page 7.

claims that this shows a pattern of export price which differs sharply among different time periods. The applicant has argued that from almost no aggressive pricing in the first half of the POI, the exporters have resorted to aggressive dumping in the second half of the POI.⁹⁷ The applicant has claimed that the CIF import price of Chinese exporters has not moved in tandem with the change in the cost of the raw materials. The applicant has requested the Authority to take note of the disparity between the increase in the raw material costs in the 2nd half of the POI and the changes in the CIF import price in the 2nd half of the POI.

61. With respect to the differences in cost of raw materials relative to the differences in export price, Hubei has claimed that the cost of raw materials has not increased in relation to what is claimed by the applicant. The applicant has submitted that the Chinese producer does not operate in market economy conditions, therefore, its costs and prices must not be accepted.⁹⁸ The applicant states that it has procured its raw materials from various unaffiliated sources, which reflect international prices. It has been claimed that in case the cost of raw materials of the Chinese producers/exporters are below the international raw material prices, it must be concluded that the prices of inputs of the responding exporters are distorted.⁹⁹
62. The applicant has claimed that the Chinese exporter does not operate on market economy conditions, and therefore its costs must not be accepted. It is noted that any distortions to the costs of inputs of the Chinese exporters would be factored into the assessment of dumping since the Authority has computed the normal value of the Chinese exporters based on Paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules. The Authority has already made necessary adjustments to take into account the distortions to the input prices of the Chinese exporters while computing the normal value. The acceptance of the applicant's argument would effectively mean adoption of a constructed export price, which is permitted only under limited circumstances i.e., when an association or compensatory arrangement between the importer and the exporter or a third party has been established.¹⁰⁰
63. As seen from the table above, the Authority notes that there is no pattern of significant differences in export prices among different time periods. The difference between the export price of the second half of the POI and the first half of the POI is only miniscule. Therefore, the Authority does not find a valid and justifiable reason for computing the dumping margin based on the W-T methodology. The Authority has therefore assessed the dumping margin based on the W-W methodology. With respect to the applicant's argument regarding 'zeroing', the Authority notes that it has been consistently held by the WTO Panel and Appellate Body that 'zeroing' is not permitted under the Anti-Dumping Agreement.¹⁰¹
64. Considering the normal value and export price for subject goods, the proposed dumping margins are as follows:

S.No.	Producer	Normal Value (₹/MT)	Net Export Price (₹/MT)	Dumping Margin (₹/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin Range
1.	Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd	***	***	***	***	10-15%
2.	Any other producer	***	***	***	***	10-15%

Methodology of Injury Assessment and Examination of Causal Link

65. Rule 11 of the AD Rules, 1995 read with Annexure II to the AD Rules, 1995 provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such

⁹⁷ Written submission of the applicant, para 24.

⁹⁸ Rejoinder of the applicant, para 24.

⁹⁹ *Id.*, para 25.

¹⁰⁰ See Section 9A(b) of the Customs Tariff Act, 1975; see also Article 2.3 of the Anti-Dumping Agreement.

¹⁰¹ Appellate Body Report, *European Communities – Anti-Dumping Duties on Imports of Cotton-Type Bed Linen from India*, WT/DS141/AB/R, adopted 12 March 2001; Appellate Body Report, *United States – Continued Existence and Application of Zeroing Methodology*, WT/DS350/AB/R, adopted 19 February 2009; Appellate Body Report, *United States – Laws, Regulations and Methodology for Calculating Dumping Margins ("Zeroing")*, WT/DS294/AB/R, adopted 9 May 2006; Appellate Body Report, *United States – Measures Relating to Zeroing and Sunset Reviews*, WT/DS322/AB/R, adopted 23 January 2007; Panel Report, *United States – Use of Zeroing in Anti-Dumping Measures Involving Products from Korea*, WT/DS402/R, adopted 24 February 2011.

articles...”. Further, in considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

66. The applicant has requested the Authority to conduct the injury analysis on a half yearly basis, by separately examining the trends of injury during the first half of the POI and the second half of the POI. The applicant submitted that in several investigations, the Authority has conducted a quarterly/half yearly analysis of the performance of the domestic industry.¹⁰²
67. The Authority has examined the effect of dumped imports on the state of the domestic industry in the paragraphs below. Wherever required, the Authority has separately examined the trends in the 1st half of the POI and the 2nd half of the POI.

I VOLUME EFFECT OF DUMPED IMPORTS

I.1 Assessment of Demand

I.1.1 Submissions of the domestic industry

68. The domestic industry has made the following submission regarding the volume effects of the dumped imports:
 - a. The applicant has requested the Authority to conduct the injury analysis on a half yearly basis. The applicant has submitted that the Authority had conducted a half yearly analysis of the injury examination in several previous investigations.
 - b. The volume of imports from the subject country declined during the first half of the POI and has increased significantly in the second half of the POI.¹⁰³
 - c. Imports in relation to the production and consumption has also shown the same pattern.¹⁰⁴
 - d. The increase in imports was both in terms of absolute and relative production and consumption in India.¹⁰⁵
 - e. The imports have increased 3.5 times during the second half of the POI as compared to the first half of the POI.¹⁰⁶

I.1.2 Submissions of the other interested party

69. The other interested party has made the following submissions regarding the volume effects of the imports:
 - a. The reason for the increase of imports from the subject country from 2018 to 2022 is not dumping, but rather the growth of the Indian market demands following the development of the downstream industry.¹⁰⁷
 - b. The imports from China PR, have at no point during the injury period, put any sort of volume pressure on the sales of the petitioner.¹⁰⁸
 - c. With a decline in demand, the imports from the subject country have also declined, whereas, the sales of the petitioner have slightly increased.¹⁰⁹

¹⁰² Anti-Dumping Investigations concerning imports of Carbon Black used in rubber applications originating in or exported from Australia, China PR, Iran, Malaysia, Russia and Thailand; Anti-Dumping investigation concerning imports of “Glazed/Unglazed Porcelain/ Vitrified tiles in polished or unpolished finish with less than 3% water absorption”, originating in or exported from China PR; Anti-dumping investigation concerning imports of Flat base Steel Wheels originating in/exported from China PR (some parameters); Anti-dumping investigation concerning imports of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base (PHPG Base) originating in or exported from the European Union; Anti-dumping investigation concerning imports of Styrene Butadiene Rubber SBR of 1500 series and 1700 series originating in or exported from European Union, Korea RP & Thailand; Anti-dumping investigation involving imports of PVC Flex Films originating in or exported from China PR.

¹⁰³ Application, para 60.

¹⁰⁴ Written submissions of the applicant, para 40

¹⁰⁵ *Id.*

¹⁰⁶ *Id.*

¹⁰⁷ Written submissions of Hubei, page 8

¹⁰⁸ *Id.*, page 9.

¹⁰⁹ *Id.*

- d. The share of imports from China PR in relation to the production and demand in India has continuously declined during the period examined.¹¹⁰

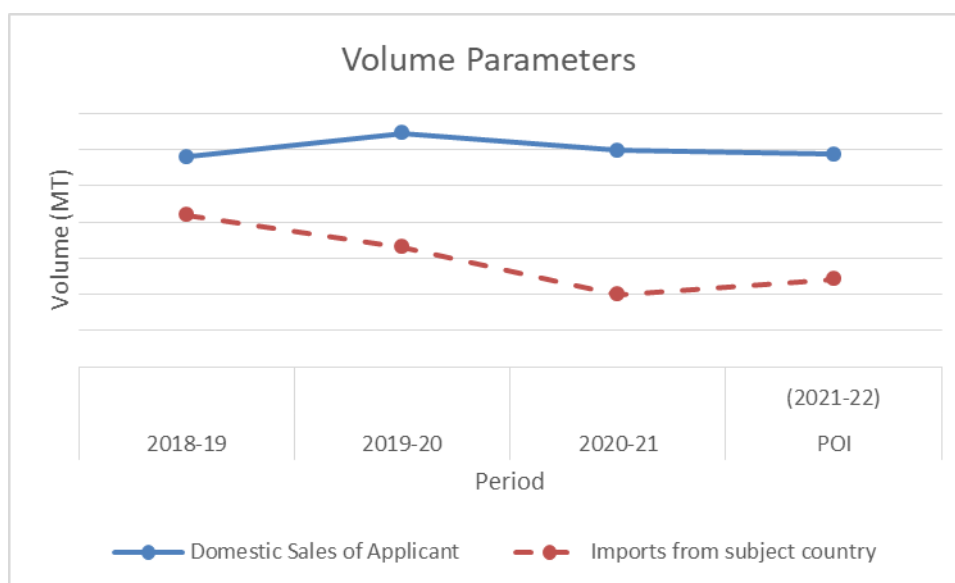
I.1.3 Examination of the Authority

70. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the volume of dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The transaction – wise import data of DGCI&S has been considered for the purpose of injury assessment. The Authority has also examined the trends of imports in 6 months of the post-POI period, (i.e., from April 2022 to September 2022) wherever necessary to assess whether the trends during the POI are sustained. It is noted that the examination of post-POI is not usually warranted in an original investigation. However, the factual circumstances of the present investigation demand the same. The applicant had in its original application requested the Authority to determine the dumping and injury for the POI October 2021 – March 2022. However, the reasons provided by the applicant were not sufficient enough to accept the said period as the POI. The Authority had therefore revised the POI as April 2021 – March 2022 through the initiation notification. Upon further analysis, it was found that injury was non-existent for the period April 2021 – September 2021 (H1) which warranted the investigation team to further consider whether the period October 2021 – March 2022 (H2) was a period of aberration or a state of continued injury. The investigation team has therefore analysed the 6 month post-POI data for the period April 2022 to September 2022 to determine the same.
71. The import volumes of the subject goods from the subject countries are as follows:

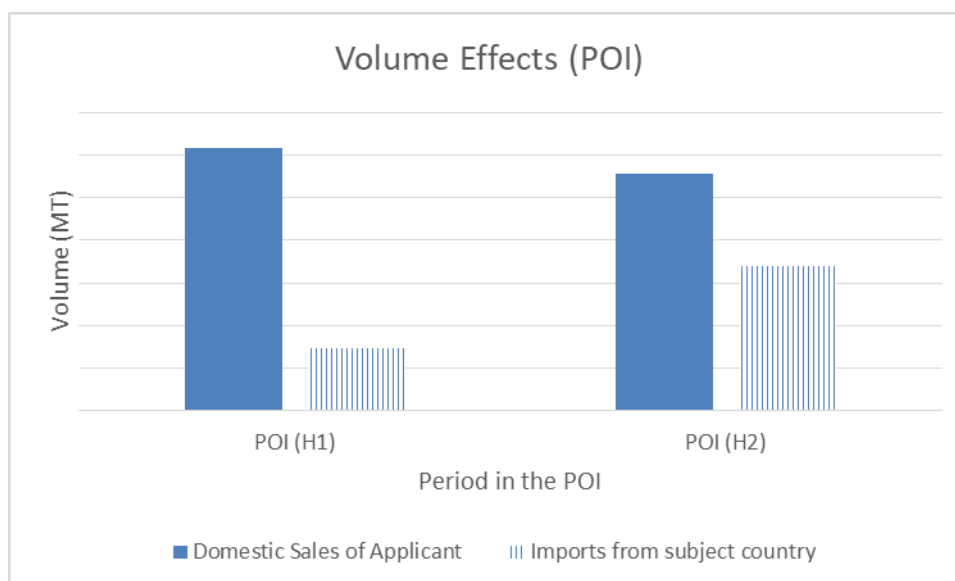
S. No .	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI (H1)	POI (H2)	POI (2021-22)
1.	Domestic Sales of Applicant	MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	111	103	-	-	101
2.	Sales of other producers	MT	0	0	0	0	0	0
	Trend	Indexed	0	0	0	-	-	0
3.	Imports from subject country	MT	839	662	397	147	338	485
	Trend	Indexed	100	79	47	-	-	58
4.	Imports from other countries	MT	26	0	0	0	0	0
	Trend	Indexed	100	0	0	-	-	0
5.	Total imports	MT	865	662	397	147	338	485
	Trend	Indexed	100	77	46	-	-	56
6.	Total demand/consumption (excluding captive consumption of DI)	MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	96	79	-	-	82
7.	Total demand/consumption (including captive consumption of DI)	MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	96	86	-	-	91

72. The total demand/consumption of the product under consideration in India has declined from the base year to the POI. However, the domestic sales of the applicant have increased marginally from the base year to the POI. There are no other producers in India that are selling the product under consideration in the domestic market. The imports from the subject country have declined from the base year to the POI, while imports from other countries are nil from the year 2019-20 to the POI. It is the applicant's contention that there has been an increase in imports in the second half of the POI, as compared to the first half of the POI. It is seen that the domestic sales of the applicant have marginally reduced in the second half of the POI as compared to the first half, however, the overall sales of the applicant during the POI have slightly increased as compared to the base year, and has marginally reduced as compared to the previous year.

¹¹⁰ Id., page 10.



Volume effects through the injury period



Volume effects (POI)

I.2 Import Volumes and Market Share

I.2.1 Submission of the domestic industry

73. The domestic industry has made the following submissions with respect to import volumes and market share:
- The market share of the applicant increased till April 2020 to September 2021, however declined thereafter with an increase in imports.¹¹¹
 - Market share of imports in the proposed period is the highest over the injury period.¹¹²
 - The volume of imports from China PR declined till September 2021 had has increased significantly thereafter.¹¹³

¹¹¹ Application, para 62.

¹¹² *Id.*

¹¹³ Written submissions of the applicant, para 40.

- d. The increase in imports was in both absolute terms and in relation to production and consumption in India. The imports have increased 3.5 times in the period October 2021 to March 2022 as compared to April 2021 to September 2021.¹¹⁴

I.2.2 Submissions of the other interested party

74. The Hubei has made the following submissions with respect to import volumes and market share:
- Imports from China PR have, at no point in time during the period considered, put any sort of volume pressure on the sales of the petitioner.¹¹⁵
 - The sales of the petitioner have slightly increased.¹¹⁶
 - Imports from China PR in relation to Indian production and total demand have also declined during the period observed.¹¹⁷

I.2.3 Examination of the Authority

75. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import volumes of the subject goods from the subject countries and share of the dumped imports during the injury investigation period are as follows:

S. No	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI (H1)	POI (H2)	POI (2021-22)
Imports in Absolute Terms								
1.	Imports from subject country	MT	839	662	397	147	338	485
	Trend	Indexed	100	79	47	n/a	n/a	58
2.	Imports from other countries	MT	26	0	0	0	0	0
	Trend	Indexed	100	0	0	0	0	0
3.	Total imports	MT	865	662	397	147	338	485
	Trend	Indexed	100	77	46	n/a	n/a	56
4.	Total demand/consumption (excluding captive consumption of DI)	MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	96	79	n/a	n/a	82
5.	Total demand/consumption (including captive consumption of DI)	MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	96	86	-	-	91
Subject imports in relation to								
5.	Indian Production	%	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	61	39	25	59	42
6.	Total Demand (excluding captive consumption of DI)	%	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	82	60	46	91	70
7.	Total Demand (including captive consumption of DI)	%	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	82	55	40	86	64
8.	Total Imports	%	97%	100%	100%	100%	100%	100%
	Trend	Indexed	100	103	103	103	103	103

76. Imports from the subject country have declined during the period examined. Imports from China PR during the POI have almost halved as compared to the base year. There was a miniscule volume of imports from other countries during the base year; however, there have been no imports from other countries thereafter. There is a decline in volume of imports during the POI in absolute terms. As far as imports in relative terms are concerned, it is seen from the table above that imports in relation to Indian production have declined during the POI as compared to the base year. There is a marginal increase in imports from the subject country in relation to Indian production and Indian demand in the POI as

¹¹⁴ *Id.*

¹¹⁵ Written submissions of Hubei, page 9.

¹¹⁶ *Id.*

¹¹⁷ *Id.*, page 10.

compared to 2020-21; however, imports in relation to Indian production and Indian demand during the POI is below the base year levels.

77. The applicant has stated that during the second half of the POI, there was a significant increase in imports from the subject country in absolute terms. While it is true that imports in absolute terms have increased during the second half of the POI as compared to the first half of the POI, the share of imports in relation to the Indian production and Indian demand during the second half of the POI is still lower than the base year. This is because the sales of the domestic industry during the second half of the POI is significantly higher than the import volumes. It is further seen that subject import volumes have increased by ***% during the second half of the POI as compared to the first half of the POI (i.e. from *** MT to ***MT), whereas, the domestic sales of the applicant have only declined by ***% (i.e. from ***MT to ***MT). This indicates that the decline in volume of sales of the domestic industry has not been proportionate to the increase in volume of imports during the second half of the POI. Despite the increase in volume of imports during the second half of the POI, the domestic industry has managed to maintain substantial sales volume. Further, it may be noted that there was a decline in total demand during the POI as compared to the base year, which could have also contributed to the decline in sales volumes of the domestic industry.
78. The Authority has also examined the post-POI trends of imports in the table below. It is observed that there has been a substantial increase in imports in the 6-month period immediately following the POI (i.e. April to September 2022). The import volumes during the 6-month post-POI period are almost equal to the import volume during the base year (12 months). However, the landed price of imports in the 6-month post-POI period is substantially higher than previous periods. In fact, the landed price of imports during the April to September 2022 period is at the highest level and is ***% higher than the landed price in the second half of the POI, and ***% higher than the landed price during the base year. The landed price during this 6-month post-POI period is also higher than the NIP calculated for the POI.

S. NO.	Particulars	UOM	Base year (2018-19)	POI (H1)	POI (H2)	POI (2021-22)	Post-POI (April – September 2022)
1.	Imports from subject country	MT	839	147	338	485	799
2.	Imports from other countries	MT	26	0	0	0	-
3.	Total imports	MT	865	147	338	485	799
4.	Landed Price	Rs./Kg	787	841	837	838	978
5.	Selling Price of DI	Rs./Kg.	***	***	***	***	***

79. The Authority has assessed the market shares of imports as well as the domestic industry (excluding captive sales) in the table below:

S. NO.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI (H1)	POI (H2)	POI (2021-22)
1.	Domestic Sales of Applicant	%	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	115	131	141	109	124
2.	Sales of other producers	%	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	0	0	0	0	0	0
3.	Imports from subject country	%	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	83	61	46	93	85
4.	Imports from other countries	%	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	0	0	0	0	0
5.	Total imports	%	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	79	58	45	88	85

80. The market share of domestic industry has improved during the POI as compared to the base year, while the market share of the imports from the subject country has declined during this period. During the 2nd

half of the POI, the market share of the domestic industry is ****%, while the market share of the imports from the subject country is ****%. It is seen that during the second half of the POI, the market share of the domestic industry has declined in comparison to the first half of the POI as well as the previous year. On the other hand, the market share of the imports from the subject country has increased during the second half of the POI.

81. The Authority has also compared the volume trends observed during the present investigation with the historic trends of imports of Metronidazole from China PR in the table given under:

S. NO.	Particulars	UOM	Jan-Dec 2010*	Jan-June 2011*	2018-19	2019-20	2020-21	POI (2021-22)
1.	Sales of the domestic industry	MT	268	175	***	***	***	***
2.	Sales of other producers	MT	466	466	0	0	0	0
	Trend	Indexed	100	100	0	0	0	0
3.	Total sales of domestic producers	MT	734	641	***	***	***	***
4.	Imports from subject country	MT	1,133	1,049	839	662	397	485
	Trend	Indexed	100	93	74	58	35	58
5.	Imports from other countries	MT	0	92	26	0	0	0
	Trend	Indexed	-	100	28	0	0	0
6.	Total imports	MT	1,133	1,141	865	662	397	485
	Trend	Indexed	100	101	76	58	35	58
7.	Demand/Consumption (excluding captive consumption of DI)	MT	1,867	1,782	***	***	***	***
Market share in Demand (excluding captive sales of the DI)								
8.	Domestic Industry	%	14.38%	9.82%	***	***	***	***
9.	Other producers	%	24.94%	26.14%	0%	0%	0%	0%
10.	Imports from subject country	%	60.68%	58.88%	***	***	***	***
11.	Imports from other countries	%	0%	5.16%	***	***	***	***

* As per the final findings of the 2nd SSR of the previous investigation on Metronidazole¹¹⁸

82. The period of investigation of the 2nd SSR of the previous investigation on Metronidazole was January to December 2010. The Authority had also analyzed the post-POI data of January to July 2011 therein. As can be observed from the table above, the demand for Metronidazole in the year 2010 and 2011 is similar to the demand for Metronidazole during the POI. Whereas in the year 2010 and 2011, the exports from China PR occupied a substantial portion of the market share, during the injury period and the POI for the present investigation, the domestic industry has captured a significant portion of the domestic demand.

J PRICE EFFECT

J.1 Submission of the Parties

J.1.1 Submissions of the domestic industry

83. The domestic industry has made the following submissions with respect to price effects:

- a. The landed price of the subject imports during the POI is below the selling price of the domestic industry.¹¹⁹

¹¹⁸ Final Findings No. 15/9/2003-DGAD dated 29th June 2012, "Sunset Review of anti-dumping duty imposed concerning imports of 'Metronidazole' originating in or exported from China PR", para 20, https://dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_SSR2_metronidazole_chinaPR.pdf

¹¹⁹ Application, para 75.

- b. The price undercutting was negative during the entire period examined except during the POI.¹²⁰
- c. Price undercutting was negative even during April to September 2021.¹²¹
- d. Price underselling during the POI is positive.¹²²
- e. Prior to the POI, the landed price of imports was above the cost of sales and the selling price of the applicant, and therefore, the applicant was able to fetch reasonable prices.¹²³
- f. During the POI, the cost of sales increased globally, but the landed price of imports declined even below costs. The domestic industry has not been able to increase its selling price in the same proportion as increase in cost.¹²⁴
- g. Prior to the October 2021 – March 2022 period, the landed price of imports was above the cost of sales and the selling price of the domestic industry. However, in October 2021 – March 2022, the cost of sales increased sharply, but the landed price of imports has declined below the cost.¹²⁵
- h. Even compared to the April 2021 to September 2021 period, the landed price has declined, whereas the cost of sales has increased.¹²⁶

J.1.2 Submissions of the other interested party

84. The other interested party has made the following submissions with respect to the price: effects:
 - a. The cost of sales of the domestic industry has increased substantially, by 23% during the POI as compared to the base year.¹²⁷
 - b. The landed price of imports from China has remained almost the same during the POI as compared to the base year as there is not much fluctuations in the price of raw materials used by the producer/exporter.¹²⁸
 - c. Price undercutting is negative throughout the injury period and is slightly positive during the POI.¹²⁹
 - d. The domestic industry is in a position to increase the price to sell at a higher price in the Indian market.¹³⁰

J.1.3 Examination of the Authority

85. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production and net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject country.

J.2 Price undercutting effect

86. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course.

S. No.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI (H1)	POI (H2)	POI (2021-22)
1.	Import volume	MT	839	662	397	147	338	485
2.	Landed price	₹/MT	7,87,082	7,46,700	8,30,524	8,40,696	8,36,797	8,37,977

¹²⁰ *Id.*, para 75.

¹²¹ Written submissions of the applicant, para 42.

¹²² Application, para 76.

¹²³ *Id.*, para 79.

¹²⁴ *Id.*, para 79.

¹²⁵ Written submissions of the applicant, para 44.

¹²⁶ *Id.*, para 45.

¹²⁷ Written submissions of Hubei, page 10.

¹²⁸ *Id.*, page 10.

¹²⁹ *Id.*, page 10-11.

¹³⁰ *Id.*, page 11.

3.	Net Sales Realisation (NSR)	₹/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	98	108	109	115	112
4.	Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	-100	-22	-34	-57	97	19
5.	Price undercutting	%	***	***	***	***	***	***
	Range	Indexed	(0-5)	(0-5)	(0-5)	(0-5)	0-5	0-5
6.	Raw material cost of domestic industry	₹/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	96	99	115	138	126

87. The price undercutting throughout the examined period, except the POI is negative. In the POI, the price undercutting is ***%. During the second half of the POI, the price undercutting was ***%. The landed price of imports has been below the net sales realization of the domestic industry only during the second half of the POI. Even in the first half of the POI, the landed price of imports was above the net sales realization. It is noticed that from the base year to 2020-21, even though the net sales realization of the domestic industry was lower than the landed price, the profitability parameters (as mentioned in table to paragraph 110) of the domestic industry was positive and significant. The domestic industry had been profitable during this period even though it was selling the PUC at a lower price than the subject imports.

88. The applicant has contended that during the POI, particularly, in the second half of the POI, there has been an increase in price of raw materials, whereas the import price of the subject goods has not moved in tandem.¹³¹ The applicant submitted that with the increase in prices of the raw materials, the export price and landed value should have increased, however, this has not been the case.¹³² Hubei, on the other hand submitted that there has been no significant fluctuation in its price of raw materials.¹³³ However, Hubei has not provided any evidence to substantiate its claims. The applicant submitted that since Chinese producers operate in non-market economy conditions, the prices of raw materials in China is not set by market forces.¹³⁴ The applicant submitted that the Chinese raw material prices are substantially lower than both Indian as well as international raw material prices.¹³⁵ The applicant has submitted that it has procured raw materials from several sources, which reflect international prices.¹³⁶ The applicant has submitted the following information regarding the fluctuation of its raw material prices:¹³⁷

Source	Domestic			Imported		
Period	2020-21	2021-22	Increase	2020-21	2021-22	Increase
2 Methyl 5-Nitro Imidazole	***	***	***	***	***	***
Formic Acid 85%	***	***	***	***	***	***
Ethylene Oxide	***	***	***	***	***	***
Anhydrous Ammonia Gas	***	***	***	***	***	***

Unit: ₹/MT

89. The applicant's claim that the prices of raw materials in India have moved in tandem with international raw material prices cannot be accepted. The fluctuation in prices of raw materials from India are not similar to the international prices of raw materials. Further, the prices of raw materials in India have grown at a substantially higher rate than the international prices in raw materials. The Indian raw material prices have increased by about 27% during the POI as compared to the previous year, whereas the international prices of raw materials have increased only by about ***% during the POI as compared to the previous year. The increase in international raw materials prices is seen only with respect to 2 Methyl 5-Nitro Imidazole and not with other raw materials.

¹³¹ Written submissions of the applicant, paras 22-24.

¹³² *Id.*

¹³³ Written submissions of Hubei, page 10.

¹³⁴ Rejoinder of the applicant, para 25.

¹³⁵ *Id.*

¹³⁶ Rejoinder of the applicant, para 25.

¹³⁷ *Id.*

90. The Authority notes that the increase in cost of domestic raw materials during the POI has contributed to the applicant's increase in net sales realization. This has led to a situation wherein the price undercutting during the POI is positive. It is further noticed that during the first half of the POI, the price undercutting is negative, whereas only in the second half of the POI, the price undercutting is positive.

J.3 Price Suppression and Depression

91. In order to assess as to whether imports from the subject countries were suppressing/depressing the prices of the domestic industry and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority has compared the cost of production and the net selling price of the domestic industry over the injury period along with the landed price of imports over the injury period, and shown in the table below:

S. No.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI (H1)	POI (H2)	POI (2021-22)
1.	Cost of sales per unit	₹/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	106	101	115	139	126
2.	Selling price per unit	₹/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	98	108	109	115	112
3.	Landed Price	₹/MT	***	***	***	***	***	***
4.	Raw material cost of domestic industry	₹/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	96	99	115	138	126

92. It is seen that the cost of sales has increased from the base year to the POI. During the second half of the POI, the cost of sales has increased significantly. The selling price of the product under consideration has also increased. While the cost of sales has increased by ***% from the base year to the POI, the selling price has increased by ***%. It is further noted that the cost of raw materials of the domestic industry has also increased by ***% from the base year to the POI. From the first half of the POI to the second half, the price of raw materials increased by ***%, and the applicant's cost of sales increased by ***%. The increase in cost of sales during this period appears to be directly attributable to the increase in raw material costs.
93. The landed price has also increased from the base year to the POI. The Authority notes that during the 2nd half of the POI, the landed price of the imports has been lower than the selling price of the applicants. During the second half of the POI, the applicant's selling price was also lower than its cost of sales, thereby indicating that it has incurred losses during the second half of the POI. As discussed above, the increase in cost of sales, could be attributable to the increase in raw material prices. In fact, from 2018-19 till the first half of the POI, the selling price of the domestic industry was below the landed price, and yet the profitability and market share of the applicant were substantial. The Authority notes that the apparent price suppressive/depressive effects of the imports observed during the second half of the POI are a result of an increase in raw material prices, which occurred during this period.

K ECONOMIC PARAMETERS PERTAINING TO THE DOMESTIC INDUSTRY

K.1 Production, Capacity, Capacity Utilisation and Sales

K.1.1 Submission of the domestic industry

94. The domestic industry made the following submissions with respect to the production, capacity, capacity utilization and sales:
- The domestic sales of the applicant have declined during the POI.¹³⁸
 - The production and capacity utilization of the applicant has increased during the POI due to an increase in export sales of the applicant.¹³⁹
 - The primary market for the applicant is the domestic market; however, due to the increase in imports from

¹³⁸ Application, para 64.

¹³⁹ *Id.*

the subject country, the applicant is forced to export.¹⁴⁰

- d. The export sales volumes of the applicant have increased, whereas domestic sales have increased till the year 2019-20 and have declined thereafter.¹⁴¹

K.1.2 Submissions of the other interested party

95. The other interested party made the following submissions with respect to production, capacity, capacity utilization and sales of the domestic industry:

- a. The capacity of the petitioner has remained stable. The production and sales of the petitioner have increased sharply.¹⁴²

K.1.3 Examination of the Authority

96. The following table shows the capacity, production and sales parameters of the applicant:

S. No.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 H1	2021-22 H2	POI (2021-22)
1.	Installed capacity	MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	100	100	100	100	100
2.	Production- PUC	MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	119	109	126	122	124
3.	Capacity Utilisation	%	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	119	109	126	122	124
Sales Volume								
4.	Domestic	MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	111	103	53	48	101
5.	Exports	MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	99	133	78	93	171
6.	Captive	MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	96	125	79	59	137
7.	Total sales of the domestic industry	MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	106	114	64	61	124
8.	Subject Imports	MT	865	662	397	147	338	485

97. It is seen that:

- i The installed capacity of the applicant has remained stable throughout the injury period and the POI.
- ii The production and capacity utilization has increased from the base year to the POI. The production and capacity utilization has increased from the base year to 2019-20, and has declined slightly in the year 2020-21, and has once again picked up during the POI. The capacity utilization during the second half of the POI (when the raw material prices of the domestic industry had increased substantially) stands at ***%, which is significant.
- iii The domestic sales has slightly increased during the POI as compared to the base year despite the alleged price undercutting. The domestic sales of the applicant was at the highest level during the year 2019-20 and has declined thereafter. The export sales and captive consumption of raw materials has continuously increased from the base year to the POI. The applicant has contended that due to the increase in volume of imports from the subject country, they have begun shifting their focus away from the domestic markets to the export markets.

¹⁴⁰ *Id.*

¹⁴¹ Written submissions of the applicant, para 65.

¹⁴² Written submissions of Hubei, page 12.

- iv The overall sales of the applicant (i.e. domestic sales + export sales + captive sales) have steadily increased throughout the examined period, yet the domestic sales of the applicant has not shown a substantial increase during the examined period.
98. The contention of the applicant that due to an increase in volume of imports from the subject country, they have been forced to shift their focus to the export markets is not tenable. If this had been the case, the applicant's export sales would have increased with an increase in volume of subject import and vice-versa. However, this has not been the case. The Authority notes that during the years 2018-19 and 2019-20, the import volumes from the subject country was far higher than the import volumes during the POI; yet, the export sales of the applicant during the years 2018-19 to 2019-20 was lower than its export sales during the POI. The Authority further notes that during the year 2020-21, although there was extremely low volume of imports from the subject country (lowest among all years examined), the applicant has exported significant quantities of the PUC. It is to be further noted that the increase in export sales cannot be considered a counter reaction to the alleged dumping given the fact that the export market has always been more price attractive for the applicant. The same can be concluded from the following table:

Particulars	UOM	² 018-19	2019-20	2020-21	2021-22 H1	2021-22 H2	2021-22
Sales Volume							
Domestic	MT	** [*]	***	***	***	***	***
Exports	MT	** [*]	***	***	***	***	***
Captive	MT	** [*]	***	***	***	***	***
Sales Value							
Domestic	₹ Lacs	** [*]	***	***	***	***	***
Exports	₹ Lacs	** [*]	***	***	***	***	***

99. Further, from the year 2019-20 to the year 2020-21, the import volumes from the subject countries declined by **%, whereas the export sales of the applicant increased by **% during the same period. It is true that during the POI, the import volumes from the subject country has increased as compared to the previous year; however, the Authority notes that this appears to not have a direct correlation to the applicant's tendency to export the PUC as has been examined above.
100. It is further noted that from 2018-19 to 2020-21, when the applicant was not suffering injury either in terms of its profitability or in terms of its market share, the applicant's domestic sales has remained more or less constant and has merely fluctuated between *** MT to ***MT. The applicant has not been able to improve its domestic sales volumes during this period when there was apparently no injury from the subject imports. Yet, the applicant has increased its export sales volumes. This period (2018-19 to 2020-21) was a period which saw a gradual decline in imports of the subject goods. This shows that the applicant's tendency to sell in the export market is not influenced by the increase in imports from the subject countries. The applicant has been continuously increasing its export sales irrespective of the volume of imports from the subject country. The applicant, for certain reasons which are unrelated to imports from the subject country, has not been able to increase its domestic sales beyond a certain level despite a relatively high capacity utilization. In fact, during the POI, the overall sales of the applicant (domestic, export and captive) were even higher than its production capacity.

K.2 Market Share

K.2.1 Submission of the domestic industry

101. The domestic industry has made the following submissions with respect to the market shares:
- a. The market share of the applicant increased till April 2020 to September 2021 as imports from the subject country declined. With an increase in imports, the market share of the applicant declined.¹⁴³

¹⁴³ Application, para 62.

K.2.2 Submissions of the other interested party

102. The other interested party made the following submissions with respect to market share:

- a. Sales of the petitioner have increased during the POI as compared to the base year. The export sales and captive consumption sales have also increased sharply.¹⁴⁴

K.2.3 Examination of the Authority

103. The Authority has assessed the market shares of imports as well as the domestic industry in the table below:

S. No.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI (H1)	POI (H2)	POI (2021-22)
1.	Domestic Sales of Applicant	%	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	115	131	141	109	124
2.	Sales of other producers	%	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	0	0	0	0	0	0
3.	Imports from subject country	%	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	82	60	46	91	70
4.	Imports from other countries	%	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	0	0	0	0	0
5.	Total imports	%	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	79	58	45	88	68

104. The market share of domestic industry has improved during the POI as compared to the base year, while the market share of the imports from the subject country has declined during this period. During the 2nd half of the POI, the market share of the domestic industry is **%, while the market share of the imports from the subject country is **%. It is seen that during the second half of the POI, the market share of the domestic industry has declined in comparison to the first half of the POI as well as the previous year. On the other hand, the market share of the imports from the subject country has increased during the second half of the POI.

105. The Authority has also compared the volume trends observed during the present investigation with the trends which were noticed during the 2nd Sunset Review of the previous investigation on Metronidazole from China PR in the table given under:

S. No.	Particulars	UOM	Jan-Dec 2010*	Jan-June 2011*	2018-19	2019-20	2020-21	POI (2021-22)
1.	Sales of the domestic industry	MT	268	175	***	***	***	***
2.	Sales of other producers	MT	466	466	0	0	0	
	Trend	Indexed	100	100	0	0	0	0
3.	Total sales of domestic producers	MT	734	641	***	***	***	***
4.	Imports from subject country	MT	1,133	1,049	839	662	397	485
	Trend	Indexed	100	93	74	58	35	
5.	Imports from other countries	MT	0	92	26	0	0	0
	Trend	Indexed	-	100	28	0	0	0
6.	Total imports	MT	1,133	1,141	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	101	76	58	35	
7.	Demand/Consumption (excluding captive sales of the DI)	MT	1,867	1,782	***	***	***	***
Market share in Demand (excluding captive sales of the DI)								
8.	Domestic Industry	%	14.38%	9.82%	***	***	***	***
9.	Other producers	%	24.94%	26.14%	***	***	***	***

¹⁴⁴ Written Submissions of Hubei, page 12.

10.	Imports from subject country	%	60.68%	58.88%	***	***	***	***
11.	Imports from other countries	%	0%	5.16%	***	***	***	***

* As per the final findings of the 2nd SSR of the previous investigation on Metronidazole¹⁴⁵

106. The period of investigation of the 2nd SSR of the previous investigation on Metronidazole was January to December 2010. The Authority had also analyzed the post-POI data of January to July 2011 therein. As can be observed from the table above, the demand for Metronidazole in the year 2010 and 2011 is similar to the demand for Metronidazole during the POI. Whereas in the year 2010 and 2011, the exports from China PR occupied a substantial portion of the market share, during the injury period and the POI for the present investigation, the domestic industry has captured a significant portion of the domestic demand.

K.3 Profitability, Return on Capital Employed and Cash Profits.

K.3.1 Submission of the domestic industry

107. The domestic industry made the following submissions with respect to profitability, return on capital employed and cash profits

- Profitability of the applicant has declined significantly in the POI. The applicant is earning the lowest profits during the POI.¹⁴⁶
- Cash profits and ROCE have shown the same trends as profitability.¹⁴⁷
- Cash profits and profit before tax are historically the lowest levels during the POI.¹⁴⁸
- The applicant placed reliance on the decision of the Ld. CESTAT in the case of *Forum of Acrylic Fibre Manufacturers v. Designated Authority*, to argue that price determination in a market economy is an outcome of market forces of supply and demand. Therefore, the decline in profitability of the domestic industry should not be seen as insignificant.¹⁴⁹

K.3.2 Submissions of the other interested party

108. The other interested party has made the following submissions with respect to profitability, cash profits and return on capital employed:

- The profitability of the domestic industry has declined due to a sharp and sudden increase in cost of sales of the applicant, whereas the selling price of the applicant has not increased in tandem.¹⁵⁰
- The increase in cost of sales is due to an increase in raw material cost of the applicant. The cost of raw materials may not be as substantial as claimed by the applicant.¹⁵¹

K.3.3 Examination of the Authority

109. The following table lays down the figures pertaining to the financial parameters of the domestic industry:

S. No.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI (H1)	POI (H2)	POI (2021-22)
1.	Cost of sales per unit	₹/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	106	101	115	139	126
2.	Selling price per unit	₹/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	98	108	109	115	112
3.	Profit/Loss	₹/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	47	147	77	(12)	35
4.	Profit/Loss (PBT)	₹ Lakhs	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	63	152	-	-	35
5.	PBIT	₹/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	59	140	74	(8)	35
6.	PBIT	₹ Lakhs	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	66	145	79	(8)	36

¹⁴⁵ Final Findings No. 15/9/2003-DGAD dated 29th June 2012, "Sunset Review of anti-dumping duty imposed concerning imports of 'Metronidazole' originating in or exported from China PR", para 20, https://dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_SSR2_metronidazole_chinaPR.pdf

¹⁴⁶ Application, para 68.

¹⁴⁷ Application, para 68.

¹⁴⁸ Written submissions of the applicant, para 71.

¹⁴⁹ Rejoinder of the applicant, paras 30& 31.

¹⁵⁰ Written submissions of Hubei, page 13.

¹⁵¹ Id.

7.	Cash profits	₹/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	61	144	79	(5)	39
8.	Cash profits	₹ Lakhs	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	68	149	84	(5)	39
9.	ROCE	%	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	64	144	75	(8)	35

110. The applicant has relied on the decision of the Ld. CESTAT in the case of *Forum of Acrylic Fibre Manufacturers v. Designated Authority*, to argue that profits are relevant and important to business enterprises and the decline in profits of the domestic industry should not be regarded as insignificant or inconsequential.¹⁵²

111. It is seen that:

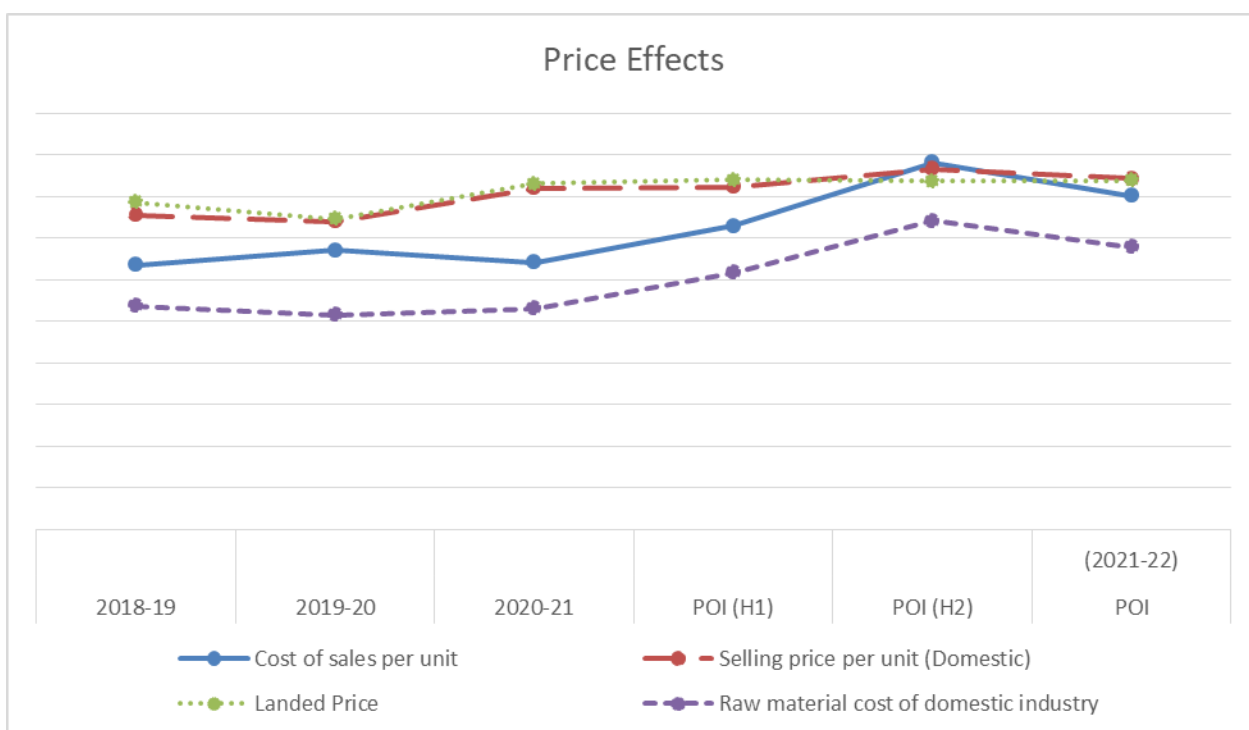
- i The cost of sales and selling price have increased from the base year to the POI. The cost of sales has increased substantially during the POI as compared to the previous year. The increase in cost of sales is most significant during the second half of the POI.
- ii The profits of the applicant have declined in the year 2019-20, and have increased in the year 2020-21, and declined during the POI to the lowest levels. The same trend is observed for PBIT, cash profits and ROCE. During the second half of the POI, the applicant has incurred losses. However, during the first half of the POI, the applicant is sufficiently profitable. Although the applicant's profitability has declined in the POI in relation to previous years, it has been overall profitable.
- iii It is seen that during the year 2020-21, while the volume of imports has been at the lowest levels of the examined period, the applicant had made substantial profits. This is also reflected in the PBIT, cash profits and ROCE.

112. The performance of the applicant must also be examined in the light of the substantial increase in raw material cost during the POI (particularly the second half of the POI). It is seen that while in the first half of the POI, the applicant is making sufficient profits, with a stable and satisfactory ROCE, during the second half of the POI, when the raw material costs increased, the profitability of the applicant has also declined.

113. During the second half of the POI, the applicant's selling price was also lower than its cost of sales, thereby indicating that it has incurred losses during the second half of the POI. The increase in cost of sales, could be attributable to the increase in raw material prices. While the cost of sales has moved in tandem with the price of raw materials, the selling price of the domestic industry has moved in tandem with the landed value.

S. No.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI (H1)	POI (H2)	POI (2021-22)
1.	Cost of sales per unit	₹/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	106	101	115	139	126
2.	Selling price per unit (Domestic)	₹/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	98	108	109	115	112
3.	Landed Price	₹/MT	7,87,082	7,46,700	8,30,524	8,40,696	8,36,797	8,37,977
4.	Raw material cost of domestic industry	₹/MT	***	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	96	99	115	138	126

¹⁵² Rejoinder of the applicant, paras 30 & 31.



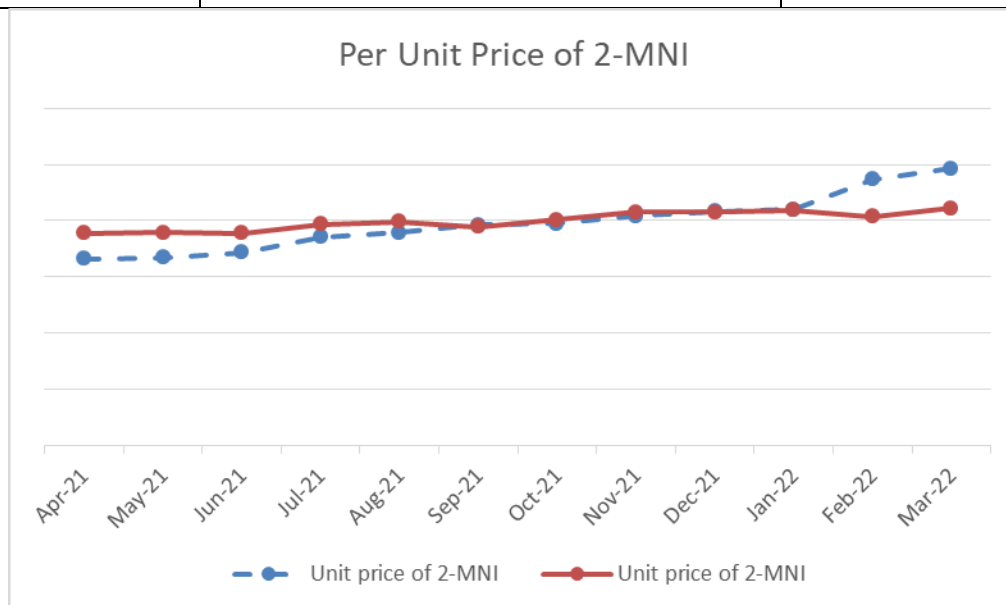
114. Due to the significant increase in raw material costs during the second half of the POI, the cost of sales of the domestic industry also increased. However, during the second half of the POI, the landed price has remained stable and therefore the domestic industry was unable to increase its selling price. It is the increase in raw material price and not the decline in landed price which has affected the profitability of the domestic industry. The domestic industry has contended that the landed price of the import from the subject country has not moved in tandem with the increase in raw material prices, and therefore, the domestic industry has not been able to adjust its selling price to the increase in raw material prices. The domestic industry has submitted that the pricing behaviour of exporters – whereby import prices have been unaffected by increase in raw material prices – is causing injury to the domestic industry.
115. The applicant has claimed that the CIF import price of Chinese exporters has not moved in tandem with the change in the cost of the raw materials. The applicant has requested the Authority to take note of the disparity between the changes in the raw material costs and the changes in the CIF import price. With respect to the differences cost of raw materials relative to the differences in export price, Hubei has claimed that the cost of raw materials has not increased in relation to what is claimed by the applicant. The applicant has submitted that the Chinese producer does not operate in market economy conditions, therefore, its costs and prices must not be accepted.¹⁵³ The applicant states that it has procured its raw materials from various unaffiliated sources, which reflect international prices. It has been claimed that in case the cost of raw materials of the Chinese producers/exporters are below the international raw material prices, it must be concluded that the prices of inputs of the responding exporters are distorted.¹⁵⁴
116. The Authority notes that the domestic industry has sourced its raw materials from both domestic and international suppliers. The applicant has provided data of the month-wise prices of the major raw material of metronidazole 2 Methyl 5-Nitro Imidazole (“2-MNI”), which it has procured from both domestic as well as international sources. The month-wise price of 2-MNI procured by the applicant during the POI is as under:

Month	Unit price of 2-MNI (Rs. / Kg)	
	Domestic	Imported
Apr-21	***	***
May-21	***	***
Jun-21	***	***

¹⁵³ Rejoinder of the applicant, para 24.

¹⁵⁴ *Id.*, para 25.

Jul-21	***	***
Aug-21	***	***
Sep-21	***	***
Oct-21	***	***
Nov-21	***	***
Dec-21	***	***
Jan-22	***	***
Feb-22	***	***
Mar-22	***	***



117. As seen from the table and graph above, the prices of domestically sourced 2-MNI has consistently increased. During the second half of the POI, the price of domestically sourced 2-MNI is higher than the international price of 2-MNI. Pertinently, vide email dated 29th July 2023, the domestic industry has itself conceded that the raw material price (particularly the price of 2-MNI) has increased more sharply in the Indian market as compared to the international market.¹⁵⁵ The Authority further notes that the increase in raw material cost without the corresponding increase in landed price of the subject goods is merely restricted to H2 of the POI. As noted in paragraph 143 below, during the 6 month post-POI period, the raw material price has increased by Rs. *** per MT (***)% increase) as compared to the preceding 6 months, whereas the landed value has increased by Rs. *** per MT (***)% increase), and the selling price has increased by Rs. *** per MT (***)% increase). The abnormal increase in raw material cost relative to the landed value was noticed only during H2 of the POI, which is an aberration. The Authority notes that any determination of injury cannot solely be based on the H2 of the POI – which appears to be period of aberration, more so in view of the H1 of the POI and the post-POI period.

K.4 Inventories

K.4.1 Submissions of the domestic industry

118. The applicant has made the following submissions with respect to its inventories:

- a. The inventories of the applicant have declined over the injury period and during the POI.¹⁵⁶
- b. Closing inventories increased in 2019-20 when COVID lockdown was imposed, resultantly, the average inventories increased during this period.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Email of the applicant dated 29th July 2023.

¹⁵⁶ Application, para 70.

¹⁵⁷ Written submissions of applicant, para 69.

- c. The closing inventories declined in the year 2020-21 since the production of the applicant declined.¹⁵⁸
- d. The inventories of the applicant have declined as it has undertaken export sales.¹⁵⁹

K.4.2 Submissions of the other interested party

119. The other interested party has made no specific submissions with respect to inventories

K.4.3 Examination of the Authority

120. The following table shows the inventory figures of the domestic industry:

Particulars	UOM	2018-19	201	202	POI	PO	POI (2021- 22)
Opening Inventory	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	35	387	168	112	168
Closing Inventory	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	1,10	479	319	201	201
Average Inventory	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	312	411	208	135	177

121. It is seen that there has been an increase in inventories from 2018-19 to 2020-21. Thereafter, the level of inventories has declined. During the POI, the average inventories have reduced, however, the level of inventories during the POI is still higher than the base year. There was an accumulation of stock in the year 2020-21. However, it is seen that a substantial amount of stock was cleared during the POI. This is despite the high production and capacity utilization of the applicant. Further, as noted above, the total sales of the domestic industry during the POI (domestic sales + export sales + captive sales) is ***MT. The domestic industry appears to not be facing much difficulty in making sales and clearing its existing stock through different sales channels (domestic, export or captive).

K.5 Employment, wages and productivity

K.5.1 Submission of the domestic industry

122. The domestic industry has made the following submissions with respect to employment, wages and productivity:
- a. Productivity and salary & wages has increased over the injury period. Number of employees have declined.¹⁶⁰
- b. Employment and wages are not dependent on the performance of the product under consideration and the applicant is not claiming injury in these parameters.¹⁶¹

K.5.2 Submissions of the other interested party

123. The other interested party has made the following submissions with respect to employment, wages and productivity:
- a. The number of employees increased during the POI as compared to the base year.¹⁶²

¹⁵⁸ Id.

¹⁵⁹ Id.

¹⁶⁰ Application, para 66.

¹⁶¹ Id.

¹⁶² Written submissions of Hubei, page 13

- b. Wages slightly declined during the POI.¹⁶³
- c. Employment and wages are not dependent on the performance of the product under consideration and the applicant is not claiming injury in these parameters. Thus, there is no injury to the domestic industry from the imports from China PR.¹⁶⁴
- d. Productivity per day and productivity per employee has increased sharply from the base year to the POI.¹⁶⁵

K.5.3 Examination of the Authority

124. The following table shows the figures with respect to employment, wages and productivity:

Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI (H1)	POI (H2)	POI (2021-22)
Salary & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	127	142	140	141
No. of Employees	Nos	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	95	95	95	95
Productivity per day	MT/days	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	119	109	126	122	124
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	115	133	128	131

125. The salary and wages have increased significantly from the base year to the POI, although the number of employees has declined. The productivity per day and productivity per employee has also improved. The applicant is not claiming injury with respect to the abovementioned parameters.¹⁶⁶

K.6 Growth

K.6.1 Submission of the domestic industry

126. The domestic industry has made the following submissions with respect to its growth:

- a. The applicant recorded positive growth in the period April 2020 to September 2021, but recorded a negative growth in majority of the parameters in the POI.¹⁶⁷

K.6.2 Submissions of the other interested party

127. The other interested party has made no submissions with respect to growth.

K.6.3 Examination of the Authority

128. The growth in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume, inventories, profits, cash profits and return on investment is as per below table:

S. No.	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	POI
1	Production	Y/Y	***	***	***
2	Sales	Y/Y	***	***	***
3	Profit/(Loss) per unit	Y/Y	***	***	***
4	Inventory	Y/Y	***	***	***
5	Market Share	Y/Y	***	***	***
7	Cash Profit	Y/Y	***	***	***

¹⁶³ Written submissions of Hubei, page 13.

¹⁶⁴ *Id.*

¹⁶⁵ *Id.*, page 14.

¹⁶⁶ Application, para 66.

¹⁶⁷ Application, para 72.

8	PBIT	Y/Y	***	***	***
9	ROI	Y/Y	***	***	***

129. It is noted that during the POI, the growth of the domestic industry has declined as compared to 2020-21. However, it may be noted that during the year 2020-21, the volume of imports from the subject goods was very low. A plausible reason for the low volume of imports during 2020-21 is the COVID-19 pandemic and the consequent decline in demand. Further, in 2020-21, the profitability of the domestic industry was substantial. Consequently, the growth of the domestic industry during the POI has declined as compared to 2020-21. The impact of decline in demand is also visible on the production and sales figures of the domestic industry, which have registered a negative growth in 2020-21.

K.7 Ability to raise capital investment

130. Applicant submitted that it is faced with low return on capital employed and that its ability to raise capital investments have significantly weakened due to the presence of dumped imports.¹⁶⁸ However, the applicant has not provided any evidence to substantiate its claim. Therefore, the Authority is unable to conclude that the domestic industry is suffering injury on this parameter.

K.8 Conclusion on injury

131. Having examined all parameters above, the Authority has observed that:
- The volume of imports has declined from the base year as compared to the POI. There is an increase in imports during the POI as compared to the previous year, however, imports in relation to the Indian production and the total demand has declined as compared to the base year.
 - Although there is an increase in imports during the post-POI period, the landed price of the imports during this post-POI period is substantially higher than the landed price during any other examined period. In fact, the landed price during this period is higher than the NIP calculated for the POI.
 - The market share of the domestic industry during the POI has significantly improved. Further the applicant is the sole domestic producer that is selling the PUC in the Indian market. Apart from the applicant, there is one other domestic producer in India; however, the other domestic producer is not selling the PUC in the Indian market. The market share of imports from the subject country have declined.
 - Imports from the subject country and market share of imports is significantly lower during the POI as compared to the period January 2020 to June 2011. There has been a positive growth of Indian producers in the market. The domestic producers have become stable and are able to compete with the imports even without the protection of the duty.
 - The price undercutting and price suppression/depression throughout the entire examined period, except the second half of the POI is negative. However, during the second half of the POI, the price of raw materials has substantially increased, which has contributed to the significant increase in cost of production of the applicant, and consequently, the positive price undercutting and price suppression/depression during this period.
 - The performance of the domestic industry in terms of production, installed capacity, sales volumes has improved during the POI as compared to the base year. This is despite the increase in raw material price during the POI.
 - The domestic industry has been profitable throughout the entire examined period except the second half of the POI. Only during the second half of the POI, the profitability (profits, cash profits, ROCE and PBIT) are negative. The Authority notes that the negative profitability during the second half of the POI is attributable to the increase in cost of raw materials during this period.
 - The average inventories of the applicant have increased during the POI as compared to the base year. However, the inventories during the POI have declined when compared to the previous year.
 - The salary and wages, productivity per day, and productivity per employee has improved during the POI as compared to the base year. The applicant has not claimed injury in this respect.
 - The applicant has shown positive growth in terms of its production and sales figures, but has shown negative growth in terms of profitability. As examined above, the negative growth in terms of the profitability of the applicant is as a result of the increase in raw material cost.

¹⁶⁸ Application, para 73.

L POST-POI ANALYSIS**L.1 Submission of the domestic industry**

132. The domestic industry has contended that the decline in performance during the 2nd half of the POI was not a temporary phenomenon, but rather the import trend and the injury to the domestic industry has persisted even after the POI. Vide email dated 29th July 2023, the domestic industry has furnished information for the April 2022 to September 2022 period to argue that the domestic industry has continued to suffer injury even after the POI. The domestic industry has submitted that October 2021 to March 2022 was not a temporary phenomenon, but the alleged dumping of the Chinese exporters has continued thereafter.¹⁶⁹ The applicant has submitted that imports of the applicant have increased in absolute terms in the period April 2022 to September 2022.¹⁷⁰ The domestic industry has submitted that their market share has declined, whereas the market share of the Chinese Exporters has increased to more than ***%. The applicant submitted that it had the capacity to cater to ***% of the total domestic demand, however, it is unable to capture sufficient market share.¹⁷¹
133. The applicant has further submitted that even though the import price during the April 2022 to September 2022 period have increased, the imports are still being made at dumped prices.¹⁷² The domestic industry further submitted that the difference between the selling price and the raw material cost continues to remain low even in the April 2022 to September 2022 period.¹⁷³

S. No.	Period	UOM	Selling price	Raw material cost	Difference	Difference (%)
1	2018-19	Rs/KG	***	***	***	***
2	2019-20	Rs/KG	***	***	***	***
3	2020-21	Rs/KG	***	***	***	***
4	2021-22 (H1)	Rs/KG	***	***	***	***
5	2021-22 (H2)	Rs/KG	***	***	***	***
6	2022-23 (H1)	Rs/KG	***	***	***	***

134. The applicant further submitted that while it is true that the raw material price has increased more sharply in the domestic market as compared to the international market, however, despite the increase, the raw material price in the domestic market continued to remain low.¹⁷⁴ The applicant contended that the decline in profitability is due to the sourcing of raw material from the domestic market and if the applicant had sourced raw material from the international market, its losses would have been higher.¹⁷⁵

S. No.	Particulars	Actual (Rs./MT)		Considering entire raw material imported (Rs./MT)	
		Apr-Sep'20	Oct'- Mar' 21	Apr-Sep'20	Oct'- Mar' 21
1	Raw material cost	***	***	***	***
2	Other cost	***	***	***	***
3	Total cost	***	***	***	***
4	Selling price	***	***	***	***
5	Profit/unit	***	***	***	***

L.2 Examination of the Authority

135. The Authority notes that the volume of imports during the April 2022 to September 2022 period has

¹⁶⁹ Email received from the applicant dated 29th July 2023, paragraph 1.

¹⁷⁰ *Id.*, para 2.

¹⁷¹ *Id.*, para 3.

¹⁷² Email from the applicant dated 29th July 2023, paragraph 5.

¹⁷³ *Id.*, para 6.

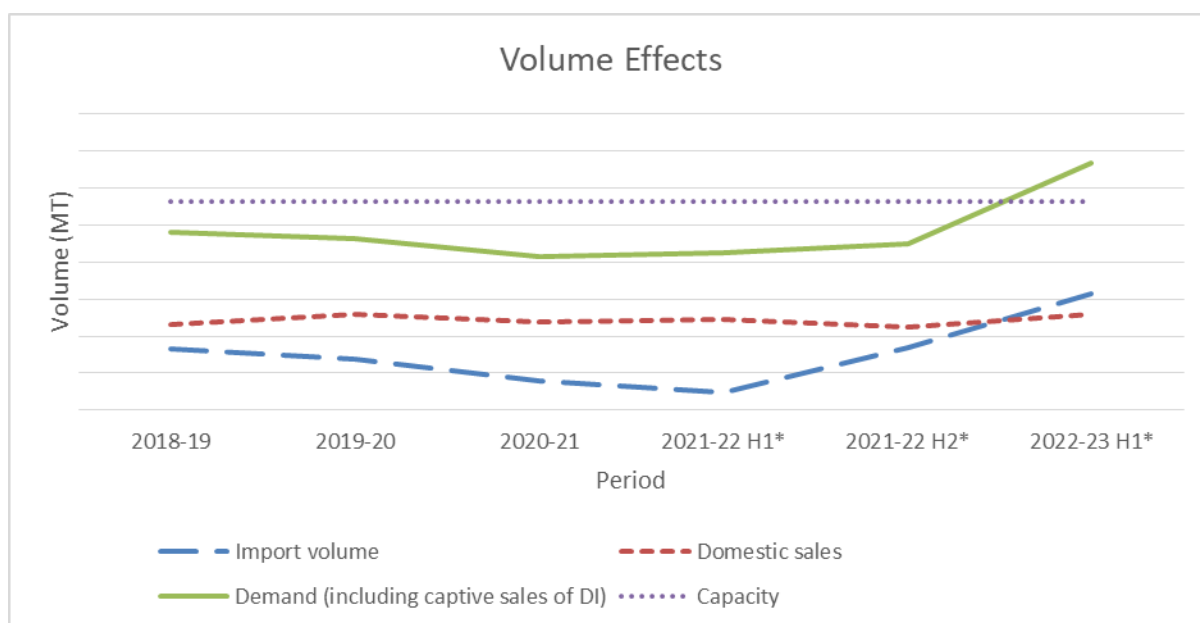
¹⁷⁴ Email from the applicant dated 29th July 2023, para 9.

¹⁷⁵ *Id.*, para 9.

increased. However, it is to be noted that the landed price of imports during this period has also substantially increased. Furthermore, it is seen that there is also a substantial increase in demand for the PUC during the April 2022 to September 2022 period, while the domestic sales of the domestic industry has increased as compared to the previous years:

Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 H1*	2021-22 H2*	2021- 22	2022-23 H1*
Import volume	MT	***	***	***	***	***	***	***
Domestic sales	MT	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	103	106	96	101	111
Domestic sales including captive consumption	MT	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	109	119	102	110	113
Demand (including captive sales of DI)	MT	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	86	88	93	91	139
Demand (excluding captive sales of DI)	MT	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	79	75	88	82	143
Market share of imports (excluding captive sales of DI)	%	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	83	61	46	93	71	134
Market share of applicant (excluding captive sales of the DI)	%	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	132	142	109	125	79
Market share of applicant (including captive sales of the DI)	%	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	127	134	109	122	81

* means the figures have been annualised



136. It is noticed that the installed capacity of the applicant has remained the same throughout the examined period. Throughout the examined period (including the post-POI period), the domestic sales of the applicant have remained at almost same levels with minor variations year-on-year (fluctuating between ***MT to ***MT). It is further noticed that the post-POI period is the only period wherein the volumes of imports from the subject country is higher than the domestic sales of the applicant. From the graph and the table above, it appears as if the sales of the domestic industry have not been impacted by the imports from the subject country. Throughout the examined period, the domestic sales of the applicant have been at a constant and stable level with minor variations year-on-year. Even from the period 2018-19 to the first half of the POI, when the volume of imports from the subject country were very low and declining, the domestic sales of the applicant still remain at the stable levels, with minor variations. The increase in volume of imports during the post-POI period has not had an impact on the stable domestic sales of the domestic industry.
137. In the post-POI period, the imports from the subject country do not appear to have disturbed the sales of the applicant, but rather the total demand for the subject goods in India has increased, and the imports from the subject country have catered to this increase in demand, without substantially affecting the sales of the domestic industry. It must further be noted that during the post-POI period, the total domestic demand is much higher than the installed capacity of the domestic industry and the demand appears to be growing. The applicant has argued that it has the capacity to cater to more ***% of the total domestic demand in India. However, based on the trends of the domestic sales, it appears that the domestic industry is unable to increase its domestic sales above a certain level, even when the import volumes were very low.
138. Upon analysis of the market share, a preliminary inference can be drawn that the market share of the domestic industry appears to be declining. However, when these figures are juxtaposed with the price behaviour of imports and domestic sales, a completely different picture is seen. As mentioned in the table below, it is noted that the selling price of the domestic industry is significantly below the landed value of imports. The principles of economics dictate that all other things being equal (e.g., quality of a product), consumers would prefer to buy goods offered at lower prices as compared to higher priced goods. Despite selling their goods at prices lower than the imports, the domestic industry has not been able to capture a larger share of the growth in demand. The domestic industry has not been able to afford any plausible explanation for the same. The capture of the growth in demand by imports therefore does not appear to adversely impact the competitiveness of the domestic industry in the post-POI period:

Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (H1)	2021-22 (H2)	2022-23 (H1)
Landed price	Rs./Kg	787	747	831	841	837	978
Trend	Indexed	100	95	106	107	106	124
Selling price	Rs./Kg	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	108	109	115	125

Raw material cost	Rs./Kg	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	99	115	138	144

139. As seen from the table above, the domestic industry also had the opportunity to increase its selling prices, given the significant difference in landed value of imports and the selling price of the domestically produced goods, and therefore, increase its profits. However, that has not been the case. Furthermore, the inability of the domestic industry to capture the growth in demand despite selling at low prices shows that other unknown factors are at play which are inhibiting the domestic industry from capturing the demand.

140. Moreover, the capacity utilisation of the domestic industry ranged from around ***-***% during the examined period. Yet, the domestic sales volumes of the domestic industry have not increased beyond a certain level throughout the examined period. The argument that the domestic has the capacity to cater to more than ***% of the total domestic demand is not reasonable since throughout the examined period, the applicant has dedicated a significant portion of the PUC that it produces to export markets and captive consumption. Therefore, even with the full capacity utilisation, it is unlikely that the domestic industry would cater to ***% of the total domestic demand. This is seen from the table below:

Particulars	UOM	2018 -19	2019 -20	2020 -21	2021-22 H1	2021-22 H2	POI (2021 -22)
Domestic sales	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	103	106	96	101
Export sales	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	133	157	186	171
Captive sales	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	125	157	118	137
Total sales of the domestic industry	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	114	64	61	124
Total demand (including captive consumption of DI)	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	88	88	102	140
Total demand (excluding captive consumption of DI)	MT	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	79	-	-	82
Import volume	MT	839	662	397	147	338	485

141. Further, the argument that the domestic industry was not able to capitalise on the increase in demand due to imports from the subject country cannot be accepted since the domestic industry has not been able to increase its domestic sales volume above a certain level throughout the examined period – including when the volume of imports from the subject country was low (i.e., during 2018-19 to the first half of the POI). Moreover, it must also be noted that from 2018-19 to the first half of the POI, the profitability of the domestic industry was positive and significant while the volume of imports from the subject country were low. The applicant's argument that its market share has declined also cannot be accepted. As explained above, the trends in market share cannot not be characterised as a decline in the market share of the domestic industry, but rather an increase in domestic demand, which the domestic industry has not been able to cater to. The increased volume of imports has been able to cater to this increase in domestic demand despite the imports being priced higher than the selling price of the domestic industry.

142. It is further noted that the increase in volume of imports must be analysed in the context of the price of imports, price of raw materials and selling price of the domestic industry:

Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (H1)	2021-22 (H2)	2022-23 (H1)
Landed price	Rs./Kg	787	747	831	841	837	978
Trend	Indexed	100	95	106	107	106	124
Selling price	Rs./Kg	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	108	109	115	125
Raw material cost	Rs./Kg	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	99	115	138	144

143. It is seen that although the volume of imports during the 6-month post-POI period is higher than the domestic sales volume of the applicant, the landed price of the imports is higher as well. Despite the higher landed price, the sales volumes of the subject imports are higher than the domestic sales of the applicant. Further, during the 6-month post-POI period, the raw material price has increased by Rs. ***per MT (***% increase) as compared to the preceding 6 months, whereas the landed value has increased by Rs. ***per MT (***% increase), and the selling price has increased by Rs. *** per MT (***% increase):

Particulars	Oct' 21 to March' 22 (Rs./Kg)	Apr' 22 to Sept' 22 (Rs./Kg)	Increase (Rs./Kg)	Increase (%)
Selling price	***	***	***	***
Raw material cost	***	***	***	***
Landed price	***	***	***	***

144. The above table indicates that increase in landed price of the subject imports is higher than the increase in raw material price. Further, the applicant has also been able to increase its selling price at a higher rate than the increase in cost of raw materials. It is also noticed that the domestic industry does not appear to be facing price pressure from the subject imports since the landed price of the subject imports is higher than the selling price of the domestic industry.

M INJURY MARGIN

M.1 Submission of the domestic industry

145. The domestic industry has made the following submissions with respect to the injury margin:

- Since there was negative injury margin during April 2021 to September 2021, the inclusion of 2021-22 as a whole for the injury analysis would not be appropriate.¹⁷⁶
- Performance of the domestic industry in the period April 2021 to September 2021 was reasonably good, whereas it has deteriorated sharply in the period October 2021 to March 2022. Inclusion of April 2021 to September 2021 would imply inclusion of a period when the domestic industry did not suffer material deterioration in performance.¹⁷⁷
- The Authority must apply the W-T Methodology to assess the injury margin instead of the W-W Methodology.¹⁷⁸
- The injury margin was negative in the period April 2021 to September 2021, but increased to ***% in October 2021 to March 2022. Therefore, a calculation done on average basis will imply merging of two periods when the domestic industry was not suffering from the Chinese dumping.¹⁷⁹
- While the WTO has held that 'zeroing' of dumping is against the mandate of the anti-dumping agreement, the agreement does not impose restrictions on the Authority to not undertake 'zeroing' for injury margin.¹⁸⁰
- The Authority may only consider those transactions which are below the non-injurious price for determination of the injury margin and quantum of duty since the domestic industry's concerns are only against the low-priced imports. Hence there is no reason to consider high priced imports under the determination as well.¹⁸¹

¹⁷⁶ Written submissions of the applicant, para 17(a).

¹⁷⁷ *Id.*, para 17(c).

¹⁷⁸ *Id.*, page 6.

¹⁷⁹ Written Submissions of the Applicant, para 26.

¹⁸⁰ *Id.*, para 36.

¹⁸¹ *Id.*, para 35.

M.2 Submission of the other interested party

146. The other interested party has made the following submissions with respect to the injury margin:

- a. The consolidated data for the POI should be considered by the Authority for computation of the injury margin.¹⁸²
- b. The petitioner had requested the Authority to consider a 6-month POI for the assessment of injury, however, the Authority has decided to consider a 12-month POI.¹⁸³
- c. As per paragraph 5.10 of the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations, the POI, once fixed by the Authority, cannot be modified.¹⁸⁴

M.3 Examination of the Authority

147. The determination of injury margin neither reflects the injury in quantitative terms nor does it confirm the existence of injury. However, since the domestic industry is not suffering injury due to the dumped imports, the Authority does not find it necessary to determine the injury margin.

N CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS**N.1 Submissions of the domestic industry**

148. The domestic industry has made the following submissions with respect to the causal link and non-attribution analysis:

- a. There are negligible imports from countries other than the subject country and are high priced.¹⁸⁵
- b. The demand for the PUC in India has increased during the POI, while the domestic sales of the applicant have declined.¹⁸⁶
- c. There are no trade restrictive practices in India, there has been no significant development in technology, the applicant has segregated its export performance, the productivity of the applicant has moved in tandem with changes in production, the data provided by the applicant relates only to its performance of the PUC.¹⁸⁷
- d. The applicant has not faced constraints of raw materials shortage, power shortage, impact of any tax differential, lack of adequate capacity or investment constraints.¹⁸⁸
- e. The import price of the subject imports has declined during the POI as compared to the previous years, allowing it to increase its import volumes.¹⁸⁹
- f. The import price of the subject imports is significantly below the cost of sales.¹⁹⁰
- g. The price pressure has significantly reduced the applicant's profits, cash profits and return on capital employed earned by the domestic industry.¹⁹¹
- h. Increase in volume of imports has taken away the market share of the domestic industry.¹⁹²

N.2 Submission of the other interested party

149. The other interested party has made the following submissions with respect to the causal link and non-attribution analysis:

- a. The WTO Appellate Body, in *US – Hot Rolled Steel* has held that in a non-attribution analysis, the investigating authorities are not required to separate and distinguish the injurious effects of other known causal factors from the injurious effects of the dumped imports.¹⁹³

¹⁸² Written submissions of Hubei, page 7.

¹⁸³ *Id.*

¹⁸⁴ *Id.*

¹⁸⁵ Application, para 96.

¹⁸⁶ *Id.*, para 98.

¹⁸⁷ *Id.*, para 99.

¹⁸⁸ Application, para 102.

¹⁸⁹ *Id.*, para 104 (i).

¹⁹⁰ *Id.*, para 104 (ii).

¹⁹¹ *Id.*, para 104 (iii).

¹⁹² *Id.*, para 104 (iv).

¹⁹³ Written Submissions of Hubei, page 15.

- b. The Authority is required to separate the injury caused to the domestic industry from the injurious effects of other factors.¹⁹⁴
- c. Internal problems, depressed market conditions globally, impact of COVID-19, the influence of the currency devaluation, inflation, price increase of bulk drug commodities are factors which have contributed to the injury of the domestic industry.¹⁹⁵
- d. The Indian rupee has weakened post the Russia-Ukraine war, which has led to inflation. This is the cause for injury to the domestic industry.¹⁹⁶

N.3 Examination of the Authority

150. Para (v) of Annexure – II to the AD Rules, 1995 requires the Authority to establish that the domestic industry is suffering injury due to the dumped imports. At the same, the Authority is required to examine other known factors other than the dumped imports that could have impacted the performance of the domestic industry so that the injury caused by other known factors is not attributable to the dumped imports of the subject goods. The relevant factors in this respect include the volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry. The Authority has noted above that the domestic industry has shown a decline in performance in the second half of the POI. The Authority has analysed the other factors which may have contributed to the domestic industry's decline in performance. The aforementioned factors have been examined below:

N.3.1 Contraction in demand

151. It is noted that the demand for the subject goods has declined during the POI as compared to the base year. However, the sales of the domestic industry have not changed substantially, whereas the volume of imports has declined from the base year as compared to the POI. There has been an increase in volume of imports during the POI as compared to the preceding year.

N.3.2 Change in pattern of consumption

152. None of the interested parties have argued or brought forth any evidence which establishes a change in pattern of consumption.

N.3.3 Trade restrictive practices

153. None of the interested parties have argued or brought for any evidence regarding the existence of trade restrictive practices.

N.3.4 Development in technology

154. None of the interested parties have argued or brought forth any evidence to demonstrate any advancement in technology in the manufacturing of the PUC.

N.3.5 Export performance of the domestic industry

155. The applicant's export performance has improved during the POI as compared to the base year.

N.3.6 The performance of other products of the domestic industry

156. The injury analysis has been conducted based on the domestic industry's performance with respect to the PUC only. Therefore, the performance of other products of the domestic industry is not relevant for the purpose of the present investigation.

N.3.7 Depressed global market conditions

157. Hubei has argued that the applicant's performance has declined due to the depressed global market conditions as well as the impact of COVID-19. Hubei has further argued that the Russia-Ukraine war has led to a devaluation of the Indian rupee, which is the cause for the injury of the domestic industry.

However, the Authority notes that apart from merely making such assertions, Hubei has not provided any evidence to establish its claims.

¹⁹⁴ *Id.*, page 16.

¹⁹⁵ *Id.*, page 17.

¹⁹⁶ *Id.*, page 17.

N.3.8 Increase in the price of raw materials

158. The Authority notes that the profitability parameters of the domestic industry has been positive throughout the entire examined period except the second half of the POI. The applicant has also stated that the price of raw materials during the second half of the POI has increased substantially, whereas the CIF import price has not moved in tandem. The applicant has stated that the increase in price of raw materials, along with the imports from the subject countries are causing injury.
159. The Authority notes the WTO Panel Report in *EC – Salmon (Norway)*¹⁹⁷ that any increases in production costs of the applicant is a relevant factor in assessing the causality of injury to the domestic industry. In this case, it was argued that the EC industry had experienced significant increase in in per unit costs of production, which explains why, despite an increase in sales volumes, and constant prices (measured in pounds sterling) the domestic industry incurred losses. It was argued that if the domestic industry's cost of production had not increased, it would have been profitable. The Panel observed that the EC was required to examine the impact of the increase in product cost in its causal link analysis. The Panel observed as under:
- 7.660 The EC asserts that Norway has failed to make a prima facie case with respect to its argument that increased costs were a cause of injury to the EC industry, and that in order to do so, Norway would have to explain to the Panel why it believes costs should not have increased as they did. We do not agree. Norway has demonstrated that the facts before the investigating authority showed that EC industry production costs increased, and that it was argued to the investigating authority that that increase in costs caused injury. The Provisional and Definitive Regulations do not address this contention. The EC has not brought forward any information that was before the investigating authority or analysis on this issue. In the absence of consideration of this argument, the EC has not demonstrated that an objective and unbiased investigating authority could have concluded that increased production costs were not causing injury to the domestic industry, and therefore that injury caused by this factor was not attributed to dumped imports. In these circumstances, our view is that Norway has demonstrated that the EC failed to comply with Article 3.5 of the AD Agreement.*
160. The Authority notes that there has been an increase in the prices of raw materials for the PUC in the Indian market. This has contributed to the injury being caused to the domestic industry. As noted above, the raw material prices of the domestic industry has increased during the second half of the POI. This has coincided with the decline in performance and profitability parameters of the applicant during the very same period. Therefore, the Authority concludes that the injury to the domestic industry, if any, during the second half of the POI is as a result of the increase in raw material prices during this period. The Authority therefore concludes that the injury to the domestic industry, if any, is not caused by the imports from the subject country.

O INDIAN INDUSTRY ISSUES**O.1 Submission of the domestic industry**

161. The domestic industry has made the following submissions with respect to the Indian industry issues:
- The applicant is the only existing producer that is selling the PUC in the Indian market. Continued dumping could lead to shortage of production and sales completely.¹⁹⁸
 - Cost of API is not significant in the cost of formulations. The duty on the PUC would have an insignificant impact on the cost of the final product.¹⁹⁹
 - The cost of metronidazole API does not play a major role in the final price of the product for the end consumers. The price for the formulation does not increase in the same proportion as the Metronidazole.²⁰⁰
 - The impact of the anti-dumping duty on the final formulation is very negligible.²⁰¹
 - There is significant variation in the prices of the medicines which use Metronidazole as an API. This

¹⁹⁷ Panel Report, *European Communities – Anti-Dumping Measure on Farmed Salmon from Norway*, [WT/DS337/R](#), adopted 15 January 2008.

¹⁹⁸ Application, para 82.

¹⁹⁹ *Id.*, para 83.

²⁰⁰ *Id.*, para 84.

²⁰¹ *Id.*, para 85.

shows the ability of the users to bear the cost of the duty.²⁰²

- f. Chinese producers have offered very low prices to Indian users in an attempt to eliminate competition with Indian producers. Once the Indian industry is wiped out, there would be an overdependency on Chinese producers.²⁰³
- g. The domestic industry has been competitive and capable of supplying the product to the consumers in the competition to fair priced imports.²⁰⁴
- h. Sourcing the PUC from the domestic industry is in the interest of the user industry in India since producers from the subject country operate with the objective of maximizing their profits. The Indian industry, being located within the same territory as consumers, will keep the consumer's interest in mind. The consumers will have to maintain a higher degree of inventory if they have to depend on imported material. On the contrary, they would not be required to hold a high level of inventory in case they are purchasing from the domestic producers.²⁰⁵
- i. It cannot be presumed that the operations of the consumers would become unviable, merely because dumping is prevented by imposition of duty.²⁰⁶

O.2 Submissions of the other interested party

162. The other interested party has made no submissions with respect to the Indian industry's interest.

O.3 Examination of the Authority

163. The Authority notes that imposition of trade remedial measures is intended to ensure a level playing field. However, the imposition of such measures may impact different stakeholders variedly. The Authority had publicized the initiation notification as required under AD Rules, 1995 and also sent a copy of the application to industry associations as well as to the known importers according to the list provided by the applicant in order to elicit the views of other stakeholders regarding the impact of the anti-dumping duties, if imposed.
164. No user industry or importer has participated in the investigation. At a very late stage in the investigation, a few days prior to the issuance of disclosure statement, a company named [***] which claimed to be an importer and user of the subject goods sought opportunity to present its views before the Authority. It also explained in its letter that it has been consistently procuring the subject goods from the applicant²⁰⁷. However, as has been explained above in detail in procedure, the time for registration as an interested party had long been over. Granting opportunity at this stage would prejudice the rights of other interested parties.
165. The Authority notes the submissions of the applicant that the imposition of the duty would not have an impact on the end users since Metronidazole does not have a substantial cost on the end product, and therefore, the duties on metronidazole would not adversely impact the consumers of the final product. The Authority notes that the PUC is used as an API in several drugs. The Authority also notes that in the post-POI period the landed price of the imports has increased by ***%. Therefore, the imposition of duty would further increase the cost of the subject goods. The Authority would consider other comments on economic interest as given in the post-disclosure comments and would consider the same in the final findings.
166. The Authority notes that the subject good is an active pharmaceutical ingredient, which is used to manufacture a drug that has been listed in the 'National List of Essential Medicines' by the Department of

²⁰² *Id.*, para 86.

²⁰³ Application, para 87.

²⁰⁴ *Id.*, para 88.

²⁰⁵ *Id.*, para 89.

²⁰⁶ *Id.*, para 92.

²⁰⁷ Letter from [***] dated 25th September 2023:

"As was communicated in our previous letter dated 18 September 2023, it is clarified that [***] is both, procuring the Product Under Consideration ('PUC') from the Domestic Industry ('DI') as well as from the exporters in China PR. Hence, [***] is an importer as well as a user of the PUC and an interested party in terms of the Rule 2(c) (i) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 ('Indian AD Rules').

Given that [***], [***], and the DI share a long-standing business relationship, the DI was already aware of the functional email addresses of these entities. Even then, the DI chose to use these incorrect email addresses, [***] and [***], which have no relation with [***] or its unit/subsidiary. This is a deliberate attempt by the DI to get an anti-dumping protection while keeping a major user/importer of the PUC in the dark, and by not allowing it to participate in the investigation before the Hon'ble Authority."

Pharmaceuticals, Ministry of Health and Family Welfare.²⁰⁸ Further, Metronidazole medicine has been subject to several price control orders by the National Pharmaceutical Pricing Authority of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers.²⁰⁹

P POST-DISCLOSURE ANALYSIS

167. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making final recommendations to the Central Government to all interested parties on 19th September 2023. The interested parties were directed to file their comments on the disclosure statement by 25th September 2023. The Authority has examined all post – disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority have not been repeated for the sake of brevity.

P.1 RE: Domestic industry and standing

168. Hubei has commented that Aarti Drugs Limited cannot be considered as an eligible domestic industry as it has imported the subject goods during the period of investigation not under advance authorization as claimed in the petition, but in ordinary course of trade.²¹⁰ Hubei has stated that the applicant has made the payment at the Indian Custom Ports for the imports made by them. The details of which are as under:

Row Labels	Sum of Quantity	Sum of CIF Value (USD)
2021-22	***	***
Injury Period	***	***
Post POI	***	***
Pre-injury Period	***	***
Grand Total	***	***

169. Hubei has submitted that the same situation was noticed in the 2nd sunset review investigation concerning imports of ‘Metronidazole’ originating in or exported from China PR, wherein Aarti Drugs Limited was excluded from the scope of the domestic industry.²¹¹ Hubei has further submitted that in the 3rd sunset review investigation, the Authority had rejected the application of Aarti on the same grounds.²¹² According to Hubei, the High Court of Delhi, in W.P. No. 7464/2017 has noted that the Aarti Drugs Limited cannot be considered as an eligible domestic industry.²¹³ Hubei has further submitted that the applicant is a habitual user of anti-dumping measures.²¹⁴
170. The Authority re-iterates its observations in paragraphs 20 to 24 of the disclosure statement as well as paragraphs 20 to 24 of these findings that the volume of imports made by the applicant during the current POI is lower than the imports by the applicant during previous investigations. Further, the Authority re-iterates that the applicant has imported the subject goods under advance authorization licenses in order to meet its export obligations. Hubei has not provided any evidence to demonstrate that imports were not made by the applicant under advance authorization licenses. The Authority confirms its observations in the disclosure statement regarding the standing of the domestic industry and holds that the applicant constitutes a ‘domestic industry’ in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

P.2 RE: Assessment of Dumping and Injury Margins

171. The applicant has submitted that in its email dated 29th July 2023, it has requested the Authority to determine half yearly dumping margins, injury margins and price undercutting.²¹⁵ The applicant has stated that the Authority has conducted half yearly examination of the volume and price effect of imports on the performance of the domestic industry, however, the Authority has not determined the injury margin and

²⁰⁸ See “National List of Essential Medicines 2022”, Notification No X.11035/346/2021-DRS, Ministry of Health and Family Welfare, available at: <https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/Notification%20and%20Report%20on%20National%20List%20of%20Essential%20Medicines%2C%202022.pdf>, accessed on 21st September 2023, at 10:59 a.m.

²⁰⁹ See Notification No. CG-DL-E-01042023-244884, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II – Section 3 – Sub-section(ii), available at: <https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/244884.pdf>, accessed on 21st September 2023, at 11:04 a.m.

²¹⁰ Post disclosure comments of Hubei, page 3.

²¹¹ Final findings No. 15/18/2010-DGAD dated 29th June 2012, paragraphs 4 and 5

²¹² Post disclosure comments of Hubei, page 4.

²¹³ *Id.*, page 4.

²¹⁴ *Id.*, page 5.

²¹⁵ Post disclosure comments of applicant, paragraph 6.

dumping margin on half yearly basis.²¹⁶ According to the applicant, a half yearly analysis implies that the Authority has found that there is significant differences in the parameters over the period of investigation which warrant that an analysis considered for the period of investigation as a whole will not be appropriate.²¹⁷ The applicant has therefore submitted that the dumping and injury margins must be calculated on a half yearly basis.

172. The applicant has submitted that in several investigations,²¹⁸ the Authority has conducted a half yearly analysis where it has found that there is significant difference in cost of production and selling price with time.²¹⁹ The applicant has also referred to the Manual of Operating Practice for trade remedy investigations to argue that a half yearly computation of dumping and injury margin is permitted.²²⁰
173. At the outset, it is clarified that the applicant's assumption that the Authority has carried out half-yearly analysis as it had found significant differences in price over the period is misplaced. The Authority has analysed the injury information based on the complete POI. Given the fact that the applicant had made several submissions regarding injury in H2 of the POI, the Authority has merely bifurcated the POI to examine the applicant's submissions. The Authority further examined six months of post-POI data to verify whether the alleged injury and conditions in H2 of the POI have continued beyond the POI. However, as has been mentioned in the "injury" section above, even after considering the submissions of the applicant, the Authority has reached the conclusion that H2 period of the POI was an aberration.
174. The Authority notes that in the facts and circumstances of the present case, while there has been an alleged variation in the dumping and injury margins in the first and second half of the POI, the Authority notes that this is not a result of the change in pattern of export prices/landed values. The Authority has already determined that there is no pattern of difference in export price between the first half and the second half of the POI. Further, the Authority notes that the applicant has procured its raw materials from both domestic and international sources. The Authority has also noted above that the domestic raw material prices of the applicant have increased at a higher rate than the international raw material prices during the second half of the POI.²²¹ Further, in the first half of the POI, the price of domestically sourced 2MNI was lower than the prices of the internationally sourced 2MNI; however, during the second half of the POI, the price of domestically sourced 2MNI has increased, and is higher than the prices of the internationally sourced 2MNI.
175. It is evident that any alleged variation in the dumping or injury margins in the second half of the POI is as a result of volatility which is specific to the domestic industry alone (i.e., increase in domestic raw material prices). Since the main cause of the difference in dumping and injury margins during the two halves of the POI is the variation in domestic raw material prices, the Authority does not deem it fit to compute the dumping and injury margins on a half yearly basis.
176. Hubei has submitted that the dumping and injury margins which has been computed for it must not be the same. Hubei has submitted that the Authority must grant a lower rate of duty to it as compared to the residual category since it has cooperated with the Authority in the investigation. The Authority notes that since it has concluded that no injury has been caused to the domestic industry due to the alleged dumping of goods from the subject countries, the Authority sees no need to examine this contention of Hubei.

P.3 RE: Determination of dumping & injury margin by comparison of weighted average normal value/NIP to transaction-wise export price/landed value.

177. According to the applicant, the Authority has inappropriately interpreted and partially considered the request of the applicant for adopting the W-T Methodology for computation of the dumping margin and injury margin. The applicant claims that the Authority rejected the applicant's proposal for computation of the dumping and injury margins on the grounds that the WTO Panel and Appellate Body has held that zeroing is not permitted under the Anti-Dumping Agreement.²²²

²¹⁶ *Id.*, paragraph 9.

²¹⁷ *Id.*

²¹⁸ Anti-Dumping Investigations concerning imports of Phenol originating in or exported from Japan and Thailand; Antidumping investigations involving imports of Acetone originating in or exported from Japan and Thailand; Anti-Dumping Investigations concerning imports of 'Carbon Black used in rubber applications' originating in or exported from Australia, China PR, Iran, Malaysia, Russia and Thailand; Anti-Dumping investigation concerning imports of 'Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC)- Whether or not further processed into compound' from Korea RP and China PR; Anti-dumping investigation concerning imports of Melamine originating in or exported from the European Union, Japan, Qatar and the United Arab Emirates; Sunset Review of anti-dumping duty on Viscose Staple Fibre from China PR

²¹⁹ Post disclosure comments of applicant, paragraph 11.

²²⁰ *Id.*, paragraph 10.

²²¹ See paragraphs 88, 116 & 117, *supra*.

²²² Post disclosure comments of applicant, paragraph 12.

178. At the outset, the Authority wishes to indicate that the applicant has not understood the basis on which the Authority has rejected the applicant's proposal for adopting the W-T methodology. In paragraphs 58 to 61 of the disclosure statement (paragraphs 58 to 61 of these findings), it is clear that the Authority has declined to adopt the W-T methodology since there is no pattern of export prices which differs across different time periods. The observations of the Authority with respect to zeroing was in response to the applicant's separate request for adopting of the zeroing methodology as proposed in its written submissions.²²³ The applicant has not appreciated the reasoning adopted by the Authority in paragraphs 58 to 61 of the disclosure statement (paragraphs 58 to 61 of these findings).
179. According to the applicant, the Authority has accepted that there has been an increase in cost of raw materials during the second half of the POI.²²⁴ The applicant submits that the very fact that the raw material prices have increased implies that the normal value has increased.²²⁵ The applicant has further submitted that the fact that the export price has declined when the normal value has increased itself shows that there is a significant difference in the pattern of prices between the two periods.²²⁶ The applicant has submitted that between the first half of the POI and the second half, the dumping and injury margins differ, which establishes that a comparison on the basis of weighted average is not appropriate.²²⁷ The applicant has provided the following information to substantiate its claims:

Particulars	UOM	Separate Comparison			POI
		1 st Half	2 nd Half	Wt. Average	
Export Price	Rs./Kg	***	***	***	***
Normal Value	Rs./Kg	***	***	***	***
Dumping Margin	Rs./Kg	***	***	***	***
Non-injurious price	Rs./Kg	***	***	***	***
Landed price	Rs./Kg	***	***	***	***
Injury margin	Rs./Kg	***	***	***	***
Import volumes	MT	***	***	***	***

180. The applicant has also referred to the WTO decision of *US – AD/CVD measures on Large Residential Washers from Korea*, the US Court of Appeals' decision in *Apex Frozen Foods Pvt. Ltd. v. United States*, the European Commission's decision in the case of *Certain Tube and Pipe Fittings of Iron or Steel Originating in Russia and Turkey* and the Ld. CESTAT's order in the case of *Kothari Sugars & Chemicals Ltd. v. Designated Authority* to argue that the W-T methodology must be adopted.²²⁸
181. With respect to the applicant's submission that the dumping margin and the injury margin has increased in the second half of the POI, the Authority notes that the cause for such an increase in dumping and injury margins during the second half of the POI is clearly the increase in normal value/non-injurious price, which is constructed on the basis of the applicant's data. The increase was primarily due to an increase in domestic raw material prices during the second half of the POI. As examined by the Authority in paragraph 58 of the disclosure statement (paragraph 58 of these findings), there is no significant increase in export price. The increase in raw material cost during the second half of the POI – which has translated to a higher normal value and non-injurious price – is the reason for the higher dumping and injury margins during the second half of the POI. This is not sufficient grounds for applying the W-T methodology.
182. As explained in paragraph 58 to 62 of the disclosure statement (paragraph 58 to 62 of these final findings), in order to adopt the W-T Methodology, the Authority must first determine that there is a pattern of difference in **export price** across different time periods. The submission of the applicant that the export price has declined when the normal value has increased is not relevant in determining whether or not to apply the W-T methodology under Paragraph 6(iv) of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules:
- “Subject to the provisions governing comparison in this paragraph, the existence of margin dumping during the investigation phase shall normally be established on the basis of comparison of a weighted average normal value and export prices on a transaction-to-transaction basis. A normal value established on a weighted average basis may be compared to the prices of the individual export transactions if it is

²²³ Written Submission of the applicant, paragraph 37.

²²⁴ Post disclosure comments of the applicant, paragraph 16.

²²⁵ *Id.*, paragraph 17.

²²⁶ *Id.*, paragraph 17.

²²⁷ *Id.*, paragraph 20.

²²⁸ Post disclosure comments of applicant, paragraphs 20-24.

found that the pattern of export prices which differs significantly among different purchasers, regions or time periods and if an explanation is provided as to why such differences cannot be taken into account appropriately by the use of weighted average-to-weighted average or transaction-to-transaction comparison” (emphasis supplied)

183. As seen above, the Authority is required to first find if there is a pattern of difference between the **export prices**. The argument of the applicant that the Authority should consider the relative increase in normal value is not a relevant factor in determining whether it is appropriate to apply the W-T methodology under Paragraph 6(iv) of Annexure-I to the AD Rules. Contrary to the submissions of the applicant, the Authority is required to establish that there exists a difference in export price between different time periods. In the absence of a substantial difference between the export prices of two different time periods, the Authority cannot resort to the W-T methodology. In paragraphs 58 to 61 of the disclosure statement (paragraphs 58 to 61 of these findings), the Authority has already found that there is an insignificant difference in export prices between the first half of the POI as compared to the second half. The Authority has also undertaken a detailed analysis as to why the export price must not be adjusted to account for any changes in the raw material prices of the domestic industry.²²⁹ Further, as already explained above, a pattern of difference between *export prices* is prerequisite for the adoption of the W-T methodology under Paragraph 6(iv) of Annexure-I to the AD Rules; and since the Authority has found no such differences in export price between the first half of the POI and the second half, the Authority has not deemed it appropriate to adopt the W-T methodology.

184. The applicant has further submitted that the Authority may adopt the zeroing methodology for computation of the injury margin.²³⁰ Given the fact that the Authority has decided not to apply the W-T methodology, the Authority does not deem it fit to apply the zeroing methodology for the determination of the injury margin.

P.4 RE: The sufficiency of the disclosure of essential facts

185. The applicant has claimed that the disclosure statement circulated on 19th September 2023 does not fully disclose the essential facts. According to the applicant, the disclosure statement is incomplete and does not disclose facts related to various injury parameters and post-POI analysis.²³¹ The applicant has claimed that the following are some examples of essential facts which may form the basis of the Authority's decision:²³²

Facts	Claim of the applicant
Scope of the product under consideration	This fact has been clearly stated in the disclosure statement.
Scope of the like article offered by the domestic industry	This fact has been clearly stated in the disclosure statement.
Scope of the domestic industry	This fact has been clearly stated in the disclosure statement.
Dumping and dumping margin in subject imports	This fact has been clearly stated in the disclosure statement.
Whether the domestic industry has suffered from injury	This fact has not been completely established or disclosed to the domestic industry. The Authority has not concluded their analysis after examining the various injury parameters which resulted in unclear disclosures of facts.
Post period of investigation analysis	The Authority has not preliminarily concluded their analysis of the post POI.

186. The applicant's claim as to the lack of adequate disclosure is only on the grounds that the conclusion of the Authority with respect to the existence of injury and the post-POI conclusion of the Authority has not been disclosed. The applicant has also claimed that the post-POI analysis was incompletely done.²³³

187. The applicant has argued that Article 6.9 of the Anti-Dumping Agreement and Rules 16 of the AD Rules provides that the Designated Authority shall, before giving its final findings, inform all interested parties

²²⁹ Paragraph 61 of the disclosure statement; see also paragraph 61 *supra*.

²³⁰ Post disclosure comments of the applicant, paragraph 25.

²³¹ *Id.*, paragraph 30.

²³² *Id.*, paragraph 37.

²³³ Post disclosure comments, paragraph 48.

of the essential facts under consideration which form the basis for its decision. The applicant has relied on the WTO Appellate Body Report in the case of *China – GOES*²³⁴ to argue that in order to apply definitive measures at the conclusion of anti-dumping investigations, an investigating authority must find dumping, injury and a causal link, and ‘essential facts’ with respect to these three factors must be disclosed.²³⁵

188. The applicant has also relied on *EC – Salmon*²³⁶ to argue that the ‘essential facts’ are the body of facts essential to the determinations that must be made by the investigating authority before it can decide whether to apply the measures, i.e., the facts that are necessary to the process of analysis and decision making by the investigating authority, and not only those that support the decision ultimately reached.

189. The applicant has also relied on the following observations of the Hon’ble High Court of Gujarat:²³⁷

“31.5 Thus, while Article 6.9 does not prescribe a particular form for the disclosure of the essential facts, it does require in all cases that the investigating authority disclose those facts in such a manner that an interested party can understand clearly what data the investigating authority has used, and how those data were used to determine the margin of dumping. The disclosure statement, therefore, contains the intermediate findings and conclusions of the designated authority on the essential facts which would form the basis for the decision whether or not to apply definitive measures and not final conclusions on whether or not definite measures are required to be applied. In the opinion of this Court, as rightly submitted by the learned counsel for the petitioners, the disclosure statement should contain the conclusions of the designated authority on those essential facts which would form the basis for its decision as to whether or not to apply definitive measures and not its conclusions on the basis of those essential facts. The conclusions on the basis of the essential facts are to be recorded in the final findings, viz., whether or not on the basis of such facts definitive measures are required to be applied. The contention that the disclosure statement is in the nature of a draft order, therefore, does not merit acceptance, inasmuch as, a draft order would also contain conclusions on whether or not definitive measures are required to be applied.”

190. The applicant’s claim is that the Authority has not disclosed its conclusion with respect to injury and the analysis of the injury during the post-POI period. However, it must be noted that the applicant has not identified which specific parts of the disclosure statement have been inadequately disclosed. The Authority notes that as per Article 6.9 of the Anti-Dumping Agreement read with Rule 16 of the AD Rules, the Authority is merely required to disclose the ‘essential facts under consideration’ which form the basis for its decision.

191. It is noted that the Hon’ble Court in the abovementioned case has also stated that the Authority has to only provide intermediate findings and conclusions of essential facts. Further, the WTO Compliance Panel’s Report in the decision of *US – Oil Country Tubular Goods Sunset Review*,²³⁸ states as under:

“7.148 We note that Article 6.9 imposes a one-time disclosure obligation on the investigating authorities regarding the essential facts under consideration which would then form the basis of the authorities’ final determination whether to apply definitive measures. The text of Article 6.9 clarifies that this obligation applies with respect to facts, as opposed to the reasoning of the investigating authorities. Furthermore, Article 6.9 applies to essential facts and not to all facts....” (emphasis supplied)

192. Further, in *Korea – Certain Paper*,²³⁹ the Panel observed that:

“6.92 Turning to Indonesia’s arguments in support of its claim, we note that Indonesia argues that the KTC should have disclosed under Article 6.9 the fact that it intended to base its injury redetermination solely on the information from the original investigation. Here too we disagree with the view that the KTC’s intention to base its injury re-determination solely on the data collected in the original investigation constituted an “essential fact” within the meaning of Article 6.9. The scope of the obligation under Article 6.9, in our view, excludes the reasoning of the authorities or their intention as to how certain determinations will be made. We therefore find that Indonesia has failed to make a prima facie case with regard to its claim under Article 6.9 of the Agreement.” (footnotes supplied) (emphasis supplied)

193. In *Guatemala – Cement II*,²⁴⁰ the WTO Panel held that the Authority is not required to disclose the legal

²³⁴ Appellate Body Report, *China – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Grain Oriented Flat-Rolled Electrical Steel from the United States*, WT/DS414/AB/R, adopted 16 November 2012

²³⁵ Post disclosure comments of the applicant, paragraph 31.

²³⁶ Panel Report, *European Communities – Anti-Dumping Measure on Farmed Salmon from Norway*, WT/DS337/R, adopted 15 January 2008

²³⁷ *Nirma Limited v. Union of India*, 2017 (358) E.L.T. 146 (Guj.).

²³⁸ Panel Report, *United States – Sunset Reviews of Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods from Argentina – Recourse to Article 21.5 of the DSU by Argentina*, WT/DS268/RW, adopted 11 May 2007, as modified by Appellate Body Report WT/DS268/AB/RW

²³⁹ Panel Report, *Korea – Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia – Recourse to Article 21.5 of the DSU by Indonesia*, WT/DS312/RW, adopted 22 October 2007.

basis for its final determinations on injury during the course of an investigation:

“8.238 Mexico's claim is based on Articles 6.1, 6.2 and 6.9 of the AD Agreement. We note that Articles 6.1 and 6.9 impose certain obligations on investigating authorities in respect of "information", "evidence" and "essential facts". However, Mexico's claim does not concern interested parties' right to have access to certain factual information during the course of an investigation. Mexico's claim concerns interested parties' alleged right to be informed of an investigating authority's legal determinations during the course of an investigation. As for Article 6.2, we note that the first sentence of that provision is very general in nature. We are unable to interpret such a general sentence in a way that would impose a specific obligation on investigating authorities to inform interested parties of the legal basis for its final determination on injury during the course of an investigation, when the express wording of Article 12.2 only imposes such a specific obligation on investigating authorities at the end of the investigation.” (emphasis supplied)

194. The Authority notes that all essential facts under consideration which were the basis of these findings were disclosed by the Authority in its disclosure statement dated 19th September 2023. The applicant has merely claimed that the Authority has not disclosed its conclusions with respect to the injury and the ‘preliminary conclusions’ on the post-POI injury analysis. As noted by the WTO Panel Reports cited above, the Authority is required to disclose only the essential facts and not its conclusions, reasoning and the legal basis for its injury determination.
195. The Authority notes that the Hon’ble Gujarat High Court²⁴¹ has observed that *“the disclosure statement should contain the conclusions of the designated authority on those essential facts which would form the basis for its decision as to whether or not to apply definitive measures and not its conclusions on the basis of those essential facts.”* As summarized in Section K.8 of these findings above, the Authority has concluded that the domestic industry is not suffering from injury on account of the allegedly dumped imports. Therefore, disclosure of the final determinations regarding the existence of injury in the disclosure statement would have amounted to the disclosure of the conclusion of the final findings as a whole, which, as per the decision of the Hon’ble High Court of Gujarat, is not required to be done in the disclosure statement.

P.5 RE: Injury Analysis

196. The applicant has claimed that its arguments mentioned in paragraphs 22 to 24 of its written submission have not been taken on record.²⁴² The Authority notes that this claim of the applicant is erroneous. At paragraphs 49 to 51 of the disclosure statement, the Authority has clearly taken on record the submissions of the applicant. Further, the Authority notes that the arguments of the applicant in paragraphs 22 to 24 of its written submission is with respect to the determination of the pattern of export prices in relation to the dumping margin calculation and has no relevance to the injury determination.
197. The applicant has contended that even when the imports in the base year were higher, they were significantly above the cost of the domestic industry and were therefore not impacting the domestic industry.²⁴³ The applicant has submitted that when the import prices are seen in relation to the raw material prices, there would be injury:

Particulars	Landed price Rs/MT	Raw material cost Rs/MT	Adjusted price Rs/MT	Difference Rs/MT
2018-19	***	***	***	***
2019-20	***	***	***	***
2020-21	***	***	***	***
H1 21-22	***	***	***	***
H2 21-22	***	***	***	***
2021-22	***	***	***	***

198. The applicant has submitted that the landed prices during the POI are below the levels which they should have been after due adjustments for raw materials.²⁴⁴ It is noted that injury must be analysed in the context of increase in price of imports, price of raw materials and selling price of the domestic industry (as the

²⁴⁰ Panel Report, *Guatemala – Definitive Anti-Dumping Measures on Grey Portland Cement from Mexico*, WT/DS156/R, adopted 17 November 2000.

²⁴¹ *Nirma Limited v. Union of India*, 2017 (358) E.L.T. 146 (Guj.).

²⁴² Post disclosure comments of applicant, paragraph 41.

²⁴³ *Id.*, paragraph 42.

²⁴⁴ Post disclosure comments of applicant, paragraph 43.

Authority had observed in paragraph 126 of its disclosure statement).

199. Hubei has re-iterated that it has provided evidence regarding the raw material costs associated with its production of the subject goods.²⁴⁵ Hubei has further submitted that the applicant has purchased metronidazole from Hubei prior to the POI and after the POI. Hubei has also stated that the applicant has sourced 2MNI from Hubei during pre-POI, POI and post-POI periods.²⁴⁶ Hubei has stated that two main raw materials for the production of the PUC are oxirane, which constitutes about ***% of the total raw material cost and 2-MNI, which constitutes ***% of the total raw material cost.²⁴⁷ Hubei has provided information from 'Oilchem' website (a leading provider of energy and chemical information and market price index) that the raw material costs for Hubei did not undergo any material change in the second half of the POI.²⁴⁸ Hubei further submits that there were no significant increase in cost of 2MNI for its production of the subject goods.²⁴⁹
200. The Authority re-iterates its observations that the increase in the cost of raw materials, which was not matched by a corresponding increase in the landed price of the subject goods, was mainly confined to the second half (H2) of the POI. As outlined in paragraph 143 above, in the six months following the POI, raw material prices rose by Rs. *** per metric ton (a ***% increase) compared to the preceding six months. In contrast, the landed value saw a more significant increase of Rs. *** per metric ton (a ***% increase), and the selling price went up by Rs. *** per metric ton (an ***% increase). This unusual surge in raw material costs relative to the landed value appears to be an anomaly specific to H2 of the POI. The Authority underscores that any determination regarding the existence of injury cannot be based solely on H2 of the POI, given its exceptional nature, more so in view of H1 of the POI and the period following the POI.
201. Hubei has re-iterated its submission that there is no causal link between the dumping and the alleged injury.²⁵⁰ The Authority has taken note of the absence of causal link between the dumping and the alleged injury.

P.6 RE: Post-POI Analysis

202. The applicant has claimed that the volume of imports has increased significantly during the post-POI period; the imports have tripled in the post-POI period; the increase in imports is over and above the increase in demand; despite an increase in demand in the post-POI period, the domestic sales did not increase with the increase in demand; the market share of imports of the subject country has significantly increased in the post-POI period; the market share of the applicant is the lowest in the post-POI period.
203. The Authority found the injury to be non-existent for the period April 2021 – September 2021 (H1). This fact has also not been disputed by the applicant, even in its post-disclosure comments. Therefore, the Authority has analysed 6 months of post-POI data to determine if the state of injury and the factors at play during the period October 2021 to March 2022 were merely an aberration.
204. The Authority re-iterates its conclusion in Section L.2 of these findings regarding the post-POI analysis. The Authority has found that the imports from the subject country do not appear to have disturbed the sales of the applicant, but rather the total demand for the subject goods in India has increased, and the imports from the subject country have catered to this increase in demand, without substantially affecting the sales of the domestic industry. Further, as mentioned in the table to paragraph 138, the selling price of the domestic industry is significantly below the landed value of imports during the post-POI period. Despite selling their goods at prices lower than the imports, the domestic industry has not been able to capture a larger share of the growth in demand. The domestic industry has not been able to afford any plausible explanation for the same. The capture of the growth in demand by imports therefore does not appear to adversely impact the competitiveness of the domestic industry in the post-POI period.
205. Further, the argument that the domestic industry was not able to capitalise on the increase in demand due to imports from the subject country cannot be accepted since in the six months following the POI, the domestic industry's selling prices were actually lower than the landed prices of the imported goods. According to economic principles, all else being equal (such as product quality), consumers generally prefer to purchase goods at lower prices rather than higher ones. Even though the domestic industry offered their products at lower prices than the imports, they failed to secure a larger share of the expanding market demand. The domestic industry has not been able to provide a reasonable explanation for this

²⁴⁵ Post disclosure comments of Hubei, page 6.

²⁴⁶ *Id.*

²⁴⁷ *Id.*

²⁴⁸ *Id.*, page 8.

²⁴⁹ *Id.*

²⁵⁰ Post disclosure comments of Hubei, page 10.

phenomenon. Therefore, it seems that the competitiveness of the domestic industry in the post-POI period has not been negatively affected by the import's ability to capture the growing demand.

206. As seen from paragraph 140 of these findings above, the argument that the applicant has not been able to increase its market share cannot be accepted since the applicant has consistently dedicated a significant portion of the PUC that it produces to export markets and captive consumption. Therefore, the domestic industry has not been able to increase its domestic sales volume above a certain level throughout the examined period – including when the volume of imports from the subject country was low (i.e., during 2018-19 to the first half of the POI). The applicant's argument that its market share has declined also cannot be accepted. As explained above, the trends in market share cannot not be characterised as a decline in the market share of the domestic industry, but rather an increase in domestic demand. In fact, in absolute numbers there has been an increase in the sales of the domestic industry.

P.7 Economic interest and miscellaneous issues

207. With respect to the economic interest, the applicant has re-iterated all its submission made earlier. The Authority has already addressed the public interest concerns in Section O of these findings.
208. The applicant has suggested that the Authority recommend a benchmark duty.²⁵¹ However, since the Authority has already observed that no injury is being caused to the domestic industry due to dumped imports, this issue is not being considered.
209. Hubei has claimed that the 22% ROCE adopted by the Authority grants undue protection to the domestic industry.²⁵² Since the Authority has concluded that the applicant is not suffering from injury caused due to dumping, this submission of Hubei is not required to be addressed.

Q CONCLUSION

210. Based on the submissions made, substantiated information provided by the interested parties and the facts available before the Authority as recorded and examined in the aforementioned paragraphs and on the basis of determination of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes the following:
- i The subject goods exported from the subject countries and the article manufactured by the domestic industry are 'like article' to each other in terms of Rule 2 (d) of the AD Rules, 1995.
 - ii The applicant accounts for ****% of the eligible domestic production. The applicant satisfies the requirements stipulated under Rule 2 (b) of the AD Rules, 1995 and the application satisfies the standing requirements under Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.
 - iii The application contained all information relevant for the purpose of initiation of the anti – dumping investigation and necessary evidence in terms of Rule 5(2) of the AD Rules, 1995 to justify the initiation of the present investigation for determination of dumping and material injury to the domestic industry in terms of Rule 5 (3) of the AD Rules, 1995.
 - iv The claims regarding confidentiality were accepted wherever warranted and in case, where such confidentiality claims were found to be excessive, the interested parties were directed to disclose the same or provide appropriate non – confidential summary of the same in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995.
 - v **Dumping margin:** One producer from China PR namely Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd. had participated in the investigation. Based on the information provided by such exporter and the constructed normal value, the dumping margin for exports of Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd was determined to be positive.
 - vi **Volume effect:** The volume of imports and the dumping margin of the subject goods from the subject countries were found to be above *de minimis* thresholds as stipulated under para (iii) of Annexure – II to the AD Rules, 1995.
 - vii With respect to the volume effect of the imports on the state of the domestic industry as required to be assessed under para (ii) of the AD Rules, 1995, it was found that the volume of imports has declined significantly from the base year as compared to the POI. The volume of imports during April 2021 to September 2021 (H1) was at very low levels. There was an increase in imports during the POI as compared to the immediate previous year, however, imports in relation to the Indian production and the total demand has declined as compared to the base year.

²⁵¹ Post disclosure comments, paragraph 51.

²⁵² Post disclosure comments of Hubei, page 10-12.

- viii The market share of the domestic industry during the POI has significantly improved. The market share of imports from the subject country has declined.
- ix Imports from the subject country and market share of imports is significantly lower during the POI as compared to the period January 2020 to June 2011. There has been a positive growth of Indian producers in the market. The domestic producers have become stable and are able to compete with the imports even without the protection of the duty.
- x **Price effect:** As regards the price effect of such dumped imports, it was found that the price undercutting and price suppression/depression throughout the entire examined period, except the second half of the POI is negative. However, during the second half of the POI, the price of raw materials has substantially increased, which has contributed to the significant increase in cost of production of the applicant, and consequently, the positive price undercutting and price suppression/depression during this period.
- xi As regards the effect of such dumped on the economic parameters of the domestic industry, the following conclusions were reached:
- The performance of the domestic industry in terms of production, installed capacity, sales volumes has improved during the POI as compared to the base year. This is despite the increase in raw material price during the POI.
 - The domestic industry has been profitable throughout the entire examined period except the second half of the POI. Only during the second half of the POI, the profitability (profits, cash profits, ROCE and PBIT) are negative. However, if the POI is seen as a whole, the domestic industry is profitable.
 - The average inventories of the applicant have increased during the POI as compared to the base year. However, the inventories during the POI have declined when compared to the previous year.
 - The salary and wages, productivity per day, and productivity per employee has improved during the POI as compared to the base year. The applicant has not claimed injury in this respect.
 - The applicant has shown positive growth in terms of its production and sales figures, but has shown negative growth in terms of profitability. As examined above, the decline in growth in terms of the profitability of the applicant is as a result of the increase in raw material cost.
 - The total sales of the applicant (i.e., the domestic sales + captive sales + export sales) is at the highest period during the POI.
 - The injury to the domestic industry was non-existent for the period April 2021 – September 2021 (H1), and was limited to only the period October 2021 – March 2022 (H2). The Authority examined the 6 month post-POI period of April 2022 to September 2022 and has determined that the injury suffered by the domestic industry during H2 was merely an aberration.
 - The domestic sales volume of the domestic industry during the post-POI period has also increased.
 - In the post-POI period, the applicant's selling price is significantly below the landed value of the subject goods imported from China PR, yet the market share of imports from China PR are higher than the market share of the domestic industry. Despite selling their goods at prices lower than the imports, the domestic industry has not been able to capture a larger share of the growth in demand. The domestic industry has not been able to afford any plausible explanation for the same.
 - In the post-POI period, the demand for the subject goods has increased, however, the domestic industry has not been able to capture this increase in demand despite having a lower selling price than the landed value of the subject imports. During this period, the domestic sales volume of the domestic industry has also increased.
- xii **Injury Margin:** Since the domestic industry is not being injured as a result of imports of the subject goods from China PR, the Authority does not find it necessary to determine the injury margin.
- xiii **Causal link:** It was found that domestic industry has not suffered injury, and the decline in the performance of the domestic industry is only restricted to the second half of the POI. This has coincided with the decline in performance and profitability parameters of the applicant during the very same period. Therefore, the injury to the domestic industry, if any, during the second half of the POI is as a result of the increase in raw material prices during this period and not the dumped imports.
- xiv **Indian industry issues:** The Authority notes that the subject good is an active pharmaceutical ingredient, which is used to manufacture a drug that has been listed in the 'National List of Essential Medicines' by the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers. Further, Metronidazole medicine has been subject to several price control orders by the National Pharmaceutical Pricing Authority of India.

R RECOMMENDATIONS

211. Having examined the contentions of various interested parties and on the basis of above facts, circumstances and analysis, the Authority concludes that the domestic industry is not suffering material injury due to imports from the subject country in terms of the provisions enshrined under the Anti-Dumping Rules. In view of the above, the Authority does not consider it appropriate to recommend levy of anti-dumping duty on the imports of subject goods from the subject country. Therefore, in terms of Section 9A and 9B of the Customs Tariff Act read with Rule 14(b), Rule 17(1)(a)(ii) and Rule 11(2) of the Anti-Dumping Rules, the Designated Authority decides to terminate the present investigation which was initiated vide Notification No.F.No.6/3/2022-DGTR, dated 30th September 2022.

S FURTHER PROCEDURE

212. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise and Services Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

ANANT SWARUP, Designated Authority